खण्ड-409, अंक-7
गुरुवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(3 मार्च, 1994 ई0)

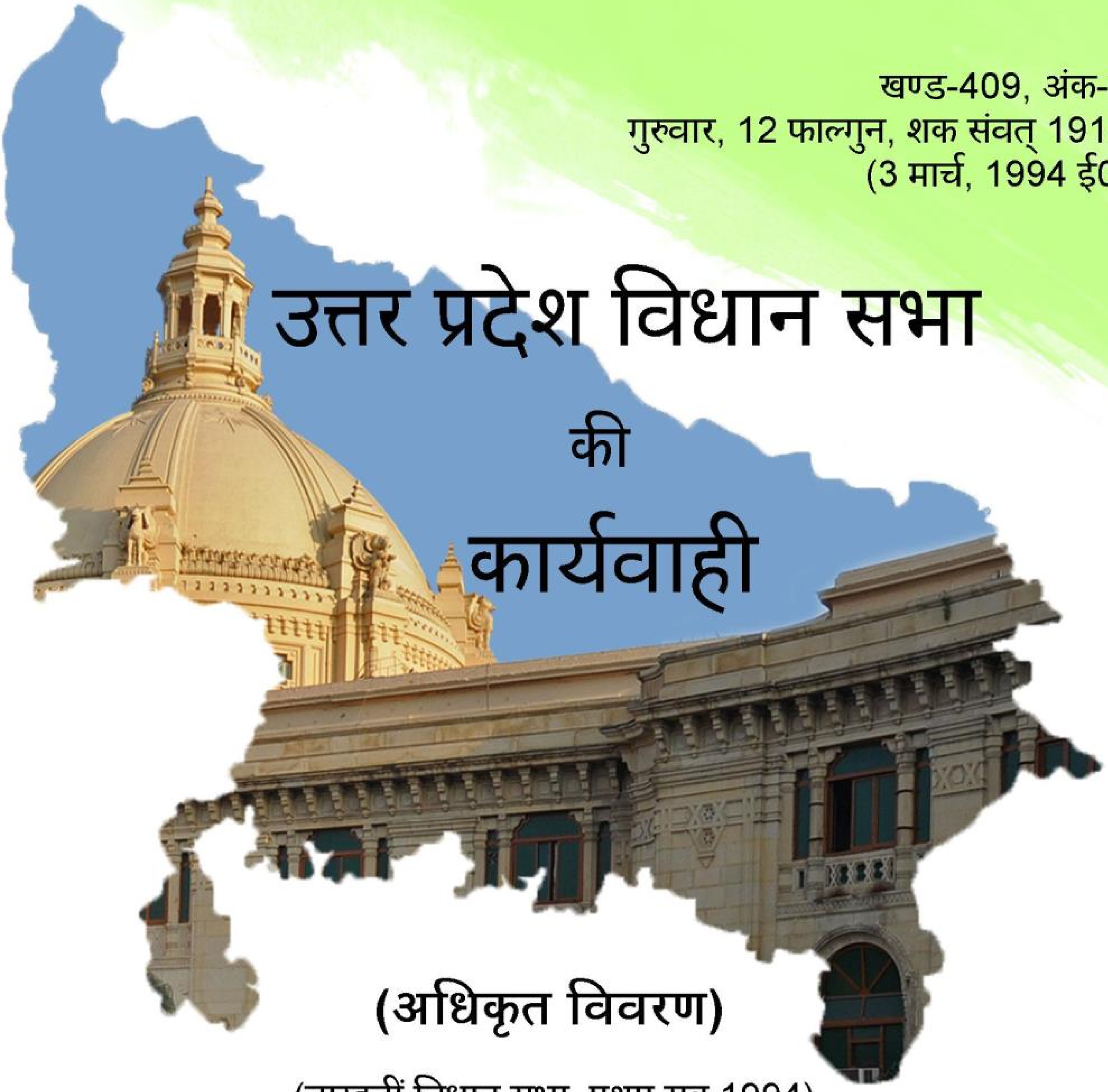

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 409 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	1–2
प्रश्नोत्तर	2–50
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	51
अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में जमुना नदी के कटान को रोकने हेतु ठोकरों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51–52
आदर्श कृषक उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय कारब-मथुरा के कतिपय अध्यापकों व परिचायकों के वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
उत्तरांचल में बी० टी० सी० के प्रशिक्षण का सत्र प्रारम्भ किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52–53
जनपद बांदा के विकास खण्ड कमासिन में 10 वर्षों से निर्माणाधीन कठार कैनाल को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी के अनशनकारी कर्मचारियों की मांगें स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	53–54
जनपद गोण्डा के क्षेत्र गैंसड़ी के ग्रामीण अंचलों में भीषण ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
जनपद वाराणसी के थाना रोहनियां के अन्तर्गत हुये बमकाण्ड की जांच कराने तथा प्रभावित लोगों को सहायता दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)	55
सदन में दिनांक 1 मार्च, 1994 को प्रश्नोत्तर काल के दौरान कतिपय सदस्यों द्वारा आरोप-प्रत्यारोप के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	55
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	56
कार्य-मंत्रणा समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार सदन का संचालन न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न एवं श्री अध्यक्ष का निर्णय	56–59
औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश	59
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	59–60

विषय	पृष्ठ-संख्या
केन्द्र सरकार द्वारा डंकल प्रस्ताव के मसौदे पर हस्ताक्षर करने से राज्य सरकार के अधिकारों पर असर विषयक औचित्य का प्रश्न	60–69
कार्य-मत्रंणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव–(पारित) ...	70–73
जनपद कानपुर (देहात) तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम धरछुआ, मेधरी, सूरजपुर एवं सहबातपुर में ग्रामीण पेयजल योजना चालू कराने एवं ग्राम धरछुआ में पानी की टंकी का निर्माण किये जाने विषयक श्री शिव शंकर सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	73
लखनऊ विश्वविद्यालय में बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को विखण्डित किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न को सुने जाने की मांग ...	73–74
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए, दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम का निर्धारण ...	74–76
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	76–108
उ० प्र० मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 (पारित) ...	108–112
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	112
जनपद औरैया की किरावली तहसील में भारी वर्षा व ओलावृष्टि से क्षति विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	113–115
जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में आये भीषण चक्रवात से हुई जन-धन की हानि से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	115–117
जनपद गाजियाबाद में मकनपुर खेड़ा कालोनी थाना सेक्टर–58 नोयडा में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना अवन्ती बाई लोधी चौक की मूर्ति एवं पत्थर तोड़े जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य (जारी)..	117–118
जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में आये भीषण चक्रवात से सम्बन्धित सूचना पर दिये गये वक्तव्य पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की मांग	119
जनपद गाजियाबाद में मकनपुर खेड़ा कालोनी थाना सेक्टर–58 नोयडा में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वारांगना अवन्ती बाई लोधी चौक की मूर्ति एवं पत्थर तोड़े जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य (क्रमागत)	119–120
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में बिगड़ी शान्ति-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बनध में, नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य ...	120–121
जनपद मिर्जापुर स्थित टाण्डा फाल से निकलने वाली नहर का जल हर्रई नदी में जाने से रोकने तथा जल का सदुपयोग सुनिश्चित कराये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	121–124
नत्थियां	125–129

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 3 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे–

अखलाख, श्री	मेरठ	प्रेम प्रकाश उर्फ	
अजय प्रताप सिंह उर्फ		जिप्पी तिवारी, श्री	सिद्धार्थनगर
लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र अरिदमन सिंह	
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	राजा श्री,	आगरा
ओंकार सिंह, श्री	एटा	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
चन्द्र विजय सिंह उर्फ		विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
छब्बू, श्री	वाराणसी	शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
जवाहर लाल दिवाकर, श्री	इलाहाबाद	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर	सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
देवकी नन्दन, श्री	उन्नाव	सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	स्वयंवर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात	हीरा मनि पटेल, श्री	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 1994

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, मैं नियम–311 के अन्तर्गत निलम्बन का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

कल यह तय हो गया था कि नियम–311 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी फिर आप क्यों इसे उठा रहे हैं ? अगर आप ही लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो नये सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा ? जो नये सदस्य हैं उनको बोलने का मौका दें । मैं नत्थी (क), अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 ले रहा हूं।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिस कारण घोर व्यवधान हुआ)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था चरमरा गयी है.....

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा तो पहले ही हो चुकी है मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित करें । माननीय सदस्य ने जो आशंका व्यक्त की है उसका पहले समाधान कराया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं । प्रश्नकाल हो जाने दीजिये ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मै प्रतिदिन लिखकर देता हूं लेकिन वह सुना नहीं जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो आपने सूचना दी वह ठीक है । लेकिन हमारे कहने का जो अधिकार है उसे तो कहेंगे ही ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप हर समय हमें झिड़कते क्यों रहते हैं ? आखिर हमने क्या अपराध किया जो हमें इस तरह से कहते हैं । मैंने तो आपकी सहायता ही की है और मैंने माननीय दीक्षित जी को बैठने का ही इशारा किया था ।

श्री अध्यक्ष–

तो आप उठवा दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह क्या तरीका हुआ ? जितना आप अपने को अनुशासित समझते हैं उतना ही हम भी अपने को समझते हैं । जो आपने सूचना दी थी उसके बारे में कहने का हमारा अधिकार है । आप हर समय हमें झिड़कते रहते हैं, हम पर चिल्लाते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपके दल में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह आपका आरोप है । आप हर समय हम पर चिल्लाते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न हो जाने दीजिये । उसके बाद सुन लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

आप कहते रहिये । मैं नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

कहते रहिये, कहते रहिये । जितना भी शान्ति से चलाने की कोशिश करो, मानते ही नहीं ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

वर्मा जी, पहले सवाल हो जाने दीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नियम 311 तथा कार्य-स्थगन की सूचनायें नहीं लिये जाने के निर्णय के मुताबिक हमारे दल के माननीय सदस्यों ने इस तरह की कोई सूचना नहीं दी । लेकिन दूसरे दल से निर्णय के विरुद्ध सूचनाएं आयी हैं.....

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न हो जाने दीजिये, उसके बाद मैं सुनूंगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को प्रदत्त छात्रवृत्ति का मासिक भुगतान करने की मांग

**1–श्री हृदय नारायण–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को, शिक्षा/अध्ययन/शोध में सुविधाएं प्रदान किये जाने की दृष्टि से, प्रतिमाह भुगतान किये जाने की प्रणाली सरकार लागू करेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

जी नहीं ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को यह ठीक से पता होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, वह समय से नहीं मिलती और छात्रवृत्ति का उद्देश्य यही होता है कि छात्र उससे किताबें खरीद सके, इसके अलावा पढ़ाई के समय जो अड़चनें आती हैं, उनको दूर कर सके । अक्सर ऐसा होता है कि लड़का जब हाईस्कूल पास कर लेता है तो हाईस्कूल की छात्रवृत्ति उसको इण्टर में मिलती है । हमारे पास इस तरह के कई लड़के आते हैं कि कहते हैं कि समाज कल्याण अधिकारी को सिफारिश लिख दीजियें । श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समयबद्ध तरीके से प्रतिमाह छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जाये, इससे क्या माननीय मंत्री जी सहमत हैं

और क्या प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने से सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय भार उठाना पड़ रहा है, जो प्रतिमाह देने से इन्कार कर रहे हैं ?

श्री राजबहादुर–

मान्यवर, वर्तमान समय में छात्रवृत्ति देने में कतिपय कठिनाई और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अतः मासिक वितरण करना सम्भव नहीं है । यदि मासिक छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उससे छात्रों को सुविधा के स्थान पर अत्यन्त असुविधा ही होगी । विद्वान साथी ने जो बात जानना चाहा है उसके संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से 15 मार्च तक जिन छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत है, बांटने के आदेश हैं ।

श्री हृदय नारायण–

मेरी बात रह गयी । मैंने जानना चाहा था कि क्या कोई अतिरिक्त व्यय भार अन्तर्ग्रस्त है, क्या अड़चन है ?

श्री राज बहादुर–

इसमें व्यवहारिक रूप से कठिनाई आती है क्योंकि हमारा विभाग विद्यालय के खाते में पैसा जमा कर देता है और उसकी 6 महीने या साल भर में स्वीकृति भेजी जाती है, जिस कारण से विलम्ब हो जाता है। हमारे विद्वान साथी ने जो बात रखी है अभी तो हम इस चीज को 6 महीने में करते हैं लेकिन उसे हम कम करेंगे । पुराना हिसाब-किताब सही करके 15 मार्च तक छात्रवृत्ति बांट देंगे । उसके बाद आपके सुझाव पर भी विचार करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा प्राप्त करने के जो भी साधन हो सकते हैं, महंगे हो गये हैं, किताबें महंगी हो गयी हैं,, उस महंगाई को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति को बढ़ाने पर विचार करेंगे ? सरकार अपने को इन वर्गों के प्रति प्रतिबद्ध भी बताती है या नहीं है, यह नहीं जानते । इसको ध्यान में रखते हुए मान्यवर, छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाने पर और समयबद्ध तरीके से, जैसे 15 मार्च तक की बात कह दी तो मान्यवर, कोई छात्र विद्यालय छोड़े, उसके पहले छात्रवृत्ति भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

श्री राज बहादुर–

जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि छात्रवृत्ति बढ़ाने के संबंध में सरकार क्या कर रही है ? तो मान्यवर, यह प्रकरण विचाराधीन है । जिस तरह से हर चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन संसाधन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से बढ़ाने का प्रकरण विचाराधीन है ।

श्री हृदय नारायण–

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर अभी दिया है उससे सरकार की मंशा का पता तो चलता है कि सरकार छात्रवृत्ति को बढ़ाने पर विचार कर रही है और उसे समय पर देने पर विचार कर रही है । श्रीमन्, चूंकि आपने अन्तिम प्रश्न पूछने का अवसर दिया है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी निश्चित तिथि बतायेंगे किस तारीख से समय पर छात्रवृत्ति देने के निर्णय का क्रियान्वयन किया जा रहा है और छात्रवृत्ति बढ़ाने का निर्णय किस तरीके से कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है । माननीय सदस्य जैसा प्रतिमाह की बात बार-बार कर रहे हैं तो प्रतिमाह छात्रवृत्ति के भुगतान करने से

व्यवहारिक कठिनाई आयेगी और ऐसा करना बहुत मुश्किल है । जो 6 महीने की बात है उसको हम 4 या 5 महीना पर विचार कर रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण–

श्रीमन्, प्रति माह छात्रवृत्ति के भुगतान करने में सरकार को कोई व्यय भार वहन तो करना नहीं पड़ेगा । इसमें अड़चन क्या है ?

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी आप बैठ जायें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । अनुशासनहीनता मत फैलाइये ।

(व्यवधान)

माननीय वर्मा जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था में सहायक होने की कृपा करें, अव्यवस्था मत फैलायें । मैंने निश्चित कर लिया है कि 10 मिनट का एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा ।

प्रधानों को निलम्बित करने हेतु परगनाधिकारियों के अधिकारों को समाप्त करने का विचाराधीन मामला

**2–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार ने प्रधानों को निलम्बित करने के परगनाधिकारियों के अधिकारों को समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

जी हां ।

अभी शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे प्रश्न के दूसरे भाग में उन्होंने बताया कि अभी शासन के विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि नये पंचायती राज ऐक्ट में अगर इस तरीके की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो क्या व्यवस्था की गयी है ? जो विचाराधीन चल रहा है,उसकी क्या योजना है, दोनों में बिन्दु क्या हैं और यह विचाराधीन योजना कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, श्री अग्रवाल जी ने जो जानना चाहा है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला अभी विचाराधीन है इसलिये उसके बारे में इस समय सदन में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इससे गोपनीयता भंग होती है । दूसरा, उन्होंने यह जानना चाहा है कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण पर सम्पूर्ण विचार के बाद सभी चीजें सदन के पटल पर आ जायेंगी । चूंकि अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पायी है इसलिए यहां पर साधिकार कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह तथ्य तो सही है कि आज जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन को प्राप्त होती हैं और हमें भी प्राप्त होती हैं। अब आप जो नई कार्य योजना बना रहे हैं क्या उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार करने की स्वतंत्रता तो नहीं दे रहे हैं अगर नहीं दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसे सदन के सम्मुख बताने में कोई गोपनीयता भंग नहीं होती है। किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है और दण्डित करने के लिये आप क्या प्राविधान रख रहे हैं, इसे बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैं श्री डंग जी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल सचेत है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है और जल्दी ही वह आपके सामने आ जायेगा। इतनी जल्दी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पायी है। अगर आपके कोई सुझाव हों तो उन पर विचार किया जा सकता है।

एक सदस्य–

मान्यवर, कदाचित् आप मेरा नाम नहीं जानते हैं, इसलिये बुलाते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सम्भव भी नहीं है।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने तमाम प्रदेशों के पंचायती राज मंत्रियों की एक गोष्ठी की थी और उसमें पंचायती राज के 73वें संशोधन पर विचार किया था और आने वाले पंचायती राज व्यवस्था में एस० डी० एम० की पावर खत्म कर दी हैं। इसलिये अब आप हमें बतायें कि किन-किन बिन्दुओं को आपने विचार के लिये उसमें रखा है ? उन्हें यहां पर बताने से कोई गोपनीयता भंग नहीं होती है। बजट के संबंध में अगर कोई बात हो तो कहा जा सकता है कि गोपनीयता भंग हो सकती है। मैं पुनः पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने अभी जो पंचायती मंत्रियों की गोष्ठी की है और उसमें जो आप संवैधानिक पावर्स देने जा रहे हैं, उसमे कौन-कौन से बिन्दु विचाराधीन हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, श्री मित्रसेन यादव जी हमारे जिले के ही हैं। उन्होंने पूछा कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ ऐक्शन लेने वाला मामला विचाराधीन है। मान्यवर, प्रधान भी एक जनप्रतिनिधि होता है, उसके खिलाफ कोई अधिकारी ऐक्शन ले तो वह उसके सम्मान के खिलाफ होगा।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी गुप्त योजना का एक बिन्दु तो प्रकाशित कर दिया कि अधिकारियों द्वारा प्रधानों को सस्पेंड करने का अधिकार कोई उचित नहीं है। अब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस दिन से यह घोषणा हुई, उस दिन से अब तक कितने प्रधानों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, कितनों पर जांच हुई और कितनों पर जांच होकर आरोप सही पाये गये और अब आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? अगर सभी प्रधान ठीक हैं तो क्या आप यह करेंगे कि जिन प्रधानों को एस० डी० एम० ने सस्पेंड किया था, उनको बहाल करने की घोषणा करेंगे ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, माननीय अग्रवाल जी जो जानना चाहते हैं उसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है । यह सूचना चूंकि अग्रवाल जी कह रहे हैं इस समय उपलब्ध नहीं हैं अगर वह चाहते हैं तो मंगा कर अवगत करा दी जायेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

सूचना नहीं है तो स्थगित करा दें ।

श्री राम लखन वर्मा–

मैंने कहा इस प्रश्न से संबंधित नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें अग्रवाल साहब ।

[गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में कार्यरत संग्रह सेवक श्री नान्हू पुत्र हरदेव के प्रार्थना पत्र के विलम्ब के संबंध में बासिल बाकी नवीस के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित

*1–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में जनवरी, 91 से 31 दिसम्बर, 93 तक कितने अस्थाई (सीजनल) संग्रह अमीन, संग्रह सेवकों के पदों पर स्थायी नियुक्ति की गयी है ? क्या ऐसी नियुक्ति करने के पूर्व अस्थाई (सीजनल) की कोई वरिष्ठता सूची का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो क्या तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस नियुक्ति में पदोन्नति के लिये सचिव, उ० प्र० कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ के शासनादेशों दिनांक 1-1-70, 21-8-76 व 19-5-78 के तहत अनुसूचित जाति में से कोई पदोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो किसकी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऐसी पदोन्नति का लाभ पाने हेतु जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को संग्रह सेवक श्री नान्हू पुत्र हरदेव, तहसील मुसाफिरखाना ने दिनांक 5-11-92 को प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर नायब तहसीलदार की दिनांक 4-2-92 की रिपोर्ट परगना अधिकारी, मुसाफिरखाना व अपर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रेषित की गयी है ? उक्त रिपोर्ट आख्या अब तक न प्रेषित करने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त प्रार्थना पत्र की मूल उस पर लगी रिपोर्ट आख्या को भी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या इस लाभ को पाने हेतु और भी संग्रह सेवकों ने प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कितने ? क्या पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

जनपद सुल्तानपुर में जनवरी, 91 से 13 दिसम्बर, 93 तक 19 अस्थाई संग्रह अमीन तथा 17 अस्थायी संग्रह सेवकों के पदों पर अस्थाई नियुक्ति की गयी है । समय-समय पर आयुक्त द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुसार नियुक्त किये गये सीजनल संग्रह अमीनों एवं सीजनल संग्रह सेवकों के संबंध में सूचना संलग्न है ।

ऐसी नियुक्ति करने के पूर्व अस्थाई/सीजनल की कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनायी गयी है । मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत मृतक आश्रितों की तथा मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगनादेश के अनुपालन में न्यायालय के अन्तिम आदेश से बाधित रखते हुए संग्रह अमीनों एवं संग्रह सेवकों की अस्थायी नियुक्तियां की गयी हैं तथा एक संग्रह सेवक की अस्थाई नियुक्ति वैकल्पिक व्यवस्था में की

गयी है । इसी प्रकार सीजनल संग्रह अमीन एवं संग्रह सेवकों की प्रत्येक सीजन में नियुक्ति, विगत फसली की अच्छी वसूली तथा कार्य एवं आचरण के आधार पर की गयी है ।

सचिव, उ० प्र०, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेशों दिनांक 1-1-70, 21-8-76 व 19-5-78 के अन्तर्गत संग्रह अमीन के पद पर किसी संग्रह सेवक की पदोन्नति नहीं की गयी है । संग्रह अमीनों के रिक्त पदों पर मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत मृतक आश्रितों की नियुक्ति तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में सीजनल संग्रह अमीनों की नियमित पदों पर नियुक्ति करने से संग्रह अमीन का पद रिक्त न होने के कारण किसी भी संग्रह सेवक की पदोन्नति संग्रह अमीन के पद पर नहीं की गयी है । ऐसी पदोन्नति पाने के लिये श्री नान्हू पुत्र श्री हरदेव संग्रह सेवक तहसील मुसाफिरखाना ने दिनांक रहित एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष दिनांक 5-11-92 को दिया था जिसके संबंध में वासिल बाकी नवीस मुसाफिरखाना द्वारा दिनांक 23-12-92 को एक आख्या तैयार की गयी जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या पर दिनांक 4-2-93 के स्थान पर गलती से 4-2-92 अंकित कर दिया गया । वासिल बाकी नवीस द्वारा नायब तहसीलदार की उक्त आख्या दिनांक 4-2-93 तहसीलदार मुसाफिरखाना के समक्ष दि० 12-2-94 को प्रस्तुत की गयी । मूल प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 12-2-94 को अग्रसारित किया गया है । श्री नान्हू, संग्रह चपरासी का प्रार्थना पत्र तथा उस पर लगी रिपोर्ट आख्या की प्रतियां संलग्न हैं ।

इस प्रकार की पदोन्नति का लाभ पाने के लिये जनपद के किसी भी अन्य संग्रह सेवक ने कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया है । वासिल बाकी नवीस द्वारा नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 4-2-93 तहसीलदार मुसाफिरखाना के समक्ष दिनांक 12-2-94 को प्रस्तुत की गयी इस विलम्ब के लिए वासिल बाकी नवीस को उत्तरदायी पाया गया है जिसके लिये उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर दोषी पाये गये कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध तत्काल यथावश्यक नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं होता, जो पढ़ने का विषय है उसे पढ़ने दीजिये ।

श्री तेज भान सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की बात बताई गयी है इनमें कितने ऐसे स्थगन आदेश नियुक्ति के समय के पहले प्राप्त हुए हैं । दूसरी बात जो बताई गई है प्रार्थना-पत्र जो दि० 5-11-92 को जिलाधिकारी के यहां प्रस्तुत किया गया है इस बीच में या इससे पहले कोई नियुक्तियां हुई हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

वैसे तो मान्यवर, माननीय सदस्य को सारी चीजें भेज दी गयी हैं । प्रश्न जितना लम्बा है जवाब भी उतना ही लम्बा है । सीजनल संग्रह अमीनों की नियुक्ति की डेटवाइज सूचना आपको भेज दी है । तहसीलदार का पत्र भी भेजा है । इसमें मैं स्पष्ट कर दूं हमारे माननीय सदस्य की जिज्ञासा है नान्हू संग्रह सेवक की नियुक्ति नहीं हो पायी । तो उसकी अर्जी एक साल बाद रजिस्टर की गयी । क्यों एक साल बाद भेजा उसको हमने संज्ञान में लिया है क्यो एक साल तक सूची को रोके रखा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हो गये इसको शासन ने गम्भीरता से लिया है और जबाब तलब किया है । इसको

आगे जो भी नियुक्ति होगी उसमें लिया जायेगा । एक साल तक अर्जी रोक ली गयी और एक साल बाद प्रस्तुत की गयी ।

श्री तेजभान सिंह–

मैंने यही बात कही है ।

श्री बाबू राम यादव–

मैं आपकी भावना से सहमत हूं । तो यह वासिल बाकी नवीस ने गलती की है, अतः उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है । तब तक वह जगह भरी गई उच्च न्यायालय के आदेश से । तो अब जगह भी भर गई और उसका स्पष्टीकरण आने दीजिये । जो उत्तर होगा उसी के आधार पर उसको सजा भी दे देंगे और उसको नौकरी भी दे देंगे ।

(श्री तेजभान सिंह व अन्य सदस्यों के प्रश्न करने का प्रयास करने पर – व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरा उत्तर आ गया है और विस्तार से आ गया है, अब किसी को आज्ञा नहीं है । अब मंत्री जी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 125–128 पर)

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में नदियों की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

*2–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद की 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में गर्रा नीलम, रामगंगा, कुंडा गंगा नदियां बहती हैं जो प्रतिवर्ष सैलाब सेगांवों का कटान कर देती हैं जिससे लोग बेघर बार के हो जाते हैं ? क्या सरकार उनके पुनर्वासन हेतु कोई वैकल्पिक स्थाई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद हरदोई की 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में गर्रा, नीलम, रामगंगा, कुंडा एवं गंगा नदियां बहती हैं । जिनमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर इन नदियों के किनारे बसे ग्रामों में कटान होता है । बाढ़ की स्थिति प्रायः प्रतिवर्ष नहीं होती है । उक्त नदियों से कुल 151 ग्राम प्रभावित होते हैं जिनमें से 22 ग्रामों में कभी-कभी कटान होती है, क्योंकि नदियों की धाराओं में परिवर्तन होता रहता है । प्रभावित होने वाले क्षेत्र उक्त ग्रामों में साण्डी से लेकर गंगा नदी तक लगभग 25 कि०मी० और उत्तर पश्चिम में गोरिया से लेकर दक्षिण पूर्व कुसुमखोर तक 35 कि०मी० में स्थित है । बाढ़ आने पर उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो जाता है । कटान होने वाले उक्त 22 ग्रामों में निवास करने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास उक्त 35 कि०मी० क्षेत्र के बाहर ही सम्भव हो सकता है । जो न व्यवहारिक है न ही बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति इसके लिये सहमत होते हैं । उक्त कटान वाले ग्रामों के निवासियों के आवासीय मकान अस्थायी रूप पतवार व लकड़ी आदि के बने होते हैं तथा बाढ़ की स्थिति में प्रभावित होने पर वहां के निवासी स्वतः ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं । कभी-कभी प्रभावित होने वाले उक्त क्षेत्र के निवासियों की कृषि भूमि है इसलिये वे अन्यत्र पुनर्वास की आवश्यकता नहीं समझते और न ही इस प्रकार की मांग कभी भी उनके द्वारा की गयी है । इस प्रकार स्थायी पुनर्वास की न तो आवश्यकता है और न ही कृषि भूमि से दूरी अधिक होने के कारण ऊंचे स्थान पर पुनर्वास कराना सम्भव ही है । पुनर्वास हेतु उक्त संबंध में कोई योजना नहीं बनायी गयी है ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये 22 गांव जो कट रहे हैं, यह कटने न पायें, क्या इसके लिये आप कोई व्यवस्था पत्थर आदि डालकर करेंगे ? आपने कहा कि प्रतिवर्ष सैलाब नहीं आता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि उस क्षेत्र में पांच नदियां बहती हैं तो कभी-कभी सभी नदियों में बाढ़ आती है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसी न किसी नदी में तो सैलाब अवश्य आता है, तो क्या उन निवासियों की सुरक्षा के लिये मोटर बोट आदि की व्यवस्था है या नहीं है ? नहीं है तो क्या करेंगे ? वहां जब बाढ़ आती है तो खेत भी कट जाते हैं और गांव भी कट जाते हैं, तो क्या उसके लिये सरकार कोई वायदा करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जैसा कि सम्मानित सदस्य ने बताया है कि हर साल बाढ़ आती है, तो इसमें जहां तक शासन के संज्ञान में जो आया है और मेरी जानकारी में जो आया है, उसके संबंध में 6 वर्ष के आंकड़े हमारे सामने हैं–87 से लेकर अब तक के । उसके अनुसार सन् 87 में बाढ़ नहीं आयी, 88 में बाढ़ आयी, 89 में बाढ़ नहीं आयी, 90 में आयी और 91 व 92 में बाढ़ नहीं आयी । इस प्रकार 6 साल में केवल दो बार बाढ़ आयी है और जब बाढ़ आती है तो सारा विभाग कन्सन्ट्रेट करता है कि जनता को सुविधायें प्रदान की जा सकें । जो लोग खर पतवार के घर बनाकर रहते हैं, बाढ़ आने पर वह स्वतः ही चले जाते हैं । किसान तो वहीं रहता है क्योंकि वहां पर उसकी जमीन है । मोटर बोट का जहां तक सवाल है, बाढ़ आने पर उसकी आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराई जाती है । जो भी अन्य सुविधाओं के बारे में माननीय सदस्य कहना चाहते हों मुझसे बैठकर बात कर लें ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारे जनपद का महत्वपूर्ण प्रश्न है । हमारी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, इसका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हमें भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं इसका समय हो गया है, अब आप बैठ जायं । मैं आगे का प्रश्न ले रहा हूं ।

(प्रश्न सं०–4 के लिये श्री बी० आर० वर्मा का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

*3–श्री बदन सिंह–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

पंचायती राज अधिनियम में यथास्थान आरक्षण का प्राविधान

*4–श्री बी० आर० वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संविधान संशोधन के मुताबिक पंचायती राज अधिनियम में क्या सरकार संशोधन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार पंचायती राज व्यवस्था में हर स्तर पर अनु० जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को आबादी के बराबर प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 23-4-94 तक पंचायती राज अधिनियम प्रदेश में लागू करने की बाध्यता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद–243घ के प्राविधानों के अनुरूप स्थानों के आरक्षण के संबंध में संशोधित अधिनियम में यथास्थान आरक्षण का प्राविधान विचाराधीन है। 23-4-94 तक संशोधन करने की बाध्यता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत वन्य जीव बिहार के मैलानी एवं पुवायां क्षेत्र में ग्रामीणों को जलौनी लकड़ी तथा घास फूस निकालने की अनुमति

*5–श्री चेतराम–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की वन रेन्ज मैलानी एवं पुवायां रेन्ज में सेन्चुरी रिजर्व फारेस्ट सरकार द्वारा घोषित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या जंगल के किनारे बसे ग्रामीणों को जलाने की लकड़ी, घर बनाने हेतु घास-फूस की काफी परेशानी हो गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वन क्षेत्र जो गांवों के किनारे है, में सेन्चुरी घोषित करने का कारण क्या है ? क्या जंगल के किनारे बसे उक्त ग्रामवासियों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार जलाने की लकड़ी, घर बनाने हेतु घास-फूस निकालने की छूट देगी ?

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

मैलानी एवं पुवायां रेंजों के केवल क्रमशः 31 प्रतिशत एवं पुवायां एवं 25 प्रतिशत क्षेत्र को ही सम्मिलित करते हुए वर्ष 1972 में किशनपुर वन्य जीव बिहार स्थापित किया गया है । शेष क्षेत्र से ग्रामीणों को घासफूस व जलौनी लकड़ी निकालने की अनुमति है ।

पर्यावरण पारिस्थितिक, प्राणिजात, पादपजात, भू-आकृतित्व, प्राकृतिक और प्राणितत्वीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण के उद्देश्य से इस क्षेत्र को वन्य जीव बिहार घोषित किया गया है ।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित, 1991 की धारा–29 के अनुसार वन्य जीव बिहार क्षेत्र से किसी भी प्रकार की वन उपज का निकालना पूर्णतया प्रतिबन्धित है अतः इसकी अनुमति प्रदान करना सम्भव नहीं है । किन्तु वन्य जीव बिहार के अतिरिक्त मैलानी एवं पुवायां रेंज के क्षेत्र से ग्रामीणों को जलौनी लकड़ी, घास-फूस निकालने की अनुमति है ।

श्री चेतराम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सूचनायें आपको दी गयी हैं वह बिल्कुल सत्य से परे हैं । मैं वहीं का निवासी हूं । मैलानी पुवायां रेंज का 80 प्रतिशत सेन्चुरी घोषित कर दिया गया है । हजारों ग्रामीण जो जंगल के बीच में रह रहे हैं उन्हें जंगल के बीच से निकलने के लिये मना किया जा रहा है । बीस दिन वहां के लोगों ने धरना भी दिया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जंगल के किनारे बसे हुए ग्रामीण लोगों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनको घर बनाने के लिये घास-फूस और जलाने के लिये लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, प्रश्न स्वतः बहुत स्पष्ट है जो क्षेत्र वन्य जीव बिहार घोषित किया गया है, उसमें से कोई भी वन्य उपज बाहर नहीं लेजाई जा सकती और उसके बाद बाकी क्षेत्र से लकड़ी व घासफूस बाहर निकालने की अनुमति है।

श्री नरेश अग्रवाल–

चूंकि हमारे माननीय सदस्य उस क्षेत्र से चुनकर आते हैं अतः वह वहां की ज्यादा जानकारी रखते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 21 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत क्षेत्र क्रमशः मैलानी एवं पुवायां क्षेत्र ही वन्य जीव बिहार के लिये लिया गया है तो क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि इसके अलावा जो क्षेत्र हैं उसमें से घासफूस व जलौनी लकड़ी निकालने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री भगवती सिंह–

मैंने शुरू में ही बहुत स्पष्ट कह दिया है कि इसके अलावा क्षेत्र से घासफूस व लकड़ी निकालने की अनुमति है।

जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर व भदोही में चकबन्दी कराने की मांग

*6–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के अन्तर्गत दो तहसील–ज्ञानपुर, भदोही में ज्ञानपुर नहर बनाये जाते समय जिन गांवों की जमीनें ली जा रही हैं, क्या उन गांवों में पुनः चकबन्दी करायी जायेगी ? यदि हां, तो कितने गांवों की चकबन्दी कराये जाने की मंशा सरकार की है? जिला स्तर से चकबन्दी कराये जाने हेतु किन-किन गांवों का प्रस्ताव आया है ? प्रस्ताव के मुताबिक सरकार कब तक चकबन्दी करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

गुणावगुण पर निर्णय लिया जायेगा।

परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

जिला स्तर से ज्ञानपुर तहसील के 36 व भदोही के 19 गांवों (सूची संलग्न) के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

प्रस्ताव को पुनः परीक्षण हेतु लौटा दिया गया था। प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों की सूची तहसील ज्ञानपुर भदोही भेजी गयी थी उनमें से कौन-कौन सी सूची पुनः परीक्षण के लिये लौटा दी गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

सारे गांव एक साथ चकबन्दी में नहीं लिये जा सकते हैं, जो सबसे पहले नम्बर पर आते हैं, उनको पहले नम्बर पर ले लेते हैं। इसकी डिटेल हम आपके पास भिजवा देंगे। जिस हिसाब से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपलब्धता होती है उसी हिसाब से कर लेते हैं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, ज्ञानपुर में सबसे पहले चकबन्दी सन् 1962 में हुई थी तथा बहुत से गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी पूरी नहीं हुई तो दुबारा चकबन्दी कराने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, वैसे तो चकबन्दी 20 साल बाद दुबारा कराई जाती है लेकिन यदि आवश्यकता हो तो 10 साल बाद भी चकबन्दी कराई जा सकती है। यह तब होगा यदि ग्रामवासियों की इच्छा हो और क्षेत्रीय

जनप्रतिनिधि सहमत हों । मैं ऊदल जी से कहना चाहूंगा कि उनको जो गांव प्रस्तुत करने हों सूची दे दें हम चकबन्दी करा देंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नसबंदी करायेंगे या चकबंदी करायेंगे ?

(हंसी)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ज्ञानपुर नहर में जिन किसानों की जमीनें गयी हैं क्या उनको चकबन्दी करते समय जमीनें दी जायेंगी ? दूसरे जिन किसानों की जमीनें गयी हैं और उनको मुआवजा नहीं मिला है तो क्या उनको मुआवजा दिलायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चकबंदी किसी को जमीन देने के लिये नहीं होती है । यह एक प्रक्रिया है जिसमें कृषकों की जमीन एक जगह इकट्ठा करके उनको दी जाती है ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि चकबन्दी प्रक्रिया में समय का निर्धारण नहीं किया गया है । बहुत से ऐसे गांव हैं जहां 20–22 सालों से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है और अभी पूरी नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न से संबंधित प्रश्न आप करें ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या चकबंदी प्रक्रिया में कोई समय निर्धारित करेगी कि इतने समय के अन्दर चकबंदी पूरी हो जाय ? दूसरा प्रश्न यह है कि चकबंदी के लिये गांवों के चयन की क्या प्रक्रिया है, उसका क्या मानक है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि चकबंदी की प्रक्रिया में विलम्ब होता है यह सही है । चकबंदी से संबंधित मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों में चले जाते हैं । जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता है तब तक पूरी प्रक्रिया रुकी रहती है । हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इसमें शीघ्रता हो । एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने पर विचार कर रहे हैं उससे इस प्रक्रिया में कुछ तेजी आयेगी । जहां तक गांवों के चयन का प्रश्न है गांवों का प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास आता है जिलाधिकारी उसका परीक्षण करके मुख्यालय भेजते हैं और यहां से चकबंदी करा दी जाती है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 129 पर)

जनपद महराजगंज की कचहरी में तदर्थ दैनिक मजदूरी पर कार्यरत व्यक्तियों को समायोजित करने का प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

*7–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि नवसृजित जिला–महराजगंज में कचेहरी के कार्यों में कर्मचारियों की कमी थी, जिसे दूर करने के लिये जिला प्रशासन ने अनुभव योग्यता के आधार पर तदर्थ तथा दैनिक मजदूरी पर रख कर कतिपय व्यक्तियों से काम लिया है ? क्या पद सृजन पर वर्तमान समय में सरकार उन्हें समायोजित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

सम्पूर्ण प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है अतः कोई टिप्पणी करना सम्भव न होगा।

(श्री शारदा प्रसाद जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं जहां पर नियमतः चकबन्दी नहीं होनी चाहिए । बनारस में रेमना गांव में बढ़ आती है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको मैंने नहीं बुलाया है । मैंने माननीय शारदा प्रसाद जायसवाल को बुलाया है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि आवश्यकता के अनुसार लोगों को सेवा में लिया गया है । माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में, किन-किन बिन्दुओं पर मा० उच्च न्यायालय में किन-किन लोगों ने वाद दाखिल किये हैं। दूसरा क्या उक्त पदों का सृजन शासन द्वारा कर दिया गया है ? यदि कर दिया गया है, तो उनको मानवीय आधार पर सेवा में समायोजित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह नया जिला जब बना, तो कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति जरूरत के अनुसार की गयी और जो शेष रह गये थे नियमित होने से, तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी और उससे संबंधित प्रक्रिया पूरी की पूरी न्यायालय में अब विचाराधीन हो गयी है, तो हम माननीय उच्च न्यायालय को इस संबंध में बता ही क्या सकते हैं ? इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के अलावा कोई और दिक्कत है, तो माननीय सदस्य हमें बता दें, लेकिन इस संबंध में पूरा मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इतना बता दें कि कितने पद सृजित हुए हैं ? दूसरे जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें से कितने लोग नियमित कर दिये गये हैं और जो अवशेष हैं, उनके स्थान पर कितने लोगों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरा आपसे और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित है, उससे संबंधित हम कोई बात कहने की स्थिति में नहीं हैं, उससे अलग जो बात हो, उसके संबंध में हम और आप बैठ कर बात कर लें और शंका का समाधान हो जाय ।

*8–श्री विजय सिंह–

[4थे मंगलवार में तारांकित प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पंचायती राज संशोधन के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभाओं के परिसीमन का कार्य विचाराधीन

*9–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संविधान में पंचायती राज संशोधन के परिप्रेक्ष्य में क्या ग्राम सभाओं के परिसीमन का कार्य विचाराधीन है ? यदि हां, तो परिसीमन की रूपरेखा क्या है ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

परिसीमन की रूपरेखा संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद–243ग (1) व (2) के अन्तर्गत शासन में सम्प्रति विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि ग्राम सभाओं का गठन कितनी आबादी के आधार पर किया जायगा, इसीलिए परिसीमन संबंधी प्रश्न मैंने पूछा है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विचाराधीन है, परिसीमन के संबंध में, इसमें कितनी आबदी का आधार बना रहे हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी, हमारे गुरू रह चुके हैं । इसमें मान्यवर, जब मैंने कहा कि यह विचाराधीन है, तो इसमें मैं और क्या बता दूं ?

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मानयवर, गुरू गुर रह गये और चेला शक्कर होगये ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी आबादी के आधार पर ग्राम सभाओं का ये गठन कर रहे हैं, जिसके अन्तर्गत परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जानी है ?

श्री अध्यक्ष–

आप यह बता दें कि कितनी जनसंख्या पर आप ग्राम सभा का गठन करने जा रहे हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया था कि विचाराधीन है, मैं कैसे बता दूं कि कितनी आबादी पर होगा ? यह बहुत जल्दी ही सदन में आने वाला है, सारे लोग अवगत हो जायेंगे अगर इनको सूचना की बहुत जरूरत है तो मुझसे मिल लें, अकेले में मिल ले तो मैं बता सकता हूं ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 10 पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने की अनुज्ञा मांगने पर)

अगर आपकी ज्यादा जिज्ञासा है तो आप लिखकर दे दीजिएगा मैं विचार कर लूंगा ।

(घोर व्यवधान)

मेरी बात तो सुन लीजिए, आप लोग बैठ जाइये । मैंने निवेदन कर दिया था कि अगर यह बात महत्वपूर्ण है, आप समझते हैं तो आप लिखकर दे दीजिए मैं विचार कर लूंगा ।अगर आवश्यकता हुई तो नियम 49 में दे दीजिएगा, मैं विचार कर लूंगा, इस पर शोर क्यों कर रहे हैं ।

(डा० सरजीत सिंह डंग के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हैं, आप कृपा करके बैठ जायं आप कल वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, थोड़ा समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

बिल्कुल नहीं, जो मैंने व्यवस्था दे दी, वह दे दी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 12 बजने जा रहे हैं, इनको कह दें बैठें ।

(व्यवधान)

ग्राम सभाओं के आगामी चुनाव में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण का विचाराधीन प्रकरण

*10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभाओं के आगामी चुनाव कब कराये जायेंगे ? क्या उक्त चुनाव, वर्तमान गांव पंचायत क्षेत्र के आधार पर ही होंगे ? यदि नहीं, तो क्या उनका दुबारा परिसीमन किया जायेगा ? यदि हां, तो परिसीमन में एक गांव पंचायत क्षेत्र की न्यूनतम आबादी क्या रखी जायेगी ? कया महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित क्षेत्र का सिद्धान्त तय किया गया है ?

श्री राम लखन वर्मा–

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के परिप्रेक्ष्य में उ० प्र० के पंचायत राज अधिनियम के प्रख्यापित होने के उपरान्त ग्राम सभाओं के आगामी चुनाव कराये जायेंगे ।

जी नहीं ।

संशोधन के बाद नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

विचाराधीन है ।

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्राविधानों के अनुरूप आरक्षण हेतु निर्धारित किया जाने वाला सिद्धान्त विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्री जी से 2 प्रश्न का उत्तर चाहता हूं । आपने प्रश्न के प्रथम खण्ड में कहा है कि उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम के प्रख्यापित होने के उपरान्त ग्राम सभाओं के आगामी चुनाव कराये जायेंगे तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई समयावधि तय की है कि जब संशोधन की सभी प्रक्रिया पूरी करके चुनाव करा दिये जायेंगे यदि हां तो कृपया वह समयावधि बता दें कि इस महीने तक चुनाव करा देंगे ?

दूसरा प्रश्न यह है कि समाचार पत्रों में आपने देखा होगा और कहेंगे तो मैं भी बता दूंगा, यह आप सदन में बताने की कृपा करें । मेरा दूसरा प्रश्न गम्भीर है और महत्वपूर्ण है । समाचार पत्रों में आपके बयानों से जानकारी मिली है कि इस संबंध में कोई समिति का गठन आपने किया है और आपने समिति की आख्या की परीक्षा कर ली होगी तो मैं जानना चाहता हूं कि जो समिति मंत्रिमण्डल की गठित हुई थी माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी उसके अध्यक्ष थे तो क्या कोई उसकी अन्तिम रिपोर्ट अथवा अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है यदि हां, तो उसके मुख्य अंश क्या हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो जानना चाहा है उसमें समय 24-4-94 तक उसे अवश्य पूरा कर लेना है ।

(घोर व्यवधान)

दूसरा माननीय गुप्ता जी ने जो प्रश्न किया है कि इसकी समिति गठित हुई है, यह बात सही है। संसदीय कार्य मंत्री वर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं, रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई है, बिन्दुओं पर विचार हो रहा है, उसको सदन में बताना उचित नहीं है जब तक उसका डिसीजन नहीं हो जाता है। समिति गठित हुई और यह भी सही है कि उसके अध्यक्ष माननीय वर्मा जी हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समिति गठित की है लेकिन यह विषय पूरे प्रदेश का विषय है केन्द्र सरकार की मंशा यही है जो अनुचित नहीं है बल्कि उचित ही है। तो क्या उस समिति के कार्यकाल को बढ़ाकर आप अन्य दलों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल कर लेंगे जिससे उस पर उचित और स्पष्ट राय आ सके ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, तिवारी जी के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। मैं भी इस बात को जरूर चाहता हूं और अनुरोध करूंगा कि सारे प्रतिनिधियों को जो अन्य दलों के नेता हैं, उनको लेकर किया जाय या जो व्यवस्था होगी, मैं उनके सुझाव से सहमत हूं। माननीय गुप्त जी, तिवारी जी, वर्मा जी, उनसे हमको सहयोग मिलेगा, उनका स्वागत करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय तिवारी जी के प्रश्न पर जो सदशयता व्यक्त की है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं लेकिन एक बात का कुछ भ्रम है उसके बारे में जानना चाहता हूं कि आपने कुछ तिथि बतायी थी जो हम सुन नहीं पाये शायद 93 कहा था।

श्री राम लखन वर्मा–

मैंने 94 कहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अब मैं बजाय सवाल करने के यह सूचना देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने समाचार पत्रों में यह बयान दिया है, व्यक्तिगत वार्ता में कहा है कि उस कमेटी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है और अभी सदन में उत्तर दिया है कि रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। मैं माानीय मंत्री जी को विशेषाधिकार की सूचना देता हूं, लिखित सूचना भी आपको दूंगा।

(व्यवधान)

मैंने कहा है व्यक्तिगत वार्ता में भी कहा है, अखबार में भी कहा है, मैंने दोनों का इस्तेमाल यहां किया है। मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि वह रिपोर्ट शासन को मिल गयी है। आप उसका उत्तर दे सकते थे कि हमने अभी उसका परीक्षण नहीं किया है, जो भी उत्तर देते लेकिन आपने यह कहकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है जो अभी आपने जानकारी दी है जो प्रश्न का उत्तर दिया है जो नाम लिया या अन्य जिन नेताओं को आपने निमंत्रित करना चाहा, वह आपका अपना विवेक है। इस बारे में कोई बैठक कर औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया कब तक पूरी कर लेंगे ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने जो कहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप ठीक कह रहे हैं, आपके मूंह में घी शक्कर, शीघ्र ही मैं उधर ही आने वाला हूं।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर,चूंकि जब यह लोग इधर थे तो कुछ कर नहीं पाये । अब हम लोग कुछ कर रहे हैं तो वह करने नहीं दे रहे हैं । मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं और गांव का बेटा हूं । इनको पंचायत राज के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी । लेकिन इन्होंने जो कहा कि जो बयान छपा हैं तो न मैंने कोई अपना बयान दिया है, न गोष्ठी की है, न वार्ता की है । माननीय गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि इसके लिए कब बुलवाया जायेगा तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे बुलवा लें ।

श्री सत्य प्रकाश–

मान्यवर, 1991-92 से यह विचार चल रहा है, समिति गठित कर दी गयी है । मैं यह जानना चाहूंगा कि यह समिति केवल समिति ही रह जायेगी ? यह अपनी संस्तुतियां कब तक प्रस्तुत करेगी ? मान्यवर, सम्भल मुरादाबाद जिले में आता है, मुरादाबाद की आबादी 56 लाख है, और 100 किलोमीटर मुरादाबाद जिले से सम्भल है, यहां की जनसंख्या पांच हजार है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह समिति केवल समिति ही रह जायेगी या फिर कार्य भी करेगी, और यह अपनी संस्तुतियां कब तक पेश करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, नये जिलों के सृजन में कुछ बातें इनवाल्व होती हैं, जैसे वह मानक पूरा करती हो, उसमें वित्तीय संसाधन हों । आपकी जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि एक नये जिले को बनाने के लिये 100 करोड़ रुपया और 200 करोड़ रुपया एक जनपद के सृजन में व्यय होता है । इस समय चार नये जिले सृजित हो चुके हैं । चार पर काम चल रहा है, दो में काम लगा हुआ है और दो का मुख्यालय तय नहीं हुआ है । इस तरह से आठ पेंडिंग पर हैं । इस प्रकार आठ जिलों के लिये आठ सौ करोड़ रुपया लगेगा । इसके बाद भी हम नये जिले सृजित करेंगे तो वित्तीय हालत क्या होगी ? वैसे माननीय सदस्य की चिन्ता सही है, उनकी मांग भी सही है । जब विकेन्द्रीकरण चाहते हैं तो उसके साथ-साथ हमें वित्तीय संसाधन भी देखने होंगे । मान्यवर, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर और मऊ में काम चल रहा है, उसके लिये बहुत सी धनराशि की आवश्यकता है, सोनभद्र और कानपुर में काम शुरू करना है, भदोही और पड़रौना की घोषणा हो गयी है । इसकी घोषणा अभी हमारे माननीय नेता सदन ने की है,.....

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में कहें ।

श्री बाबू राम यादव–

अभी फिलहाल यह संभव नहीं है । जो समिति की बैठक की बात कही गयी, तो समिति बैठक कर रही है लेकिन उसमें बहुत सी चीजें हैं जैसे प्रदूषण की जानकारी करनी होगी । अन्डरग्राउन्ड वाटर की जानकारी करनी होती है, तो यह एक साथ नहीं हो सकती है । समिति की बैठकें हुई हैं अगर आप चाहेंगे कि उनका क्या कार्यवृत्त रहा तो आप मेरे पास आयें मै आपको दिखा दूंगा ।

मुरादाबाद मण्डल में सम्भल को जनपद बनाये जाने की मांग

*11–श्री सत्य प्रकाश तथा श्री समरपाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 91-92 में मुरादाबाद मण्डलायुक्त द्वारा सम्भल को जिला बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सम्भल को जिला बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर सम्भल को जिला बनाने पर विचार करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । सम्भल को जिला बनाने के संबंध में प्रकरण अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति को संदर्भित किया गया है । उक्त समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

(तारांकित प्रश्न संख्या–12 पुकारे जाने पर)

श्री समरपाल–

मान्यवर, मुरादाबाद बहुत बड़ा जिला है, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिला दें । मुरादाबाद का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है । इसको दो भागों में बांटते हुए सम्भल को जिला बनाने के संबंध में क्या औपचारिकतायें पूरी की गयी हैं और अब तक कि क्या उपलब्धियां हैं ? डी० एम०, एस० एस० पी० से बात की जाती है तो वह कहते हैं कि शासन स्तर पर ही इसके लिये वार्ता जी जानी चाहिए ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपकी अनुमति से सवाल तो समाप्त हो गया था, आपकी आज्ञा है तो बताये देता हूं कि सम्भल को जिला बनाने के लिये कार्यवाही चल रही है और समिति बैठक कर रही है । इस प्रदेश के बहुत पुराने और वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं उन्होंने मीटिंग भी की है दुबारा मीटिंग फिर करने वाले हैं जैसे ही उसकी रिपोर्ट आयेगी हम माननीय सदस्य को जरूर बतायेंगे ।

जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा को जनपद बनाने की मांग

*12–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर की तहसील महोबा को जिला बनाये जाने की कोई योजना शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक उक्त योजना पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । जनपद हमीरपुर को विभाजित कर नया जिला महोबा बनाये जाने का प्रकरण अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित किया गया है । उक्त समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अरिमर्दन सिह–

मैं जानना चाहता हूं कि महोबा को जिला बनाये जाने के संबंध में कब तक कार्यवाही पूरी हो जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जो समिति विचार कर रही है सम्भल के बारे में वही आपके जिले का भी परीक्षण कर रही है । राजस्व परिषद् के जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में यह समिति है उसमें 6 लोग हैं यह सारे लोग परीक्षण कर रहे हैं उसकी बैठकें हो रही हैं रिपोर्ट आ जाने पर कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हमारे प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री ने महोबा जाकर इस बात की घोषणा कर दी थी कि जैसे ही वे कुर्सी पर आयेंगे महोबा को वह जिला बनाने की घोषणा करेंगे क्या यह बात माननीय मंत्री जी की जानकारी में है ? दूसरी बात यह है कि राजस्व परिषद् को जो प्रकरण भेजा गया है क्या समयबद्ध तरीके से उस पर निर्णय करने के लिये अपने स्तर से प्रयास करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सम्मानित वर्मा जी ने कहा कि माननीय नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है, शासन के संज्ञान में यह बात नहीं है । माननीय वर्मा जी को आश्वस्त करना चाहूंगा नेता सदन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अगर घोषणा कर देंगे जिला बनाने की तो उसी दिन से जिला बनने लग जायेगा ।

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत को जनपद बनाने की मांग

*13–श्री बची सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत व तहसील भिकियासेंन को मिला कर मानकों को शिथिल करते हुए नया जिला रानीखेत गठित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव-

जनपद अल्मोड़ा को विभाजित करके नया जनपद रानीखेत सृजित किये जाने के प्रस्ताव को अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित किया गया है । समिति की संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है । उक्त उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति प्राप्त हो जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माानीय मंत्री जी की जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि रानीखेत को जनपद बनाये जाने की जो मांग आयी है, आप पिछली तीस जनवरी को राज्य पुनर्गठन कमेटी की जो मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी थी उसमें आप पहुंचे थे अल्मोड़ा, वहां हर जगह से मांग आयी । पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक विशालता के कारण, जो अलग जिला बनाये जाने के संबंध में मानक बने हैं उसमें जनसंख्या, थाना का आधार है, पर्वतीय क्षेत्र में स्थिति भिन्न है ।

पहला प्रश्न यह है कि क्या पर्वतीय क्षेत्र की दुर्गमता और विशालता को देखते हुए जनसंख्या का जो मानक है, उसको यह सरकार शिथिल करेगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने आदेश से जिलों के परिसीमन के लिये कहा है, उस संबंध में जिन नये जिलों की मांग उठ रही है, उन जिलों के लिये आयुक्त, कुमाऊं मंडल की अध्यक्षता में गठित कमेटी को परिसीमन के लिये सरकार मामला संदर्भित करेगी । तीसरा प्रश्न यह है कि जो मामला राजस्व परिषद् को संदर्भित किया गया है, उसके संबंध में कोई सूचना या समयबद्ध कार्यक्रम यहां पर सरकार घोषित करेगी कि कब तक राजस्व परिषद् से कार्यवाही पूरी हो जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जहां तक पहाड़ी जिलों में मानक शिथिल करने की बात है, वह प्रश्न बहुत ही समीचीन है और जनसंख्या का आधार पहाड़ी जिलों के संबंध में नहीं लिया जाना चाहिए । लेकिन हमारे दल के चुनाव घोषणा-पत्र में उत्तराखण्ड बनाने की बात पहले ही कही गयी है और उसके लिये एक कमेटी भी बनी है, जिसकी बैठकें हो गयी हैं, माननीय सदस्यों से भी बातचीत हो गयी है । जब उत्तराखण्ड बनने ही जा रहा है, जब सम्पूर्ण राज्य ही बन जायेगा, उसके बाद चाहे जितने जिले बना लीजयेगा ।

श्री रमेश पोखरियाल निशंक–

मान्यवर, आप नये विधायकों को सुनते नहीं हैं, उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं, इस अव्यवस्था के विरोध में मैं बहर्गिमन करता हूं ।

(श्री रमेश पोखरियाल निशंक सदन त्याग कर चले गये ।)

*14–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

क्षेत्र प्रमुखों (ब्लाक प्रमुख) का चयन जनता द्वारा किये जाने की मांग

*15–श्री मित्रसेन यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्र प्रमुखों (ब्लाक प्रमुख) का चयन प्रधानों द्वारा न कराकर सीधे जनता द्वारा कराने में शासन को क्या कठिनाई है ? क्या सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई प्रकरण विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद–243ग (5) (ख) के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा ।

जी नहीं ।

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्राविधानों के अनुपालन करने की बाध्यता है ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने संविधान का सहारा लिया है । मेरा तो सीधा सा प्रश्न था कि जो क्षेत्र प्रमुख/ब्लाक प्रमुख होते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और मंत्री जी ने कह दिया कि संविधान के अन्तर्गत बाध्यता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का संविधान में संशोधन करेंगे, जिससे ब्लाक प्रमुखों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो । क्योंकि ब्लाक प्रमुख के चुनाव में बहुत से प्रभावशाली लोग प्रधानों को उठा ले जाते हैं, जिससे चुनाव सही नहीं हो पाता और हमारा सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि ब्लाक प्रमुखों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने के बारे में पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन करने पर क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं और भावनाओं से परिचित हूं, माननीय सदस्य बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि संविधान की बाध्यतायें हैं, इसलिये उससे हटकर कोई निणर्य नहीं ले सकते । वैसे माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह सही है और इस विषय पर सम्मानित नेतागणों के साथ बैठकर विचार कर लिया जायेगा, उसमें सभी बातें आ जायेंगी, सुझाव भी आ जायेंगे, फिर विचार कर लिया जायेगा ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज तथा धर्मापुर के निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान के नियमित भुगतान की मांग

*16–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में कितनी बेसहारा विधवाओं को आर्थिक सहायता एवं पेंशन वर्तमान समय में मिल रही है ? क्या यह सच है कि बेसहारा विधवाओं ओर विकलांगों को यह सहायता नियमित रूप से नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो क्यों ? सम्प्रति उसका भुगतान कब से कब तक किया जा चुका है ?

श्री राज बहादुर–

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर में 280, मुफ्तीगंज में 187 तथा धर्मापुर में 278 निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकतानुरूप धनराशि की समय से व्यवस्था न हो पाने के कारण ।

वर्ष 1992–93 की अप्रैल, 92 से सितम्बर, 92 तक का भुगतान किया जा चुका है तथा वर्ष 1992–93 की अवशेष अवधि के भरण पोषण अनुदान के विवरण हेतु धनावन्टन जनपद को उपलब्ध करा दिया गया है ।

वर्ष 1993–94 के भुगतान की स्थिति ज्ञात की जा रही है ।

*17–श्री समर पाल सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बरेली स्थित आई० आर० टी० (इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन) कम्पनी पर वन विभाग की बकाये धनराशि का विवरण तथा नकद भुगतान पर लीसा का दिया जाना

*18–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० आर० टी० (इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन) कम्पनी पर वन विभाग की कोई धनराशि बकाया हैं ? यदि हां, तो कितनी और कब से ? क्या यह भी बतायेंगे कि इसकी वसूली हो जाने तक, क्या शासन इन्हें लीसा देना बन्द करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां, आई० आर० टी० कम्पनी, बरेली पर वर्ष 1965–66 से 1992–93 तक कुल रुपये 7,26,11,528.56 की धनराशि बकाया है ।

जी नहीं ।

लीसा न दिये जाने से कम्पनी के बन्द होने एवं उसमें कार्यरत कर्मचारी/श्रमिकों के बेरोजगार होने से उत्पन्न समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में कम्पनी को लीसा आवंटित किया जाना आवश्यक है । वर्ष 1993–94 से केवल नकद भुगतान पर ही लीसा दिया जा रहा है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहूंगा कि आई० आर० टी० की दो वर्षों की रिपोर्ट भी सदन में दो दिन पहले भी पेश की गई है और बराबर उसका यही अर्थ निकला है कि आई० आर० टी० घाटे में चल रही हैं । प्रत्येक वर्ष घाटा बढ़ता चला जा रहा है और 7 करोड़ से अधिक की धनराशि उसके ऊपर लीसा का बकाया है । मान्यवर, निगमों को बन्द किया जा रहा है, जो घाटे में चल रही हैं और एक शासन के ही विभाग का लीसा दूसरे अर्द्ध शासकीय कम्पनी को दे करके कितना बड़ा नुकसान प्रदेश सरकार का किया जा रहा है । इसको रोकने के लिये माननीय मंत्री जी क्या करेंगे ? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि लीसा न मिलने के कारण कितनी संख्या में ऐसी यूनिट्स हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में दे रहे हैं, कितने बन्द पड़े हुये है और कितना लीसा इस समय विभाग के पास बिना बिका हुआ इसलिए पड़ा हुआ है कि वह लीसा वितरित नहीं किया जा रहा है कितनी कम्पनियां बन्द है और क्या उनको भी लीसा पंजीकृत करने के बारे में सरकार विचार करगी? या नहीं, यह बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, माननीय डंग साहब वनमंत्री रहे हैं और जो रुपये 7,26,11,528.56 पैसे का कर्जा है उस कर्जे को बढ़ाने में आपका विशेष योगदान रहा है जिसकी वजह से मान्यवर, इतना कर्जा बढ़ गया है । इस संस्था में तमाम श्रमिक काम कर रहे हैं और उनको बेरोजगार नहीं किया जा सकता है । इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि इस संस्था से कर्जे की भी व्यवस्था हो जाये, यह चलता भी रहे, और श्रमिकों को काम भी मिलता रहे, इस दृष्टि से शासन इसे चलाने का प्रयास कर रहा है । जहां तक लीसा आवंटन की बात है । लीसा आवंटन की एक प्रक्रिया है जिसमें 60 प्रतिशत आई० आर० टी० को दिया जाता है, 5 प्रतिशत कुमायूं विकास निगम को, 5 प्रतिशत गढ़वाल विकास निगम को, 5 प्रतिशत पी० सी० एफ० को, 5 प्रतिशत खादी बोर्ड कमीशन को दिया जाता है और जो 20 प्रतिशत बचता है वह नीलाम किया जाता है । मान्यवर, जो यूनिटें वन विभाग में रजिस्टर्ड हैं उनको यह अधिकार है कि वही बोली बोलें । जिन संस्थाओं का मैंने अभी जिक्र किया उन्हें इसमें शामिल होने का अधिकार नहीं है । बीस परसेन्ट को ही जो आवंटित संस्थायें हैं उनको नीलामी में दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोटः–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश के मैदानी जिलों में बनरोज/नीलगाय को मारने हेतु अनुज्ञा-पत्र का जारी किया जाना

*19–श्री ओम प्रकाश सिंह–(अनुपस्थित)

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मैदानी जिलों में बनरोज/नीलगाय नामक जानवर बड़े पैमाने पर गांव में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो इन जानवरों से किसानों को फसल की क्षति से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है ? क्या सरकार इन जानवरों को मारने की छूट किसानों को देगी ? क्या सरकार इन संरक्षित जानवरों द्वारा क्षति पहुंचायी गयी फसल को बीमा योजना में सम्मिलित करेगी ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

प्रदेश के मैदानी जिलों से उक्त जानवरों द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं ।

वन रोजो से कृषि फसलों को क्षति से मुक्ति दिलाने के लिये शासन द्वारा इन जानवरों को मारने के लिये अनुज्ञा-पत्र (परमिट) जारी करने के लिये सम्बन्धित क्षेत्रीय बन संरक्षकों को अधिकार प्रदत्त कर दिये गये हैं ।

ऐसे सभी किसानों को जिन्हें अपनी फसलों की रक्षा हेतु वनरोजों को मारने की आवश्यकता हो, वे इसके लिये अपने आवेदन पत्र संबंधित जिला अधिकारी/प्रभारी वनाधिकारी (प्रभागीय निदेशक)/वन संरक्षकों को देकर इन जानवरों को मारने के लिये अनुज्ञा-पत्र बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं ।

नीलगायों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 (यथा संशोधित 1991) के अन्तर्गत नियंत्रित करने का प्राविधान है, अतः फसल बीमा योजना के अन्तर्गत इन संरक्षित जानवरों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*20–श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों का प्रकरण, मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन

1–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन निगम कर्मचारी कल्याण संघ, उ० प्र० ने पत्रांक-78/आन्दोलन/क०स०/992, के माध्यम से दिनांक 15 नवम्बर, 1992 से सरकार को यह अवगत कराया था कि प्रबन्ध निदेशक, वन निगम ने लगभग 3000 कर्मचारियों को एक मुश्त सेवामुक्त करने के आदेश जारी करके विषम स्थिति उत्पन्न कर दी है ? क्या प्रबन्ध निदेशक, वन निगम के उक्त आदेशों को निरस्त करते हुए मा० उच्च न्यायालय एवं मा० उच्चतम न्यायालय ने छटनीशुदा कर्मचारियों को 19 सितम्बर, 1994 तक पुनः नियमित करने के आदेश जारी किये थे ? क्या मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है और उक्त आदेशों के अनुपालन में छटनीशुदा कर्मचारियों को नियमित करने में विलम्ब क्यों एवं किस स्तर पर हो रहा है ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

यह प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद गोण्डा की तहसील–बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड–हरैया सतघरवा के गांव बरहवा के पीड़ित व्यक्तियों की समस्या को दूर करने की मांग

2–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हरैया सतघरवा का एक समूचा गांव ''बरहवा'' धोबौनिया एवं हगनी नामक पहाड़ी नालों की बाढ़ से बुरी तरह त्रस्त है और गांव की पचास एकड़ भूमि कट कर बह चुकी है तथा इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा शिकायत किये जाने पर एक जांच भी हुई थी ? यदि हां, तो उक्त जांच का निष्कर्ष क्या है ? उपरोक्त समस्या के निवारण हेतु क्या उपाय किए गये हैं व पीड़ित व्यक्तियों को क्या राहत दी गई है ? यदि जांच अधूरी है तो कब तक पूरी होगी व नालों की कटान से उक्त गांव को बचाने के लिए क्या उपाय कब तक पूरे कर लिए जायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हरैया सतघरवा का गांव बरहवा के छिट-फुट पूरवों मे आबादी बसी है । गांव से होकर हगनी–भटपुरवा, धोबैनिया नाले बहते हैं । बरसात के दिनों में पहाड़ी वर्षा का पानी नालों में आने पर यह भर जाते हैं किन्तु शीघ्र ही पानी उतर जाता है । बरसात के मौसम में भी इन नालों का पानी आबादी तक नहीं पहुंचता है, और बाढ़ जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है । उपरोक्त नालों द्वारा ग्राम की 50 एकड़ भूमि नहीं अपितु गत कई वर्षों में धीरे-धीरे धोबैनिया नाला के लगभग 9 एकड़ और हगनी नाला से लगभग 11 एकड़ (कुल 20 एकड़) भूमि कटी है । ग्रामवासियों द्वारा आबादी के पुनर्वासन हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ।

जांचोपरान्त यह तथ्य सामने आया था कि उपरोक्त अंकित कटान से आबादी की कोई भी कटान नहीं हुई है । इसलिए पुनर्वासन की तत्काल आवश्यकता नहीं पाई गयी । कटान से प्रभावित प्रत्येक सभी कृषक सवा तीन एकड़ से कम भूमि के काश्तकार हैं, जो मालगुजारी से छूट की सीमा में हैं । कटान क्रमशः होने से भुखमरी की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने तथा किसी आबादी का मकान न कटने से अहैतुक सहायता अथवा गृह अनुदान के कोटि में न आने से इस तरह की कोई सहायता नहीं दी गयी । नाले के कटान से उक्त गांव सभा की आबादी प्रभावित न होने के कारण आबादी को बचाने की फिलहाल कोई समस्या नहीं है ।

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही के ग्राम सभा जगता के ग्राम–रजईपुर में सीताराम, राजबली व इन्द्रजीत आदि के नाम आराजी भूमि का दर्ज न किया जाने की शिकायत

3–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गांव रजईपुर गांव सभा जगला परगना भदोही तहसील भदोही जिला वाराणसी की आराजी नं०–148 के 3/4 हिस्से पर सीताराम, राजबली, इन्द्रजीत वगैरह 33 अपने बाप दादा के जमाने से आबाद हैं और आज तक आबादी भी दर्ज नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच जिलाधिकारी वाराणसी से करा कर इन गरीबों की आबादी दर्ज कराने का आदेश देगी ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम रजईपुर ग्राम सभा जगला तहसील व परगना भदोही जिला वाराणसी स्थित आराजी संख्या 148/1 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा 18 धूर श्रेणी 6 मद 2 में पशुचर भूमि (चारागाह) के खाते में दर्ज है

जो ग्राम सभा की भूमि है जिसमें सीताराम, राजबली, इन्द्रजीत आदि 50 व्यक्ति मकान, पशुशेड, कालीन धुलाई प्लान्ट, बैठका एवं सहन के रूप में 10 बीघा 19 विस्वा 8 धूर पर 5 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य से आबाद हैं, चूंकि उपरोक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है अतः चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हाने के उपरान्त वर्तमान नियमों के अन्तर्गत आबादी दर्ज नहीं की जा सकती ।

इसकी जांच तहसीलदार तथा परगनाधिकारी भदोही से कराई गयी । प्रश्नगत भूमि चारागाह की भूमि (सार्वजनिक उपयोग हेतु) चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत विशेष प्रयोजन से छोड़ी गयी है जिस पर वर्तमान नियमों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति विशेष को कोई स्वामित्व प्रदान नहीं किया जा सकता है, और न ही आबादी दर्ज की सकती है ।

जनपद बरेली स्थित उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० शाखा में जनवरी, 1994 के प्रथम पखवारे में की गई जांच में दोषी सहायक प्रबन्धक तथा लेखाकार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

4–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० की बरेली शाखा में जनवरी, 1994 के प्रथम पखवारे में जिलाधिकारी बरेली के आदेश पर विशेष सघन जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच के फलस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राजबहादुर–

जी हां ।

जांच के फलस्वरूप स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना तथा स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत अप्रात्र व्यक्तियों को ऋण/अनुदान उपलब्ध कराना, अनुमन्य सीमा से अधिक अनुदान दिलाना, फर्जी पतों तथा फर्जी जाति/आय/बोरिंग प्रमाण-पत्रों के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने, कैशबुक की प्रविष्टियां अद्यावधिक न होने, वसूल की गई ऋण राशि को अपने पास रखने, तथा अभिलेखों का पूरा न करने के तथ्य प्रकाश में आये हैं । इन तथ्यों के आधार पर दोषी सहायक प्रबन्धक श्री राज कमल करौलीवाल व लेखाकार श्री मंगलू प्रसाद निशंक के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया गया है, उन्हें निलम्बित किया गया है, तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गयी है ।

5–श्री अरिदमन सिंह, तथा श्री राम आसरे वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

6–श्री रंगनाथ –

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड तुलसीपुर, हर्रैया सतघरवा एवं गैंसड़ी की वर्णित भूमि आरक्षित वन घोषित तथा वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता

7–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्डों क्रमशः तुलसीपुर, हर्रैया सतघरवा एवं गैंसड़ी के प्राकृतिक तराई वनों को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है ? क्या उक्त

"संरक्षित वन" की सीमा के अन्दर एवं निकटवर्ती ग्राम्यवासियों द्वारा सदैव ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता रहा है जो अब "संरक्षित" घोषित किये जाने के उपरान्त विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत संरक्षित वन से ईंधन हेतु लकड़ी प्राप्त करना प्रतिबंधित कर दिया गया है ? क्या इससे हजारों ग्रामवासियों को ईंधन की विषम समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? क्या उपरोक्त ग्राम्यवासियों को ईंधन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने से पूर्व तक उन्हें संरक्षित वन से ईंधन हेतु लकड़ी प्राप्त करते रहने की छूट व अनुमति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड तुलसीपुर, हर्रैया सतघरवा एवं गैंसड़ी की 38.829 हे० भूमि संरक्षित वन नहीं, अपुति पूर्व से ही आरक्षित वन घोषित है ।

जी हां । प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किये जाने के बाद वर्ष 1988 तक सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं सुविधाओं का उपयोग ग्राम्यवासियों द्वारा किया जाता था, परन्तु शासनादेश संख्या–5299/14-3-74-83, दिनांक 14-11-1988 के द्वारा उक्त विकास खण्डों के अन्तर्गत पड़ने वाली तुलसीपुर, बरहवा तथा बनकटवा रेंज का सम्पूर्ण क्षेत्र "सुहेलवा वन्य जीव बिहार" घोषित कर दिया गया है। वन्य जीव बिहारों में यथासंशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा 29 के द्वारा विदोहन पर प्रतिबन्ध लग गया है ।

जी नहीं । राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व बाजार में अनेक वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध है ।

जी नहीं । ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था सौर ऊर्जा, गोबर गैस प्लान्ट आदि के रूप में उपलब्ध हैं ।

8–श्री रिजवान जहीर खां–

[दूसरे मंगलवार में अता० प्र० सं० 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

9–श्री गजाधर सिंह–

[दो विभागों से संबधित होने के कारण निरस्त]

नवसृजित भदोही जनपद का कार्य शीघ्र कराने की कार्यवाही

10–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (नवसृजित) भदोही जनपद ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो कब तक यह जनपद कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं, नये जनपद का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद की ग्राम समाज की भूमि पर जनपद गाजियाबाद व मेरठ के निवासियों के आवंटन में अर्न्तग्रस्त तत्कालीन लेखपाल, भू–लेख निरीक्षक, तहसीलदार व परगनाधिकारी के विरुद्ध वाद के निर्णयोपरान्त कार्यवाही का किया जाना

11–श्री गजराज सिंह

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ग्राम दारानगर एहतमाली, तहसील–धनौरा, जनपद–मुरादाबाद की ग्राम सभा/समाज की भूमि का विगत दो वर्षों (91 व 92) में अनियमित रीति से आवंटन किया गया है ? क्या यह भी सही है कि इन आवंटियों में से अधिकांश ग्राम लोधीपुर छपका, तहसील–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद–गाजियाबाद के मूल निवासी व एक ही वर्ग के हैं ? यदि हां, तो क्या इस अनियमित आवंटन को निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अनियमित कार्यवाही के लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

इनमें से अधिकांश आवंटी जनपद गाजियाबाद तथा मेरठ के निवासी हैं ।

इस अनियमित आवंटन को निरस्त करने के लिए धारा 198 (4) के अन्तर्गत वाद अपर जिलाधिकारी (अर्बन सीलिंग) मुरादाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है । आवंटन की प्रक्रिया में तत्कालीन लेखपाल श्री रामसेवक, भू–लेख निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश, तहसीलदार श्री सी० डी० शर्मा एवं परगना अधिकारी श्री राजबीर सिंह यादव अर्न्तग्रस्त पाये गये हैं । उक्त वाद के निर्णय के उपरान्त ही संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जौनपुर के ब्लाक–जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में वृद्धावस्था पेंशन देने का मापदण्ड

12–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक–जलालपुर मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में वर्ष 1990 से 1993 तक कितने व्यक्तियों को, कितनी धनराशि वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रदान की गई ? वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के मापदण्ड क्या हैं ? क्या उपर्युक्त पेंशन वितरण में इसका पालन किया गया ?

श्री राज बहादुर–

जलालपुर

वर्ष	लाभार्थियों की सं०	धनराशि
1990	419	191200.00
1991	515	525680.00
1992	27	9600.00
1993	296	201300.00

मुफ्तीगंज		
1990	392	179200.00
1991	410	492000.00
1992	26	9600.00
1993	385	160200.00
धर्मापुर		
1990	50	15000.00
1991	63	37800.00
1992	307	239900.00
1993	163	146700.00
मुफ्तीगंज		
1990	26	5200.00
1991	63	37880.00
1992	114	93700.00
1993	50	45000.00

वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने की निम्नलिखित पात्रतायें है:–

1–60 वर्ष से आयु या उससे अधिक आयु के ऐसे सभी व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य है जिसकी मासिक आय 225/– तक प्रति माह या उससे कम हो । ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन के लिये ऐसे व्यक्ति अर्ह हैं जो भूमिहीन होंगे अथवा उसके पास ढाई एकड़ तक भूमि हो, शहरी क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति पात्र हैं जिनकी मासिक आय समस्त स्रोतों से 225 रु० तक हो ।

2–ऐसे मामले जहां पति पत्नी दोनों पात्र हो वहां नये प्रकरणों में पति पत्नी में से एक ही को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जाय । महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाय । वर्तमान समय में जिन प्रकरणों में पति पत्नी दोनों को पेंशन मिल रही हो, पेंशन यथावत रखी जाय ।

3–यदि किस अन्य स्रोतों से पेंशन मिल रही है तो उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है ।

4–वर्तमान व्यवस्था में वृद्धावस्था पेंशन के लिए निराश्रित वह व्यक्ति है जिसकी आय का कोई साधन न हो तथा जिसका 20 वर्ष या उससे अधिक का कोई पुत्र/पुत्र का पुत्र (पौत्र) पति/पत्नी नहीं है और यदि है तो आर्थिक विपन्नता में है, या सहायता करने में असमर्थ है अथवा जीविकोपार्जन के लिए पूर्णतया अयोग्य है, अथवा सात वर्ष से अधिक समय से लापता है या साधू अथवा फकीर हो गया है, उसने अपने परिवार से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है, निराश्रित होने की शर्त इस सीमा तक शिथिल कर दी गयी है कि उसका लड़का या लड़के का लड़का (पोता) यदि स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है अथवा स्वयं की आय

225 रु० प्रतिमाह या उससे कम है और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी जोत ढाई एकड़ से कम है अथवा भूमिहीन है तो ऐसे व्यक्ति भी वृद्धावस्था पेंशन के पात्र होंगे ।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऐसे व्यक्ति को पात्र माना जाता है जो निर्धारित आय सीमा में आता हो, भले ही उसका अपना पक्का मकान हो ।

उपर्युक्त पेंशन वितरण में मापदण्ड का पालन किया गया ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति के चालकों हेतु संचालित यातायात वाहन योजना शासन में विचाराधीन

13–श्री श्रीराम सिंह

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के चालकों हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा एक लाभकारी योजना वाहन क्रय हेतु 1922-93 में संचालित की गई थी ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1993-94 से उक्त योजना बन्द है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब से शुरू होगी तथा कितने चालकों को वाहन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

वर्ष 1993-94 के लिए यातायात वाहन योजना–द्वितीय शासन के विचाराधीन है ।

जनपद व तहसील मेरठ के परगना कोताना के ग्राम–सुल्तानपुर हटाना के श्री मिक्की पुत्र श्री अभिराम के नाम आवासीय पट्टों का आवंटन फर्जी होना

14–श्री मित्रसेन यादव

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–सुल्तानपुर हटाना, परगना कोताना, तह०–बागपत मेरठ की खसरा नं०–408 (140गज) का आवासीय पट्टा श्री मिक्की पुत्र श्री अभिराम के नाम से हुआ था ? क्या उक्त पट्टेदार को उसके आवासीय पट्टा पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त भूमि का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बाद में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त पट्टे के संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–10/4/93 पी० एम० पी०/279166, दिनांक 8-6-93 शासन में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

श्री मिक्की पुत्र अभिराम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रधान मंत्री कार्यालय से उक्त पत्र उ० प्र० शासन द्वारा प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्य असत्य पाये गये थे तथा श्री मिक्की के पक्ष में कथित भूमि आवासीय आवंटन का पट्टा फर्जी है।

जनपद सोनभद्र की तहसील–दुद्धी के सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय की पेंशन तथा ग्रेच्युटी के शीघ्र भुगतान की मांग

15–श्री मंजूर अहमद एवं श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय, नायब तहसीलदार तहसील–दुद्धी, जिला सोनभद्र, फरवरी, 1993 में सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार निर्धारित अवधि के भीतर उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाले लाभ उन्हें उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री पाण्डेय के पेंशन सम्बन्धी पत्रादि वर्ष 1993 तक संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को अग्रसारित नहीं किये गये थे ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है ? क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वहां पर अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन संबंधी मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई नीति शासन द्वारा बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

अभी प्रश्नगत प्रकरण की प्रक्रियात्मक औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं। प्रकरण के निस्तारण हेतु रिट याचिका के अभिलेख वांछित हैं, प्राप्त होने पर कार्यवाही करके भुगतान किया जायेगा।

जी नहीं, श्री पाण्डेय के पेंशन संबंधी कागजात दिसम्बर, 1993 में ही सक्षम अधिकारी द्वारा भेज दिये गये थे।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की पेंशन संबंधी प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु वर्तमान में शासन की नीति उपलब्ध है।

जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत वैक्सीनेटरों के बकाये वेतन का भुगतान

16–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सिद्धार्थनगर में कार्यरत जिला परिषद् वैक्सीनेटरों का वेतन भुगतान माह अगस्त, 1992 से अब तक न किए जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त भुगतान के संबंध में जिला परिषद्/प्रशासन कोई कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या उक्त वैक्सीनेटरों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण करके स्वास्थ्य विभाग में विलय किया जायेगा ? क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् के कम्पाउण्डर, वार्ड ब्वाय आदि के प्रसंग में उक्त निर्णय शासन द्वारा किया गया है ?

श्री राम लखन वर्मा–

जिला परिषदें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। जिला परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान संबंधित जिला परिषदें ही अपने निजी श्रोतों से प्राप्त आय से करती हैं। जिला परिषद्

सिद्धार्थनगर की आर्थिक स्थिति खराब है, और धनाभाव के कारण जिला परिषद् सिद्धार्थनगर के वैक्सीनेटरों के वेतन का भुगतान माह अगस्त, 1992 से नहीं किया जा सका है।

जी हां।

जिला परिषद् सिद्धार्थनगर अपने निजी श्रोतों से आय में वृद्धि हेतु सतत् प्रयत्नशील है ताकि आय में वृद्धि होने पर कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र किया जा सके। शासन द्वारा उक्त वैक्सीनेटरों के बकाया वेतन के शीघ्र भुगतान हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, सिद्धार्थनगर को निदेशित कर दिया गया है।

जी नहीं।

जिला परिषदों के वैक्सीनेटरों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण किये जाने हेतु शासन द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

जी नहीं।

जिला परिषद् के कम्पाउन्डर, वार्ड ब्वाय आदि के प्रसंग में शासन द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है।

जनपद जौनपुर की तहसील केराबत के ग्रामों में पुनः चकबन्दी कराने की मांग

17–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–जौनपुर के केराकत तहसील के ग्रामों की भूमि की पुनः चकबन्दी कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो पुनः चकबन्दी कराने के नियम क्या हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4–क में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में जिसके संबंध में धारा–52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहां वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है परन्तु उक्त धारा में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से 20 वर्ष के भीतर ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं होगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोक हित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकेगी।

जनपद हरदोई की तहसील–बिलग्राम में विभिन्न देयों के अन्तर्गत विभागों से की गई वसूली का विवरण

18–श्री राम आसरे वर्मा, श्री राकेश सचान तथा श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में एक लाख रुपयों से ऊपर की वसूली के कितने मामले लम्बित हैं ? इन बकायादारों में सबसे ज्यादा धनराशि वाले पांच व्यक्ति कौन-कौन हैं तथा क्रमशः कितनी धनराशि उन पर बकाया है ? सरकार द्वारा उनसे वसूली के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में विभिन्न देयों के अन्तर्गत प्राप्त विभिन्न विभागों के एक लाख रुपये से ऊपर के 37 मामले वसूली हेतु लम्बित है ।

उपरोक्त लंम्बित 37 मामलों में से सबसे अधिक बकाया धनराशि के पांच बाकीदारों तथा उनसे वसूली हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

1–आदर्श शीत गृह भगवन्त नगर–इस पर बैंक आफ इण्डिया की मु० 17,72,804.00 रुपये की बकाया है जिसके विपरीत मु० 15,00,000.00 की धनराशि वसूल की जा चुकी है । शेष धनराशि की वसूली मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4-5-93 द्वारा स्थगित है ।

2–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बिलग्राम–विद्युत देय की बकाया मु० रुपये 8,83,277.92 है । स्थानीय निकायों से बकाया की वसूली हेतु उत्पीड़क कार्यवाही की गयी किन्तु स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वसूली न हो सकी और स्थानीय निकाय की सम्पत्ति को यदि कुर्क करके नीलाम किया जाता है तो इसका जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण इस बकाया धनराशि की वसूली की व्यवस्था का प्रकरण शासन के संबंधित विभाग के संज्ञान में जिला प्रशासन द्वारा लाया गया है ।

3–मेसर्स ममता ट्रेडर्स माधोगंज, स्वामी फर्म श्री सियाराम पुत्र शहजादे निवासी माधोगंज–

इस फर्म पर बिक्रीकर की बकाया मु० 6,12,212.00 है । फर्म के स्वामी को 14 दिन राजस्व हवालात में बन्द किया गया फिर भी कोई धन वसूल न होने के कारण उसकी चल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में बिक्रीकर अधिकारी हरदोई एवं परगनाधिकारी बिलग्राम द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गयी जिसमें कोई चल अचल सम्पत्ति उपलब्ध न होने के कारण अपलेखन की कार्यवाही चल रही है । इस सम्बन्ध में बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को भेजा जा चुका है ।

4–प्रेसीडेन्ट टा० ए० मल्लावां–

इस पर विद्युत देय की बकाया मु० रु० 4,64,058.69 पैसा है । स्थानीय निकाय से बकाया की वसूली हेतु उत्पीड़क कार्यवाही की गयी किन्तु स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वसूली नहीं हो सकी और स्थानीय निकाय की सम्पत्ति को यदि कुर्क करके नीलाम किया जाता है तो इसका जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इसलिए इस बकाया धनराशि की वसूली हेतु जिला प्रशासन द्वारा ऊर्जा विभाग उ० प्र० शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है ।

5–मेसर्स गुप्ता एण्ड कं० माधोगंज–इस फर्म के स्वामी श्री राम दास गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ गुप्ता निवासी माधोगंज पर बिक्रीकर की मु० 3,85,591.00 रु० बकाया है । बाकीदार को 14 दिन राजस्व हवालात में बन्द रक्खा गया फिर भी कोई धन वसूल न होने पर इसकी चल व अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में बिक्रीकर अधिकारी हरदोई व परगनाधिकारी बिलग्राम द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गयी किन्तु जांच के उपरान्त कोई चल एवं अचल सम्पत्ति न पाये जाने के कारण अपलेखन का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को भेजा जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई व लखीमपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र में नीलगायों को मारने हेतु सम्बन्धित वन संरक्षकों को अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया जाना

19–श्री राम आसरे वर्मा, श्री राकेश सचान तथा श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई लखीमपुर खीरी आदि अनेक मध्यवर्ती जनपद नीलगायों के प्रकोप से पीड़ित हैं, जिससे किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है ? यदि हां, तो नीलगायों के प्रकोप से उन क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए शासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जनपद हरदोई, लखीमपुर-खीरी एवं अन्य मध्यवर्ती जनपदों में नीलगायों जिन्हें बनरोज भी कहते हैं, द्वारा किसानों की फसल नष्ट किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

नीलगायों/बनरोजों से कृषि फसलों को क्षति से मुक्त कराने के लिये शासन द्वारा इन्हें मारने हेतु अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सम्बन्धित वन संरक्षकों को अधिकृत किया गया है ।

जनपद बस्ती में कार्यरत अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवाओं की समाप्ति

20–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में जनपद बस्ती में कुल कितने लेखपाल कार्यरत हैं ? उनमें से कितने लेखपाल अप्रशिक्षित हैं और कितने प्रशिक्षण प्राप्त हैं ? क्या कुछ लेखपाल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद भी लेखपाल पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस शासनादेश/परिषदादेश से अप्रशिक्षित व्यक्ति लेखपाल के पदों पर कार्यरत हैं ? उन्हें अब तक सेवा से हटाये न जाने का क्या कारण है ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद बस्ती में वर्तमान समय में 666 लेखपाल कार्यरत हैं जिनमें से 12 लेखपाल अप्रशिक्षित थे तथा 654 लेखपाल प्रशिक्षित हैं ।

उक्त 12 लेखपालों में से 3 अनुत्तीर्ण लेखपाल माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से कार्यरत हैं । शेष 9 अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ।

जनपद बस्ती में वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित पात्र व्यक्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी किये जाने की मांग

21–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में वृद्धावस्था पेंशन कुल कितने वृद्धों को मिल रही है ? उसमें से कितने लाभार्थी पात्र हैं ? क्या उनका सत्यापन कराया गया है ? क्या पात्र व्यक्तियों को ही वृद्धावस्था पेंशन दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

बस्ती जनपद में 16,966 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है ।

सत्यापन की प्रक्रिया जारी है ।

सत्यापन की प्रक्रिया जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद में विधवा, वृद्ध व अपंगों को स्वीकृत पेंशन के भुगतान की जानकारी

22–श्री गजराज सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में कितनी विधवा, वृद्ध व अपंगों को पेंशन दी जा रही है ? कितने व्यक्तियों को पेंशन की स्वीकृति दी जा चुकी है ? उक्त व्यक्तियों को कब से पेंशन भुगतान नहीं किया गया है तथा क्यों ? कब तक सभी स्वीकृत पेंशन का भुगतान शासन से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील सदर के ग्राम मीरपुर-कांटा निवासिनी श्रीमती मालावती को उसके पति स्व० श्री राम सजन की मृत्यु दैवी आपदा से न होने के कारण आर्थिक सहायता का न दिया जाना

23–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मालावती बेवा स्व० श्री रामसजन अनुसूचित जाति, निवासिनी ग्राम-मीरपुर कांटा, पो० मीरपुर कांटा, परगना मगलसी, तह० सदर, जनपद फैजाबाद ने अपने पति श्री राम सजन की दिनांक 19-5-91 को अचानक दीवार गिरने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता/आर्थिक अनुदान हेतु दिनांक 8-5-92 को श्री रामू प्रियदर्शी विधायक की सबल संस्तुति के साथ अपना रजिस्ट्री प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा राहत आयुक्त, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ और सन्त श्रीराम द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र सं०-592/भा० ज० पा०/वि० स०/14-5-92 को तत्कालीन राजस्व मंत्री, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो श्रीमती मालावती को अब तक कितनी-कितनी आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

स्व० श्री राम सजन की मृत्यु दिनांक 19-5-91 को छप्पर उठाते समय दीवाल गिरने से हुई थी । मृत्यु का कारण दैवी आपदा की परिधि में न होने के कारण प्रार्थनी श्रीमती मालावती को दैवी आपदा राहत निधि से कोई सहायता नहीं दी गयी ।

24–श्री तीरथ राज–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

25–श्री तीरथ राज–

[दिनांक 24-2-94 को अता० प्र० सं० 32 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम-दखिनवारा आदि ग्रामों में धारा-52 का प्रकाशन कराने की मांग

26–श्री राम लखन यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम दखिनवारा तथा 36 ग्रामों का सन् 1986 में सत्यापन हो गया था और अभी तक धारा–52 का प्रकाशन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक धारा–52 का प्रकाशन होगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जिला लखनऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज के ग्राम दखिनवारा तथा अन्य 8 ग्रामों का कार्य वर्ष 1986 में अन्तिम अभिलेख की तैयारी की प्रक्रिया में था, परन्तु धारा–52 के प्रकाशन का परिपक्व प्रस्ताव जनपद से प्राप्त न हो पाने के कारण धारा–52 का प्रकाशन नहीं हो सका । इन ग्रामों का पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया है और अनुश्रवण कर शीघ्रता से कार्यवाही की जायेगी ।

दलित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग

27–श्री राकेश सचान–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों का वेतन आजादी के बाद बढ़ा है क्या उसी क्रम में दलित तथा पिछड़ी जातियों के छात्रों की छात्रवृत्ति भी बढ़ायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उसी क्रम में उक्त छात्रों की छात्रवृत्ति भी बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर–

जी हां । छात्रवृत्ति की दरें पूर्व में समय-समय पर बढ़ाई गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-रायबरेली के थाना-शिवगढ़ के ग्राम-बाजितपुर निवासी स्व० श्री हुबलाल पुत्र श्री बदल के स्थान पर दर्शन व मैकू पुत्रगण श्री किशुन के नाम फर्जी वरासत सम्बन्धी प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

28–श्री अरविन्द कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री हुबलाल पुत्र श्री बदल, निवासी ग्राम बाजितपुर, मजरे देहली, थाना-शिवगढ़ जनपद-रायबरेली के मृत्यु के उपरान्त उक्त ग्राम के ही निवासी श्री दर्शन व श्री मैकू पुत्रगण श्री किशुन व अन्य लोगों ने फर्जी वरासत में नाम अंकित करके खेती कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मृतक आश्रितों ने जबरिया कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, बछरावां, जनपद-रायबरेली में मुकदमा नं०–7824+7825, सन् 1992-93 में दर्ज किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले में न्यायालय ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पूर्ण मामले की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

इस गांव की आधार वर्ष की खतौनी खाता संख्या–352,393,579,1,594,498 में हुबलाल पुत्र बदल मदतक के स्थान पर दर्शन व मैकू पुत्रगण किशुन (भतीजा) का नाम वरासत दर्ज होने का आदेश है और विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदारों का कब्जा बताया जाता है ।

जी हां ।

न्यायालय में विचाराधीन है ।

विषय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् रामपुर द्वारा कोसी नदी में मेला अवधि में स्नानार्थियों को साफ पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था

29–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि जिला परिषद् रामपुर द्वारा कोसी नदी के किनारे जिला परिषदीय मेला लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या उस नदी का पानी वहां पर गंगा स्नान के योग्य है ? यदि नहीं, तो क्या इसे स्नान योग्य शुद्ध करने की व्यवस्था वहां की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

विगत 5-6 वर्षों से कतिपय फैक्ट्रियों द्वारा गन्दा पानी कोसी नदी में डाले जाने के कारण नदी का पानी कुछ दूषित हो गया है । जिला परिषद् द्वारा नहर विभाग से कोसी नदी में आवश्यक पानी छोड़वाकर मेला अवधि में स्नानार्थियों को साफ पानी उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाती है । उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप सम्बन्धित उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह के शुद्धिकरण का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद खीरी की तहसील-निघासन के तहसीलदार श्री बृज किशोर त्रिवेदी की सेवानिवृत्त का मामला

30–श्री राम करन आर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृज किशोर त्रिवेदी, तहसीलदार, तहसील निघासन, जनपद खीरी में जन्म तिथि 04-07-1934 के अनुसार 31-07-1992 को सेवामुक्त हो जाना चाहिए था ? यदि हां, तो उनको अभी तक सेवामुक्त न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार सेवामुक्त न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबूराम यादव–

सेवापुस्तिका की प्रविष्टि तथा हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार श्री बृज किशोर त्रिवेदी, तहसीलदार की जन्म तिथि 4 जुलाई, 1937 है । तद्नुसार उनकी सेवानिवृत्ति का दिनांक 31 जुलाई, 1995 है ।

शेष अंश का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को वाहन क्रय की सुविधा

31–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम लि०, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 1993-94 में जनपद लखनऊ में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को वाहन क्रय कराये गये हैं ? क्या फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर वाहन क्रय करने वालों के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजबहादुर–

उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1992-93 में 29 अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को वाहन स्वीकृत किये गये थे उनमें से 17 वाहन वित्तीय वर्ष 1993-94 में क्रय कराये गये हैं ।

उक्त लाभार्थियों में से किसी का जाति प्रमाण-पत्र फर्जी नहीं है और न ही कोई जांच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम लि० लखनऊ द्वारा जनपद वार लक्ष्य निर्धारित न किया जाना

32–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम लि०, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 1993-94 में प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को कितने वाहन क्रय कराने का लक्ष्य रखा गया है ? अब तक प्रदेश में कितने वाहन क्रय कराये गये हैं ? क्या लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक जनपद को वाहन क्रय कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि वाहन क्रय कराये जायेंगे तो कब तक ? क्या वाहन न क्रय कराये जाने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचरियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

वर्ष 1993-94 के लिए यातायात वाहन योजना द्वितीय शासन के विचाराधीन है । सम्प्रति जनपदवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा के ग्राम–धानी के निवासी श्री फागू, श्री द्वारिका पुत्रगण स्व० मनोहर के चक की आपत्तियों का निराकरण

33–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फागू, श्री द्वारिका पुत्रगण स्व० श्री मनोहर, निवासी ग्राम–धानी, तहसील फरेन्दा, जिला–महाराजगंज को चकबन्दी में गलत नम्बर आवंटित किये जाने के विषय में श्री रमापति उर्फ रमाकान्त, विधायक, देवरिया का कोई पत्र दिनांक 29-11-91 को प्राप्त हुआ था, जिसे तत्कालीन राजस्व मंत्री के पत्रांक–वी० आई पी० 3752/91, दिनांक 9-12-91 द्वारा जिलाधिकारी, महाराजगंज को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री फागू, द्वारिका, हंसराज पुत्रगण स्व० मानेहर निवासी, ग्राम–धानी पोस्ट–धानी, बाजार, जिला महाराजगंज का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-12-92 तत्कालीन राजस्व मंत्री को भी प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सम्मानित विधायक का पत्र दिनांकित 29-11-91 चकबन्दी आयुक्त के माध्यम से जनपद में प्राप्त हुआ था।

शिकायतकर्ता के चक को चकबन्दी अधिकारी स्तर पर चक आपत्तियों के निराकरण के समय उसकी प्रार्थनानुसार संशोधित कर दिया गया और उसे मूल जोत के स्थान पर अन्य गाटा में प्रविष्ट कर दिया गया।

दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के कारण दिनांक 31-12-92 का पत्र तत्कालीन राजस्व मंत्री जी को प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के ग्राम व पोस्ट–धानी के निवासियों के प्रार्थना-पत्र पर जांच तथा समस्याओं का निराकरण

34–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–धानी, पोस्ट–धानी, जिला–महराजगंज के निवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-5-93 सलाहकार (स) को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

ग्राम व पोस्ट धानी, जिला–महाराजगंज के निवासियों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-5-93 पर नियमानुसार जांच करायी गयी और जांचोपरान्त चकबन्दी अधिकारी स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत यथासम्भव सुधार किया गया। जिन समस्याओं का निराकरण चकबन्दी अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर था उन अवशेष विवादों के संबंध में अपील स्तर पर कार्यवाही न्यायिक प्रक्रियान्तर्गत की जायेगी।

जनपद–देवरिया के ब्लाक-बैतालपुर के उसरा बाजार में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की मांग

35–श्री मुक्तिनाथ–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उसरा बाजार, ब्लाक–बैतालपुर, जिला–देवरिया में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री, श्री अवधेश प्रसाद ने आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने का आदेश प्रदान किया था ? यदि हां, तो क्या उसकी सर्वे रिपोर्ट जिले से शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो अब तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में कतिपय पंचायत उद्योगों द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री की आपूर्ति

36–श्री बची सिंह रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के पंचायत उद्योग, सरोजनी नगर समेत सभी पंचायती उद्योगों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले सामग्रियों एवं अन्य काश्त सामग्री की आपूर्ति प्राइवेट फर्मों एवं निर्माताओं द्वारा ऊंचे दामों पर माल खरीद कर की जाती हैं ? यदि हां, तो पंचायती उद्योग के नामकरण का औचित्य क्या है ? क्या सरकार लखनऊ के पंचायत उद्योग केन्द्रों, जहां यह सब सामान आपूर्ति हेतु बनाये जाते हैं, के नाम का विवरण सदन के

पटल पर रखेंगे ? क्या सरकार पंचायत उद्योग को समाप्त करके इन्हें पंचायत विकास कार्यक्रम का प्रचलन करायेंगे ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी नहीं, ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में पंचायत उद्योग सरोजनीनगर, चिनहट, गुडम्बा, काकोरी, बक्कास, गोसाईगंज द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छता सामग्री जैसे-पैन,ट्रैप, पावदान एवं पिटकवर का निर्माण तथा आपूर्ति की जा रही है ।

जी नहीं ।

जनपद व तहसील लखनऊ के ग्राम हरदोइया लाल नगर निवासी श्री डोरीलाल पुत्र श्री हुबलाल को आवंटित पट्टे पर कब्जा देने की कार्यवाही

37–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के पहले गुरुवार को उत्तरित अता० प्र० सं०–167 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री डोरीलाल पुत्र श्री हुबलाल, निवासी हरदोइया लालनगर तहसील, जनपद लखनऊ को भूमि सं०–313 क्षेत्रफल 09 विस्वा 18 विस्वांसी तथा खसरा संख्या–586 क्षेत्रफल 10 विस्वा का कब्जा दिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पूर्व में अवैध रूप से कब्जेदार श्री देवी पुत्र स्व० संकटी व श्री भोला पुत्र श्री खगेश्वर व रामानन्द पुत्र श्री रामेश्वर अब भी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा किए हुए हैं तथा अपना मकान व ट्यूबवेल भी उस भूमि पर विस्तार कर लिए हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थी अपना कब्जा-कागज लिए दर-दर भटक रहा है तथा अवैध कब्जेदारों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है ? क्या मंत्री जी उक्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही करते हुए सजा दिलाने का आदेश तथा अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर श्री डोरी लाल को 1975 के आवंटित उक्त भूमि का कब्जा दिये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत भूमि पर आवंटी श्री डोरीलाल द्वारा मेड़ बन्दी कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर की तहसील व परगना-घाटमपुर में कानपुर देहात का मुख्यालय बनाने के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय

38–श्री राकेश सचान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर (देहात) का मुख्यालय, तहसील व परगना-घाटमपुर में बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यातायात की सुगमता, स्थान की उपयुक्तता, क्षेत्रीय विकास एवं सुरक्षित संसदीय सीट को दृष्टिगत रखते हुए घाटमपुर तहसील को जिला कानपुर (देहात) का मुख्यालय बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद कानपुर देहात के मुख्यालय नियत करने के प्रकरण पर शासन द्वारा सभी प्रस्तावों पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है व शीघ्र निर्णय लिये जाने की आशा है ।

जनपद-हमीरपुर की तहसील-मौदहा के मौजा मौदहा व अखरा में चकबन्दी विभाग द्वारा कतिपय मामलों का निस्तारण तथा धारा–52 के प्रकाशन की जानकारी

39–श्री बशीरउद्दीन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग द्वारा जनपद हमीरपुर की मौदहा तहसील में कितने गांवों की चकबन्दी की गयी है ? मौजा मौदहा व मौजा अखरा के वरासत के और सन्दर्भ के व रिकार्ड की गल्तियों के मामलों का निस्तारण कब तक किया जा रहा है ? वहां पर धारा–52 का प्रकाशन कब तक होगा ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हमीरपुर में सीलिंग की भूमि पर कब्जा हेतु कतिपय आवंटियों की अपील

40–श्री बशीरउद्दीन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर में सीलिंग के द्वारा निकली भूमि पर कितने पट्टेदारों को कब्जा मिला है कितनी सीलिंग की भूमि में पट्टेदारों के उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश द्वारा भी कब्जा नहीं मिल पाया है ? सरकार द्वारा सीलिंग के पट्टेदारों को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश द्वारा रोके गये कब्जों के बारे में सरकार ने अब तक क्या प्रयास किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

हमीरपुर जनपद में कुल 5,462 आवंटियों को 9,482 एकड़ सीलिंग भूमि का आवंटन किया गया है जिसमें से 5,145 आवंटियों को 9,073 एकड़ भूमि पर कब्जा प्राप्त है तथा शेष 317 आवंटी 409 एकड़ भूमि पर अपीलीय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेशों के कारण कब्जा नहीं पा सके हैं ।

सीलिंग रिट याचिकाओं में राज्य की ओर से प्रतिशपथ-पत्र एवं स्थगनादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं ।

41–श्री मित्रसेन यादव–

[दिनांक 24-2-94 को अता० प्र० सं० 28 द्वारा उत्तरित]

प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र०, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत श्री वीरेन्द्र सिंह को पैतृक विभाग को वापस किये जाने के आदेश

42–श्री लल्लू सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र०, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत श्री वीरेन्द्र सिंह, लेखाकार (पेंशन सेल) के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 24-6-93 शासन से प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? क्या श्री सिंह सन् 1986 में प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग में आये थे जबकि प्रतिनियुक्ति का समय मात्र 5 वर्ष ही होता है ? यदि हां, तो इनके पैतृक विभाग को वापस न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इन्हें इनके पैतृक विभाग को वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां । जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह को उनके पैतृक विभाग को वापस किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

विकास खण्ड-खलीलाबाद स्थित बेनी राम राम मिलन पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय केरमुआ माफी ग्राम सभा-बनियाबारी, की विवादित आराजी पर स्थगन आदेश

43–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेनीराम राम मिलन पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय केरमुआ माफी, ग्राम सभा बनियाबारी, विकास खण्ड खलीलाबाद के लिये रिक्त जमीन का उक्त ग्राम सभा के ग्राम प्रधान द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने के संबंध में श्री राम चौहान, विधायक, हैसरबाजार, बस्ती का पत्र दिनांक 26 जून, 1992 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध अनधिकृत कब्जा हटवाने के सबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

दीवानी वाद संख्या 692/92 में मुन्सिफ खलीलाबाद द्वारा विवादित आराजी पर स्थगन आदेश दिये जाने के कारण अनाधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही नहीं की गयी है ।

बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आरक्षण कोटा का पूरा होना

44–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने सेन्टर चलाये जा रहे हैं ? कितने केन्द्रों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कार्यकत्री कार्यरत हैं ? क्या आरक्षण कोटे के आधार पर कार्यकत्री का कोटा पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

उत्तर प्रदेश में संचालित 313 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 30,672 आंगनबाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे हैं ।

15,112 केन्द्रों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कार्यकत्रियां कार्यरत हैं ।

आरक्षण कोटा पूरा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की तहसील सदर में लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करने की मांग

45–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि त० सीतापुर, जि० सीतापुर में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या कितनी है ? उनमें से ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 6 माह से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ? उन्हें पेंशन भुगतान न होने का क्या कारण है ? उनको भुगतान अद्यतन कब तक हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

तहसील सीतापुर में कुल लाभार्थियों की संख्या 2,3,579 है ।

2,293 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ।

धनाभाव के कारण भुगतान नहीं हो सका है ।

आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध होने पर ।

जनपद व तहसील सीतापुर में पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत किया जाना

46–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील सीतापुर, जि० सीतापुर में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिये दिनांक 15 जनवरी, 94 को कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित थे ? उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों की औपचारिकतायें पूर्ण की गयी हैं ? क्या वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिये पात्र लोगों को पेंशन की

स्वीकृति नहीं दी गयी थी ? औपचारिकतायें पूर्ण होने पर भी स्वीकृति न देने का क्या कारण था ? अब उन प्रार्थना-पत्रों पर स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर–

15 जनवरी, 1994 को तहसील सीतापुर में लम्बित प्रार्थना-पत्रों की संख्या 114 थी ।

उनमें से 55 प्रार्थना-पत्रों की औपचारिकताएं पूर्ण की गयी थी ।

55 पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

47-48–श्री अरिमर्दन सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

प्रदेश में जनपदवार गोंड़ जाति की जनसंख्या की जानकारी

49–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण प्रगति पुस्तिका वित्तीय वर्ष 1991-92 के पृष्ठ–35 परिशिष्ट–5 के बिन्दु–5 पर उल्लिखित गोंड़ जाति की उपजातियां कौन-कौन सी हैं ? प्रदेश में जनपदवार इनकी जनसंख्या कितनी है एवं उक्त पुस्तिका में इन उपजातियों की मूल जाति के सामने दर्शाये न जाने का क्या कारण हैं ? वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार प्रदेश में जनपदवार गोड़ ज़ाति की जनसंख्या कितनी है ?

श्री राज बहादुर–

सम्प्रति गोंड़ जाति में कोई उपजाति घोषित/नामित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1991 के जातिवार आंकड़ों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय जनगणना निदेशालय द्वारा अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-जखोली के ग्राम-सिखाड़ी पट्टी बांगर के वज्रपात से प्रभावित परिवारों को शीघ्र पुर्नवासित करने की कार्यवाही

50–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिखाड़ी पट्टीबांगर, वि० खं० जखोली टि० ग० में वर्ष 1986 में बज्रपात से जनधन की अपार क्षति हुई थी ? क्या इस ग्राम को पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

ग्राम सिखाड़ी पट्टी बांगर विकास खण्ड जखोली, टिहरी गढ़वाल के प्रभावित परिवारों के शीघ्र पुनर्वास के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इलाहाबाद में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान करने की मांग

51–श्री जोखू लाल यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलाहाबाद जनपद के पिछड़ी जाति एवं अनु० जाति, अनु० जनजाति के छात्रों की वर्ष 92-93 की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

धनराशि की उपलब्धता के आधार पर आवंटित धनराशि का भुगतान छात्रों को संस्थाओं के माध्यम से किया जा चुका है । जिन विद्यालयों में विवाद था उनका भुगतान नहीं किया गया है ।

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही व ज्ञानपुर को मिलाकर नये जनपद भदोही के सृजन का निर्णय

52–श्री जोखू लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ज्ञानपुर नया जिला बनना निश्चित हो गया है ? यदि हां, तो हंडिया तहसील, जनपद इलाहाबाद के कितने गांव उसमें सम्मिलित किये जा रहे हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

वाराणसी जनपद की तहसील भदोही व ज्ञानपुर को मिलाकर नया जनपद भदोही सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है । किसी अन्य जनपद का कोई गांव फिलहाल इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है ।

जनपद जालौन की सदर तहसील में आवासीय व जोत पट्टी की पत्रावलियों का निस्तारण

53–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जालौन में आवासीय और जोत पट्टों की किस-किस गांव के किन-किन लोगों की पत्रावलियां किस स्तर पर विचाराधीन हैं ? क्या इन पत्रावलियों का निस्तारण शीघ्र सम्भव है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

सभी पत्रावलियों का निस्तारण हो चुका है और कोई पत्रावली किसी स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के मौजा अकबर पट्टी में चकबन्दी प्रक्रिया का संचालन

54–श्री रंग नाथ–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के अकबर पट्टी मौजे की चकबन्दी हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या वहां के किसानों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चक आपत्तियों का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

बाल विकास परियोजना काकोरी एवं बक्शी का तालाब में कार्यरत मुख्य सेविकाओं के बढ़े हुए वेतन का भुगतान

55–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि बाल विकास परियोजना, काकोरी में दिनांक 30-6-93 तक कार्यरत् रहीं एवं तत्पश्चात् बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ में कार्यरत् कतिपय मुख्य सेविकाओं को बढ़े हुये वेतनमान रुपये 1350-2200 के अनुसार देय एरियर का भुगतान दिनांक 15-1-94 तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि तक एरियर भुगतान न करने का क्या कारण है ? इस हेतु कौन-कौन आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा कर्मचारी उत्तरदायी हैं एवं शासन द्वारा उनके विरुद्ध अब तक अनावश्यक रूप से भुगतान रोके रखने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं । बाल विकास परियोजना, काकोरी में दिनांक 30-6-93 तक कार्यरत रहीं एवं तत्पश्चात् बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ में कार्यरत मुख्य सेविकाओं को बढ़े हुये वेतनमान रु० 1350-2200 के अनुसार देय एरियर का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के ग्रामों में वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान की मांग

56–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के अनेकों ग्राम, जिनमें वृद्धावस्था व विधवा पेंशनधारक हैं, उनको लगभग सत्तरह माह से पेंशन अभी तक नहीं भेजी गयी ? यदि हां, तो क्या इसमें ग्राम टिकौली, ग्राम पोटरिहा व ग्राम कुलहा बगहा के श्री कृष्ण कुमार साहू आदि पेंशनधारक की पेंशनें भी बकाया हैं ? यदि हां, तो इनको कब तक बकाया पेंशन मिलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ग्राम छपरौली में चकबन्दी प्रक्रिया के उपरान्त आवंटन की कार्यवाही की सम्भावना

57–श्री समीर भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ग्राम छपरौली के भूमिहीन अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1993 को संलग्न करके प्रश्नकर्ता ने मण्डलायुक्त, मेरठ को अपने पत्र के साथ भूमिहीनों, अनुसूचित जाति, पिछड़े

वर्ग के लोगों को भूमि आवंटन एवं जांच हेतु दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने आवंटन की क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

ग्राम छपरौली चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है, जिसके समाप्त होने पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के अन्तर्गत स्थित लम्भुआ चांदा नामक स्थान को तहसील बनाने की मांग

58–श्री सफदर रजा खान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर के अन्तर्गत स्थित लम्भुआ चांदा नामक स्थान पर एक नई तहसील बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नई तहसील के गठन के लिए अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी ? क्या सरकार इस नई तहसील को भवन आदि के निर्माण के लिए आगामी बजट में धन की व्यवस्था का प्राविधान भी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त तहसील के मुख्यालय का निर्माण किस स्थान पर प्रस्तावित है ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर में कस्बा लम्भुआ को तहसील बनाये जाने से संबंधित प्रकरण अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किया गया है । समिति की आख्या/संस्तुति अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रियों की आयोजित बैठक में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का सुझाव

59–श्री मित्रसेन यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में केन्द्रीय सरकार ने सभी प्रदेशों के पंचायती राज मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी ? यदि हां, तो सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ? उसके विचारणीय बिन्दु क्या थे ? क्या उ० प्र० पंचायती राज मंत्री ने सुझाव प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां । दिनांक 3-7-93 को केन्द्र सरकार ने सभी प्रदेशों के पंचायती राज मंत्रियों तथा सचिवों की बैठक आयोजित की थी ।

सम्मेलन का उद्देश्य संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाना था ।

सम्मेलन के विचारणीय बिन्दुओं में मुख्य बिन्दु यह था कि संविधान (73वां संशोधन अधिनियम, 1992) के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों के पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया जाय, उसके शीघ्र बाद पंचायत के चुनाव कराये जायें तथा राज्यों में पंचायती चुनाव आयोग एवं पंचायत वित्त आयोग का गठन किया जाय।

राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के कारण उक्त बैठक में किसी मंत्री के भाग लेने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

जनपद गोरखपुर के ग्राम-पिपरा, थाना सहजनवां, के मेजर चौथी प्रसाद को आवंटित भूमि के संबंध में उनके पुत्र श्री सुभाष श्रीवास्तव का आवंटन हेतु पत्र एवं कार्यवाही

60–श्री हरिशंकर तिवारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के आठवें गुरुवार हेतु निर्धारित प्रश्न संख्या–171 के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष श्रीवास्तव पुत्र श्री मेजर चौथी प्रसाद, ग्राम पिपरा, थाना सहजनवां, गोरखपुर की आवंटित भूमि पर जबरन कब्जा कर मुंसिफ शहर गोरखपुर के यहां 10 डि० भूमि में से ढाई डि० भूमि पर स्थगन आदेश होने के नाते जिलाधिकारी, गोरखपुर ने ढाई डि० भूमि छोड़कर बाकी साढ़े सात डि० भूमि पर कब्जा दिलवाने हेतु परगनाधिकारी, सहजनवां को निर्देशित किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सैनिक को आवंटित भूमि पर कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

61–श्री हरिशंकर तिवारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के आठवें गुरुवार हेतु निर्धारित प्रश्न संख्या–170 के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष श्रीवास्तव पुत्र श्री मेजर चौथी प्रसाद, ग्राम पिपरा, थाना सहजनवां, गोरखपुर जो कि भारतीय शस्त्र सेना में कार्यरत हैं, के आवंटित भूमि पर कब्जा दिलवाने हेतु उनके द्वारा निर्देश दिया गया था क्या आवंटित भूमि पर उक्त सैनिक को कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

जी नहीं, क्योंकि श्री सुभाष श्रीवास्तव के पक्ष में भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

जनपद जालौन की सदर तहसील में कतिपय ग्राम सभाओं के भूमि आवंटन का प्रकरण

62–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जालौन में विभिन्न श्रेणी की गांव सभाओं के किस गांव में आवंटन हेतु कितनी भूमि उपलब्ध है ? क्या प्रशासन स्तर पर इस भूमि के आवंटन की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

तहसील जालौन में 12 ग्रामों में 45.514 हेक्टेयर भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है विवरण निम्नवत् है :–

तहसील जालौन

क्र०सं०	ग्राम	रकबा (हेक्टेयर)
1	कुदराकरौली	4.692
2	निवी	0.990
3	न्यामतपुर	0.590
4	फतेपुरा	1.371
5	सोनेपुरा	1.386
6	अटागांव	3.003
7	अतरहटी	1.595
9	गांपालपुरा	29.925
9	तजपुरा अ०	0.402
10	माधौगढ़	0.300
11	मिझौना	0.316
12	सिरसादोगढ़ी	1.044
	योग—	45.514 हेक्टेयर

जी हां ।

वर्तमान में 18 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रियायें चल रही हैं उनके अन्तिम होने पर आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जालौन की उरई तहसील के ग्रामों में जोत/आवासीय पट्टों पर नियमानुसार कब्जा दिलाने का अभियान

63–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जालौन में विभिन्न गांवों में ऐसे कौन-कौन लोग हैं जिन्हें जोत/आवासीय पट्टे तो दे दिये गये हैं परन्तु कब्जे नहीं दिये गये हैं ? क्या पट्टेदारों को कब्जा दिलाने हेतु शासन कटिबद्ध है ? यदि हां, तो कब तक कब्जे दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

मामले की जांच करायी जा रही है ।

जी हां ।

कब्जा दिलाने का अभियान चल रहा है। नियमानुसार कब्जा शीघ्र दिलाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

64–श्री ओम प्रकाश सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद कानपुर देहात की तहसील बिल्हौर के ग्राम सभा गांगूपुर में नाली को अवैधानिक ढंग से गिराये जाने विषयक श्रीमती शारदा देवी आदि के पत्र पर कृत कार्यवाही

65–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गांगूपुर, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर देहात में चकरोड व सार्वजनिक नाली को अवैधानिक ढंग से गिराये जाने से रोकने के संबंध में श्रीमती शारदा देवी एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित एवं अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, कानपुर देहात को पृष्ठांकित पत्र दिनांक 29-4-93 व 12-5-93 परगनाधिकारी, बिल्हौर, कानपुर देहात को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

नायब तहसीलदार व तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 29-10-93 के अनुसार धारा–133(1) सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत परगनाधिकारी, बिल्हौर द्वारा द्वितीय पक्ष ख्याल दास चैनानी व सुनील के विरुद्ध शर्ती आदेश जारी किया गया जो दिनांक 14-12-93 को तामील हो चुका है। वाद संख्या–20 धारा–133 सी० आर० पी० सी० न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के ग्राम गांगूपुर में लगे पेड़ों से सरकारी पट्टियों को हटाया जाना

66–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० टी० रोड से दाईपुर परिषदीय मार्ग की पैमाइश कराये जाने के संबंध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, फर्रुखाबाद का पत्र संख्या–480/सम्पत्ति/सड़क-पै०/93-94, दिनांक 17-7-93 तहसीलदार, कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री कैलाश चन्द्र कटियार की आराजी संख्या 114, 117 व 128 स्थित ग्राम गांगूपुर में खड़े यूकैलिप्टस के पेड़ों में लगी सरकारी पट्टी को हटा लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक हटायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

तहसीलदार, कन्नौज, नायब तहसीलदार एवं भूलेख निरीक्षक, कन्नौज द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया।

ग्राम गांगूपुर की ओर लगे पेड़ों से पट्टियां हटी हुई पायी गयी हैं। उल्लिखित आराजी ग्राम गांगूपुर, कानपुर (देहात) जनपद में हैं।

अतः अब उनके हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात की तहसील बिल्हौर में बेदखली व क्षतिपूरक के रूप में निष्पादन वसूली के आदेश

67–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गांगूपुर, परगना बिल्हौर, जिला कानपुर देहात के गाटा संख्या 113 रकबा 10 बिस्वांसी तथा गाटा संख्या 115 रकबा 5 बिस्वांसी से श्री राम खिलावन आदि को बेदखल करने एवं उनसे नियमानुसार हर्जाना वसूल करने के संबंध में जिलाधिकारी, कानपुर देहात ने दिनांक 24-12-91 को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का क्रियान्वयन किस तिथि को किया गया ? यदि नहीं, तो कब तक करेंगे ? उक्त आदेशों का क्रियान्वयन न करने के लिए कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 24-12-91 के अनुपालन में तहसीलदार, बिल्हौर, कानपुर देहात द्वारा आकार पत्र 49(ग) में बेदखली व क्षतिपूरक के रूप में निष्पादन व्यय वसूली के आदेश पारित किये गये । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट नोटिस संख्या–5190/92, में पारित आदेश दिनांक 18-2-92 द्वारा आदेश दिनांक 24-12-91 स्थगित कर दिया गया है । प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार कोई कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है इसलिए कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा को विभाजित कर नई तहसील बनाने की मांग

68–श्री हृदय नारायण–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील का आकार, क्षेत्रफल व आबादी प्रदेश की तहसीलों में सबसे ऊपर है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि पुरवा तहसील के विभाजन की मांग एक लम्बे अर्से से की जा रही है ? यदि हां, तो तहसील पुरवा को विभाजित कर एक नई तहसील सृजित करने का कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री बाबू राम यादव–

यह सही है कि तहसील पुरवा को विभाजित किये जाने की मांग की जा रही है । प्रकरण अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को सन्दर्भित किया गया है उक्त समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम निर्मलपुर के निवासी श्री मूल चन्द्र के उनकी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

69–श्री छोटे लाल तथा श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मूल चन्द्र निवासी निर्मलपुर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई का पत्र उनकी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक श्री रामदवर, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र के साथ राज्य मंत्री, राजस्व को 14-12-93 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी, हरदोई को मौके की जांच कराकर पट्टेदार को कब्जा दिलाने के निर्देश

दिये थे ? यदि हां, तो क्या राज्य मंत्री, राजस्व के निर्देशानुसार उसकी मौके पर जांच किसी उच्चाधिकारी द्वारा करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? पत्र पर कार्यवाही कब तक पूर्ण करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पत्र पर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकत्रियों को योग्यतानुसार समान मानदेय देने की मांग

70–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आगंनबाड़ी में कार्यरत कार्यकत्रियों के मानदेय में विसंगति का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि निर्धारित योग्यता एवं समान कार्य होते हुए भी मानदेय समान नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्रदेश की बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकत्रियों के मानदेय का निर्धारण आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की शैक्षिक योग्यता एवं अवैतनिक सेवा करने के अनुभव के आधार पर भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा किया गया है और भारत सरकार द्वारा ही उक्त मानदेय पर होने वाले व्यय की शत-प्रतिशत पूर्ति भी की जाती है । अतः उक्त नीति के अनुसार कार्यकत्रियों के मानदेय में कोई विसंगति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान में समस्याओं का निराकरण

71–श्री तेजभान सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रमायुक्त व श्रम सचिव, उ० प्र० को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 10-10-91 मिला था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वृद्धावस्था पेंशनरों को पेंशन दिये जाने में किन-किन बिन्दुओं पर समस्यायें दर्शायी गयी हैं ? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई तथा किस तिथि को ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब का कारण क्या है ? क्या संदर्भित समस्याओं के निराकरण हेतु आदेश दे दिये गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां,

पत्र में निम्नलिखित दो बिन्दु पाये गये थे :—

(1) 30–30 की गड्डी में मनी आर्डर फार्म भेजने के लिए अतिरिक्त चेक-बुकों की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि इस कार्य का एकाउण्ट तहसीलवार पृथक-पृथक रखा जा सके। अन्यथा अपने स्तर से डाक विभाग के संबंधित अधिकारियों की बैठक कर डाक विभाग के जिला स्तर अधिकारियों को यह आदेश निर्गत कराया जाये कि वह बड़ी संख्या में मनी आर्डर फार्म एक साथ ही स्वीकार करें।

(2) वृद्धावस्था पेंशन कार्य को तहसीलवार बांटने के लिए वृद्धावस्था पेंशन के नये पद सृजित कराने की कार्यवाही की जाये। उक्त प्रथम समस्या के समाधान हेतु श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा एक अर्ध शा० प० संख्या–1060/वृ०पे०यो०पूर्व बि० के० दिनांक 10 मई, 1990 पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमण्डल, लखनऊ को भेजा गया था इस पत्र के सन्दर्भ में पोस्ट मास्टर जनरल, उ० प्र० परिमण्डल, लखनऊ ने अपने पत्रांक प्राव०अ/जी०-01/दिनांक 24-5-90 में लिखा था कि धनादेश डाकघर में प्रस्तुत करने से पहले उसकी सूचना संबंधित डाक अधीक्षक को प्रेषित कर दें जिससे निश्चित तिथि पर अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त डाक कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि श्रम विभाग को पूर्ण सहयोग देने की व्यवस्था करें। पोस्ट-मास्टर जनरल के आदेश प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पूर्व में ही दिनांक 16-6-88 को निर्गत किये जा चुके हैं।

परीक्षणोपरान्त पदों का सृजन का औचित्य नहीं पाया गया। इस प्रकार इसमें विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक भदैया की वर्णित ग्राम सभाओं में स्वच्छ शौचालयों के निर्माण पर व्यय धनराशि का विवरण

72–श्री राम औतार मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भदैया, जनपद सुल्तानपुर की गांव सभा मलिकपुर, रामपुर, हनुमानगंज, भुलकी करौमी में शासन की नीतियों के अनुरूप स्वच्छ शौचालय कितने बनाये गये ? उनके निर्माण पर शासन का कितना धन व्यय हुआ ? निर्माण कार्य में कितने लेबर व मिस्त्री ने कार्य किया ? क्या यह सच है कि मौके पर शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है ? क्या प्रधान और अधिकारी ने धन का आहरण कर लिया है ? क्या इस प्रकरण की कोई जांच की जा रही है ? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच करते हुए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम लखन वर्मा–

विकास खण्ड भदैया, जनपद सुल्तानपुर की गांव सभा मलिकपुर, रामपुर, हनुमानगंज, भुलकी तथा करोमी में कुल 209 स्वच्छ शौचालयों के निर्माण पर विभिन्न वर्षों में कुल रु० 2,82,095.00 व्यय किया गया और निर्माण कार्य में 529.5 मिस्त्री तथा 1210 श्रमिकों ने कार्य किया। शौचालयों का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भदैया द्वारा कराया गया। उक्त शौचालयों के निर्माण की स्थलीय जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) सुल्तानपुर द्वारा करायी जा रही है। जांचोपरान्त यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे तो उनके विरुद्ध यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

73–श्री गजराज सिंह–

[दिनांक 24-2-94 को अता० प्र० सं० 26 द्वारा उत्तरित ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने कहा था कि प्रश्नों के बाद आप मुझे सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद मैं आपको सुन लूंगा ।

पहली सूचना श्री रतन पाल पवार की करनाल-मेरठ मोटर मार्ग व्यय अधूरे निर्माण को पूरा कराये जाने के संबंध में है । श्री पवार जी सदन में उपस्थित नहीं हैं । श्री जगवीर सिंह जी की सूचना अलीगढ़ के खैर क्षेत्र जमुना नदी के कटान को रोकने हेतु ठोकरों का निर्माण कराने के संबंध में है । (मा० सदस्य सदन में उपस्थित थे) तीसरी सूचना श्री प्रणत पाल सिंह जी की आदर्श कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारव-मथुरा के सात अध्यापकों व पांच परिचारकों का वेतन भुगतान कराने के संबंध में है । (माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे ।) चौथी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी जी की उत्तरांचल में बी० टी० सी० के प्रशिक्षण का सत्र प्रारम्भ किये जाने के संबंध में है । (माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे ।) पांचवी सूचना श्री गया चरन दिनकर जी की जनपद बांदा के विकास खण्ड कमासिन में दस वर्षों से निर्माणाधीन कठान कैनाल को शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में है । (माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे ।) छठी सूचना श्री विश्वनाथ जी की सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानन्द जनपद लखीमपुर खीरी के अनशनकारी कर्मचारियों की मांगें स्वीकार करने के संबंध में है । (माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे ।) सातवीं सूचना डा० शिव प्रताप यादव जी की गोण्डा के क्षेत्र गैंसड़ी के ग्रामीण अंचलों में हुई भीषण ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत देने के संबंध में है । (माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं ।)*

चूंकि श्री पवार जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से श्री ऊदल जी की सूचना जो दिनांक 23-10-93 को थाना रोहनिया जिला वाराणसी के पीछे हुए बम काण्ड की जांच कराने के संबंध में है, को लिया जाता है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सात सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं ।)

अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में जमुना नदी के कटान को रोकने हेतु ठोकरों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगवीर सिंह–

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र खैर, जनपद–अलीगढ़ में जमुना नदी हरियाना एवं उत्तर प्रदेश के बीच में बहती है । जमुना का कटाव उत्तर प्रदेश की ओर ही अधिक है । जमुना नदी के खादर क्षेत्र के ग्राम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

घरबरा, समस्तपुर, लालपुर रैयतपुर, किशनपुर, महराजगढ़, मातव, शेरपुर, नरवारी, पखोदना, अरामसी की भूमि को जमुना नदी अपने तेज कटाव के कारण गत वर्षों से काट रही है । इसका विशेष प्रभाव अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के कृषकों पर हो रहा है ।

हरियाणा सरकार अपनी तरफ बड़े-बड़े बांध लगाकर जमुना नदी के बहाव को उत्तर प्रदेश की ओर प्रतिवर्ष मोड़ देती है । इस कारण ग्रामों की कृषकों की जमीन अधिक कट रही है, कृषक भूमिहीन हो रहे हैं ।

खादर क्षेत्र में विगत वर्षों में 32 ठोकरों का निर्माण कराया गया था जिनमें अधिकांश जल प्लावित हो गयी, टूट गयी तथा बरबाद हो गयी, इनकी मरम्मत प्रतिवर्ष सही रूप से नहीं की गयी है । वर्तमान में इस क्षेत्र का कटान न रोकने हेतु ठोकरों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, यदि ठोकरों का निर्माण 15 जून से पूर्व नहीं हुआ तो इस साल उक्त ग्रामो की आबादी पर भी कुप्रभाव पड़ने की आशंका है । उक्त ग्रामों की आबादी 40 हजार के लगभग है, जो प्रभावित होगी ।

मान्यवर, इस लोकहित के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए सदन की कार्यवाही रोककर उक्त विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं । ।

आदर्श कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारब-मथुरा के कतिपय अध्यापकों व परिचारकों के वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रणत पाल सिंह–

। मान्यवर, सन् 1984 से विनियमितीकरण की पत्रावली 7 अध्यापकों एवं 5 परिचारकों, आदर्श कृषक उ०मा० विद्यालय कारब–मथुरा की वेतन भुगतान हेतु शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद विवादित प्रकरण प्रेषित किया गया था । शिक्षा निदेशालय ने शासन से निर्देश मांगे थे कि इस आधार पर वेतन का भुगतान किया जाय । शासन के निर्देश पर तीन बार जांच करायी गई । अन्त में संयुक्त शिक्षा निदेशक अर्थ के द्वारा जनशक्ति के आधार पर मानक सहित सभी पदों की आवश्यकता समझते हुये रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा शासन के द्वारा शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत आख्या मांगी वह भी प्रेषित कर दी गयी । माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं० 37394–91 में दिनांक 23-4-93 में आदेश में निर्देश दिये कि 3 माह के अन्दर पत्रावली का निस्तारण कर सक्षम अधिकारी को वेतन भुगतान के आदेश पारित करें । सरदार सिंह विद्यालय के प्रबन्धक रहे हैं विधायक एवं पूर्व मंत्री के दबाव के कारण शासन ने निस्तारण नहीं किया है । 3 माह के स्थान पर 10 माह हो गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं ऐसा क्यों ? ।

उत्तरांचल में बी०टी०सी० के प्रशिक्षण का सत्र प्रारम्भ किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मातवर सिंह कण्डारी–

। महोदय, उत्तरांचल में बेसिक पाठशालाओं की स्थिति बहुत खराब है । इन विद्यालयों में कक्षाऐं पांच होती हैं । अधिकांश विद्यालयों में अध्यापक एक होता है । कैसे एक अध्यापक पांच कक्षाओं को पढ़ा सकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त बात को मद्दे नजर रखते हुए बी०टी०सी० के प्रशिक्षण की सीटें बढ़ायी गयी थीं, किन्तु बी०टी०सी० के प्रशिक्षण हेतु जो प्रवेश परीक्षा ली गयी थी । कहीं परीक्षाफल घोषित कर दिया गया था । कहीं का परीक्षाफल घोषित न करने का आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया बी०टी०सी० के प्रशिक्षण हेतु ली गयी प्रवेश परीक्षाफल घोषित कर उत्तरांचल में बी०टी०सी० का सत्र तत्काल शुरू करने की कृपा करें ।]

जनपद बांदा के विकास खण्ड कमासिन में 10 वर्षों से निर्माणाधीन कठार कैनाल को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गया चरन दिनकर–

[आदरणीय महोदय, सानुरोध अवगत कराना है कि जनपद बांदा अन्तर्गत विकास खण्ड कमासिन में ग्राम कठार यमुना तट पर स्थित है । सिंचाई जल साधनों का लगभग 10 ग्रामों में पूर्णतः अभाव है । वर्ष 1983-84 में डी०पी०ए०पी० योजनान्तर्गत 20.02 लाख रु० की लागत से कठार पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । नहर लगभग 2 कि०मी० बना दी गयी तथा परियोजना में उपयोग होने वाली सामग्री आदि भी पहुंचा दी गयी । लगभग 90 प्रतिशत परियोजना पूर्ण कर विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग को 5.98 लाख रुपये भुगतान कर दिया गया । जुलाई, 1985 से परियोजना का निर्माण कार्य लापरवाहीवश लम्बित रखा गया ।

पर्याप्त मात्रा में परियोजना का धन गबन करने के बाद यमुना तट की मिट्टी खिसकने का बहाना लेकर लगभग 83 लाख मात्र की पुनरीक्षित लागत शासन को भेजकर पम्प कैनाल को हमेशा-हमेशा के लिए लम्बित बनाये रखने का षडयन्त्र रच डाला गया । मुख्य अभियन्ता नलकूप (विश्व बैंक) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति ने परियोजना को निरस्त करते हुए 4 राजकीय नलकूपों की स्थापना का सुझाव देकर लाखों कृषकों के हितों की हत्या कर दी है । यह विभागीय शिथिलता व भ्रष्टाचार का कृषक विरोधी खुला उदाहरण है, जिसे किसी भी कीमत में न्याय संगत नहीं कहा जा सकता । विभागीय कार्यवाही से जनाक्रोश व्याप्त है, जो शासन व सत्ता को दुष्प्रभावित करता है ।

अतः उपरोक्त प्रकरण में आपसे सबल अनुरोध है कि लाखों कृषकों का जीवन बचाने के लिए वांछित धनराशि उपलब्ध कराकर निर्माणाधीन कठार पम्प कैनाल को पूर्ण कराने हेतु सरकार को सक्षम आदेश पारित करने का कष्ट करें ।]

सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी के अनशनकारी कर्मचारियों की मांगे स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विश्वनाथ–

[आदरणीय महोदय, सहकारी चीनी मिल "सम्पूर्णानगर जनपद–लखीमपुर खीरी के कर्मचारीगण अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर मिल गेट पर गत काफी दिनों से क्रमिक–अनशन कर रहे हैं । मिल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समिति, सहकारी चीनी मिल संघ व शासन कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के प्रति पूर्णतया उदासीन/मौन है । मिल प्रशासन, संघ व शासन के अड़ियल रवैया से कर्मचारियों, उनके परिजनों, गन्ना–कृषकों, जनप्रतिनिधियों में घोर क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है । क्रमिक अनशनकारी कर्मचारीगण कभी भी अपनी मांगों के समर्थन में ''आमरण-अनशन'' भी शुरू कर सकते हैं, जो अत्यन्त दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण होगा ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के इस मामले को आप की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त अनशनकारी कर्मचारियों की मांगें तत्काल स्वीकार किये जाने तथा अनशन समाप्त कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद गोण्डा के क्षेत्र गैंसड़ी के ग्रामीण अंचलों में भीषण ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० शिव प्रताप यादव–

[मान्यवर, जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के ग्रामीण अंचलों में भीषण ओलावृष्टि से 80 प्रतिशत रबी की फसलें नष्ट हो गई हैं । तत्काल राहत-कार्य की आवश्यकता है ।]

जनपद वाराणसी के थाना रोहनियां के अन्तर्गत हुए बमकाण्ड की जांच कराने तथा प्रभावित लोगों को सहायता दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल–

[महोदय, तारीख 23-10-93 को थाना रोहनियां जिला वाराणसी के कार्यालय के पीछे तथा परिसर की चहारदीवारी के अन्दर 10 बजकर 30 मिनट पर बम फट गया, जिससे मरम्मत कर रहे भवन के कारीगर अशोक कुमार प्रजापति व मजदूर लालजी अनुसूचित जाति (चमार) क्रमशः उमरहा व विदवारी पंचरांव थाना चौबेपुर बम फटने से घायल हो गये तथा लालजी की मृत्यु हो गयी । जिसकी रिपोर्ट नं० 19 रोजनामचा आम 10-30 बजे थाना रोहनियां वाराणसी में दर्ज है ।

आज तक इसकी जांच नहीं की गयी और लालजी की स्त्री मुन्नी देवी व उसकी मां उपराई के प्रार्थना-पत्र देने पर कोई अधिकारी नहीं गया और थानाध्यक्ष तथा अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर रोहनियां से उनको हटाया भी नहीं गया । मुआवजा भी नहीं दिया गया । इसलिये इस लोक-महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये रोहनियां पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने एवं मुआवजा देने की मांग करता हूं, और माननीय मुख्य मंत्री से सारी घटना की जांच कराने की मांग करता हूं और थानाध्यक्ष समेत सभी पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग करता हूं ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

प्रतीक्षा सूची में दूसरी सूचना श्री राम करन आर्य जी की है जिसे टेक-अप नहीं किया जा रहा है। जिन सूचनाओं को अग्राह्य किया गया है उन माननीय सदस्यों के नाम हैं श्री राम विशुन आजाद, श्री धू-राम चौधरी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री हरवंश कपूर, श्री लक्ष्मी चन्द्र, श्री कृष्ण कुमार नवमान, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री मुक्तिनाथ, श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री वंशीधर, श्री अजय कुमार पोइया, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री बची सिंह रावत, तथा श्री राम प्रकाश टम्टा।

सदन में दिनांक 1 मार्च, 1994 को प्रश्नोत्तर काल के दौरान कतिपय सदस्यों द्वारा आरोप-प्रत्यारोप के संबंध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

अब मुझे सदन को एक निर्णय की सूचना देनी है जो इस प्रकार हैं :–

विधान सभा की दिनांक 1 मार्च, 1994 के उपवेशन में विधान सभा की कार्यसूची की नत्थी "ग" के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नोत्तर के समय संबंधित माननीय मंत्री और प्रश्नकर्ता सदस्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का आदान प्रदान हुआ था जो उक्त तिथि की असंशोधित कार्यवाही के पृष्ठ 25 से पृष्ठ 40 तक अंकित है। मैंने इस सम्बन्ध में सदन में यह घोषणा की थी कि मैं इस संबंध में निर्णय सुरक्षित रखता हूं और कार्यवाही को दिखवाकर कल तक निर्णय दूंगा। तद्नुसार इस संबंध में मेरा निर्णय निम्नवत् है :–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 289(क) में किसी व्यक्ति के विरुद्ध सदन में आरोप लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान-हानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सकें। सदन की यह परम्परा भी रही है कि सदन में वाद-विवाद के दौरान सदस्यगण उन व्यक्तियों के बारे में कोई आरोप नहीं लगाते जो सदन के सदस्य न हों। इसका उद्देश्य यह है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे आरोप का प्रतिवाद करने का अवसर उपलब्ध नहीं होता है। प्रक्रिया नियमावली के स्पष्ट प्राविधान और सुस्थापित परम्परा के विद्यमान होते हुए भी दिनांक 1 मार्च, 1994 को सदन में परस्पर आरोप एवं प्रत्यारोप लगाये गये।

मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि उक्त आरोपों की शुरुआत कैसे हुयी और कौन-कौन लोग उसमें अन्तर्ग्रस्त थे ? परन्तु यह अवश्य कहना चाहूंगा कि उसमें कुछ एक व्यक्तियों/पदधारकों का भी उल्लेख अवश्य हुआ है जो इस समय सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिये मेरा सभी सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे भविष्य में आरोप लगाने से पूर्व उपर्युक्त तथ्यों का अवश्य ध्यान रखें और प्रक्रिया नियमावली में जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके अनुसार ही आचरण करें। दिनांक 1 मार्च, 1994 को सदन की कार्यवाही में आरोपों और प्रत्यारोपों से संबधित जो भी अंश अंकित हैं उसे मैंने कार्यवाही से निकालने के आदेश दे दिये हैं।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें आयी हैं उनमें से दो-तीन सूचनायें ऐसी हैं जिन पर यदि माननीय सदस्य, सभी दलों के नेता चाहें तो उन पर मैं माननीय सदस्यों को बुलवा सकता हूं। यद्यपि कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि नियम 311 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी।

कार्य-मंत्रणा समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार सदन का संचालन न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न एवं श्री अध्यक्ष का निर्णय

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब एक निर्णय आपके समक्ष ले लिया गया कि आज दिनांक 3 मार्च, 1994 को नियम 311 व नियम 56 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी। उस निर्णय के मुताबिक हमारे दल के माननीय सदस्यों ने कोई भी सूचना नियम 311 या नियम 56 में नहीं दी और निर्णय का सम्मान किया। मान्यवर, कुछ लोगों ने सूचना दे दी यदि उनकी सूचनाओं को आज सुना जाता है तो मैं समझूंगा कि हमारे दल के लोग जो निर्णय का सम्मान करके चल रहे हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं व्यवस्था चाहूंगा कि जो निर्णय हो सब पर लागू हो, सब इसका सम्मान करें।

श्री अधक्ष–

ठीक है आपकी भावना आ गयी।

श्री राम आसरे वर्मा–

अन्यथा हम अपने अधिकार से वंचित रहते हैं इस पर मैं व्यवस्था चाहूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

कल के निर्णय के परिपेक्ष्य में.....

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्न प्रहर में कुछ उत्तेजना हो गयी थी उसी समय मैंने अपने माननीय सदस्यों से निवेदन किया और वह बैठ गये। पहले जो व्यवस्था थी उस पर कुछ चर्चा हुई आपका अधिकार है ताड़ित करे, प्रताड़ित करें। अभी माननीय राम आसरे वर्मा ने जो बात कही उससे मेरी विमति है। आपने कहां क्या निर्णय लिया वह आपका पूरा अधिकार है। लेकिन हमें जानकारी नहीं है, इसका दंड हमें नहीं मिलना चाहिये। कार्य-मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव आया है, अभी वह पारित नहीं हुआ हैं, सदन स्वयं में मास्टर है निर्णय लेने को यदि कोई निर्णय ले लिया है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये गुप्त जी मैंने अनुरोध किया है माननीय सदन और समस्त दल के नेता अगर यह निर्णय ले लें तो चर्चा के लिए समय मिल जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विषय को देखते हुये कृपया सुन लें जो महत्वपूर्ण समझें उन पर सुन लें, कितनों को सुनेंगे यह आप पर है लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उनको सुन लें ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया जो आपके कक्ष में बात हुई उसको सदन के संज्ञान में लाना उचित नहीं समझता हूं । लेकिन मेरा नैतिक कर्तव्य है कल जो आपसे अनुरोध किया था कि आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का अन्तिम दिन है । माननीय मुख्य मंत्री जी भी बोलेंगे और नेतागण भी बोलेंगे और नये सदस्यों को भी इसमें बोलने दिया जायेगा । मैंने अनुरोध किया था कि नियम 311 या अन्य नियमों की सूचनायें न लें जिससे साढ़े 12 बजे के बाद समय इसमें मिल जायेगा । इसी संदर्भ में, मैं अनुरोध करूंगा कल भी श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा बढ़ा लें, कल भी यह हो जाय तो करीब डेढ़ दिन लगातार चर्चा हो जायेगी । शून्य प्रहर साढ़े 12 बजे या पौन बजे तक हो जायेगा । इस पर जो नेतागण बोलना चाहेंगे उनको समय मिल जायेगा । यहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नियम 311 को आप सुनना चाहते हैं ।

मैं आग्रह करूंगा हम लोगों ने उस निर्णय का सम्मान किया है, हम लोगों की भावनाओं को देखें और जो नये सदस्य बोलना चाहते हैं वह बोल सकते हैं । आज किसी भी नियम पर चर्चा न कराकर सीधे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करा दें जिससे नये सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हो सके ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में, मैं भी था जो बात माननीय प्रमोद तिवारी जी और श्री राम आसरे वर्मा जी ने कही उसमें यही निर्णय हुआ था कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में बहुत से लोग नहीं बोल पाये हैं क्योंकि 5–5 बजे तक शून्य काल चला है । तय हुआ कि नियम 311 और 56 में कोई सूचना नहीं ली जायेगी । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी रोज समय लेते हैं, इनके दल के वरिष्ठ सदस्य भी मजबूर हैं । तो नहीं कहने से बात नहीं बनेगी कि मुझे जानकारी नहीं है । आपके दल के वरिष्ठ सदस्य को इस बात से आपको सूचित करना था जिन पर आपने इस बात की जिम्मेदारी सौंपी है अर्थात् जो उस समिति में है । श्री राम आसरे वर्मा जी भी 311 लिखकर लाये तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि कल निर्णय हुआ है कि इसको नहीं लिया जाएगा, आप इसका सम्मान करें । जो निर्णय हुआ है उसके आधार पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आप चर्चा शुरू करायें और जो विषय कार्य-मंत्रणा समिति में तय हो चुका है, उसको पुनः न खोलें ।

मैं साथ ही मा० गुप्त जी से भी कहूंगा कि वह इस पर जोर न दें, जिससे सारे नये सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले । चर्चा के दौरान भी वह उस चीज को कह सकते हैं जो वह सदस्य सरकार या सदन से कहना चाहते हैं । मान्यवर, इसलिये इस पर आप चर्चा शुरू कराकर ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अपनी बात कहने का इसमें मौका दें ।

* श्री मित्रसेन यादव–

मैं तो चाहता हूं कि न आपकी पीठ पर आंच आवे और न सदन अव्यवस्थित हो । तो जो आपने कहा कि हम फलां-फलां नियमों की सूचना नहीं लेगे, उसका परिपालन करायें । मा० गुप्त जी नहीं थे, लेकिन उनके द्विवेदी जी तो मौजूद थे, उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया था । आप अपने फैसले में मान्यवर, शिथिलता देंगे या उदारता बरतेंगे तो निश्चित रूप से अव्यवस्था होगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, इसी प्रकार का प्रकरण कई दिन पूर्व यहां उत्पन्न हुआ था । इसी माननीय सदन में आपने घोषणा की थी कि कल नियम 311 के तहत कोई भी सूचना नहीं ली जायेगी, उसका आदर करते हुए बहुत से सदस्यों ने–हम लोगों ने सूचना इसमें नहीं दी थी, नियम 56 तो निरस्त था ही, और आज जो लोग वकालत कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने उस दिन 311 में सूचना दी थी और सबको सुना भी गया था । यह हमारी आपत्ति भी आपके रिकार्ड में है । आप चाहें तो रिकार्ड देख लें, मैं कोई झूठ बात नहीं कह रहा हूं । आप इसकी अविलम्बता देख लें और हमारी सूचनाओं की ग्राह्यता पर उसी तरह आज बोलने का मौका दें ।

*नेता विरोध दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, कार्य-मंत्रणा समिति में जो भी निर्णय होता है, उसका सम्मान हम सबको करना होता है और करना भी चाहिये, परन्तु कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार प्रति-दिन कार्य सूची में उसका उल्लेख भी होना चाहिये । जैसे आज नियम 56 में न लिये जाने का उल्लेख तो है, लेकिन नियम 311 में कोई सूचना नहीं ली जायेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है । यदि यह हो जाता तो माननीय सदस्य इसकी सूचना न देते । तो भी मै चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का मौका मिले, इसलिये मेरा सुझाव है कि आज जो सूचनायें निय्रम 311 में दी गयी है, उनको दुबारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़े और अगले दिन के लिये उन्हें आप पोस्टपोन कर दें । इससे चर्चा भी हो जायेगी और आज की सूचना पर सदस्यों को दुबारा सूचना नहीं देनी पडेगी, वह आ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सभी दलों के नेताओं को सुना, माननीय नेता विरोधी दल की भावनाओं के अनुरूप जो आज की सूचनायें हैं उन्हें आज मैं टेक-अप नहीं कर रहा हूं । उन्हें निरस्त नहीं कर रहा हूं, उन्हें अगले दिन ले लूंगा और अब अगले मद को ले रहा हूं, जिससे अधिक से अधिक सदस्यों की भावनायें-विचार सदन के समक्ष आ सकें । सबसे पहले.....

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नियम 300 के बारे में आपका क्या कहना है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के.....

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

(व्यवधान के मध्य) जब आपने कहा था कि मैं नियम 56 की सूचना नहीं लूंगा, उसके बाद उसको लिया गया । मैं जब कल आपसे मिला था आपने कहा था कि आज के दिनांक के लिये उसको निर्धारित किया जायेगा, लेकिन आज फिर नियम 56 को निरस्त कर दिया गया है आज नियम 311 में भी उसको निरस्त कर दिया गया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप किसी को सुनते नही हैं । माननीय नेता विरोधी दल की बात को भी नहीं सुनते हैं । मैंने निरस्त नहीं किया है (व्यवधान) मैंने निरस्त नहीं किया है । समय नष्ट मत करिये । माननीय सदस्य आप बैठ जाइये । मैंने सूचनायें निरस्त नहीं की हैं । माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं की भावनाओं का आदर करते हुये अगले दिन के लिये सुनने के लिये .....

(तत्पश्चात विरोधस्वरूप श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' सदन त्याग कर चल गये ।)

औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 के अन्तर्गत कुछ कहना चाहता हूं । माननीय सदस्य कृपया इसका पालन किया करें । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में नियम 300 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं और उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उक्त नियम के अन्तर्गत ऐसी सूचनाएं न दिया करें जो प्रक्रिया संबंधी नियम या संविधान के ऐसे अनुच्छेद जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता हो ।

माननीय सदस्यों को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिये कि वे जिस विषय को 300 के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं, वह मेरे संज्ञान में हो । इधर यह देखने में आया है कि 300 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं का सम्बन्ध उपरोक्त नियमावली या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से होता है जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है और सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य इसमें सहयोग करें । अब मैं नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें हैं उनको ले रहा हूं । पहले मैं आपके सामने उनके विषय रखता हूं ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3 मार्च, 1994 को नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में पहली सूचना श्री कल्याण सिंह और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है । इसमें विषय है केन्द्र सरकार द्वारा डंकल प्रस्ताव के मसौदे पर हस्ताक्षर करने से राज्य सरकार के अधिकारों पर असर के संबंध में है । इस विषय पर नियम 311 के अन्तर्गत दिनांक 23–2–94 को चर्चा हो चुकी है, अब मैं समझता हूं कि इसे.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष–

उचित नहीं समझता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने डंकल प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है । मेरी बात सुन तो लीजिये ;

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं सूचनायें बता दूं उसके बाद कह लीजियेगा । दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी व श्री नरेश अग्रवाल जी व श्री जगदम्बिका पाल की है । इसका विषय है जनपदों में अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक भवनों का शिलान्यास किये जाने के संबंध में है । दि० 22 दिसम्बर, 1993 को इस संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया था इसके बावजूद भी इस तरह की कार्यवाही की जा रही हैं । मैं सरकार को यह निर्देश देता हूं कि इस प्रकार के कामों पर रोक लगाई जाय । बाकी सूचनायें 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिये प्रथमदृष्टया के आधार पर श्री रंगनाथ मिश्र ने जो सूचना नियम 300 के अन्तर्गत दी है उस पर संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद निर्णय लिया जायेगा ।

श्री किरन पाल सिंह, श्री राम आसरे वर्मा व श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) ने लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को 25 फरवरी, 1994 की रात में विखण्डित किये जाने के संबंध में सूचना दी है ।

चूंकि इससे मा० सदन की कार्यवाही में कहीं बाधा नहीं डाली जा रही है । इसे निरस्त किया जाता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग ने 2 मार्च 1994 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 नत्थी (ग) के उत्तर के संदर्भ में है, इसमें औचित्य के प्रश्न के संबंध में चर्चा कराने के संबंध में है, इसे अस्वीकार किया जाता है ।

श्री बालेश्वर त्यागी की सूचना पिछड़ा वर्ग को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में है इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । अतः इसे अस्वीकार किया जाता है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल की सूचना को भी परीक्षण करने के उपरान्त अस्वीकार किया जाता है ।

केन्द्र सरकार द्वारा डंकल प्रस्ताव के मसौदे पर हस्ताक्षर करने से राज्य सरकार के अधिकारों पर असर विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अध्यक्ष महोदय मैं डंकल प्रस्ताव के गुण व गुण के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा । मैं केवल संवैधानिक स्थिति प्रस्तुत करना चाहता हूं । हमारा संविधान संघीय संविधान है और इसमें तीन सूचियां अलग हैं । संघसूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची । संघ सूची केन्द्र सरकार से संबंधित है, राज्य सूची राज्य सरकार से संबंधित है और समवर्ती सूची में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं । आप भारत का संविधान के अनुच्छेद 73 को देखने की कृपा करें । अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (1) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(क) जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, और

(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा :

परन्तु इस संविधान में या ससद द्वारा बनायी गयी किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मण्डल को भी विधि बनाने की शक्ति है ।

(2) जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में, जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है । ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले कर सकता था ।

अब मान्यवर, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है ? इस संबंध में आप राज्य सूची देखने की कृपा करें । राज्य सूची के मद 14,15, 16 को देखने की कृपा करें ।

राज्य सूची मद संख्या 14–कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों के संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है । (15) पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजन्तुओं के रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय । (16) भूमि, अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार, भूपति जिसके अन्तर्गत भूस्वामी और अपिधारी का संबंध हैं और भाटक का संग्रहण कृषि भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामण, भूमि विकास और कृषि उधार उपनिवेशन ।

संविधान के इन प्राविधानों से स्पष्ट है कि कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वह राज्य का अधिकार है । अतः डंकल ड्राफ्ट को अगर केन्द्र स्वीकार कर भी ले तो भी इससे राज्य पर अन्तर नहीं होगा राज्य पर वह प्रस्ताव लागू नहीं होगा । क्योंकि राज्य विधान मण्डल इस बारे में स्वतंत्र है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप इसके बाद सुन लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी मैं केवल एक जानकारी चाहता हूं, आप नियम 300 देखें । नियम 300 में उठाने का यह विषय है, क्या यह इस कोटि में आता है, यह आप बतायें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया है कि यह अनुच्छेद 73 जब तक जिंदा है, जब तक इसमें संशोधन नहीं होता है तब तक केन्द्र को ऐसा कोई करार करने का अधिकार नहीं है और वह करार उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा । हमारा नियम 300 जो है उसमें दो कमिटमेंट्स हैं, दो प्रतिबद्धतायें हैं । एक तो यह है कि वह मामला सदन के संज्ञान में होना चाहिए ।

मान्यवर, इस विषय पर सदन में चर्चा हुई है और वह आपके संज्ञान में है । दूसरी यह है कि वह विषय संविधान की धाराओं के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन

या प्रवर्तन के संबंध में होना चाहिए । श्रीमन्, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 73 है यह विषय उससे संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष–

गुप्तजी, अब मैं नियम 300 को पढ़ रहा हूं, आप बतायें कि यह कैसे औचित्य के प्रश्न की कोटि में आता है । औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । दूसरे औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ।

तीसरे, परन्तु अध्यक्ष किसी, सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे, यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में है । इसको आप छोड़िये । आगे है, उप नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य का प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अन्तिम होगा । मैं केवल आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप यह बता दीजियेगा कि 1–2 की कोटि में यह कैसे आता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो हमारी शर्तें हैं उसमें 300(1) देखने की कृपा करें । औचित्य का प्रश्न नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है के संबंध में होना चाहिए । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 73 जिसके तहत राज्य सूची बनी है और उस पर काम करने के लिये सदन का गठन हुआ है । यह जो कार्यपालिका है यह कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी है । जिस विषय पर केवल राज्य विधान मंडल को काम करने के लिये अधिकार है क्या उस मामले में कोई करार केन्द्र सरकार कर सकती है ।

केन्द्र सरकार करती है तो क्या वह हमारे ऊपर थोपा जा सकता है । मान्यवर, कृषि राज्य का विषय है और उसी बिंदु को लेकर यह मामला उठाया गया है । जहां तक मुझे जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, बिहार के मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव और राजस्थान ने भी अपनी आपत्ति इस संबंध में की है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप नियम 300(2) के अन्तर्गत यह कैसे आती है, बतायें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दूसरी शर्त यह है कि औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा । मान्यवर, एक चीज को कई तरीके से उठाया जा सकता है । हम पर इस संबंध में कुछ प्रतिबंध है जिनके संबंध में हम यह औचित्य का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं । जैसे जानकारी मांगने के लिये, स्थिति स्पष्ट करने के लिये, जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के समक्ष रखा जा रहा है, कोई

काल्पनिक प्रश्न के बारे में नहीं उठाया जा सकता है, विभाजन की घंटी बजने पर नहीं उठाया जा सकता है तो यह कुछ प्रतिबन्ध हैं जो हम पर इस संबंध में लगाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कुछ सदस्यों की भी राय इस पर ले लेने दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, संविधान का जो अनुच्छेद 73 है वह जब तक लागू है और उसके अन्तर्गत जो उत्तर प्रदेश को स्वायत्तता प्राप्त है उस पर आप कोई आंच न आने दें। यही मेरा निवेदन है।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं और उसमें संविधान का उद्धरण दिया है और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने उन बिन्दुओं को छिपा लिया है, जिससे उनका पक्ष कमजोर हो रहा था। मान्यवर, यह अन्तर्राष्ट्रीय अनुबंध, जब एक देश दूसरे देश से अनुबंध करता है, तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय अनुबंध कहते हैं। मान्यवर, जहां तक राज्य सूची की बात है, वह विषय इसमें दिये हुए हैं।

मान्यवर, राज्य सूची के पहले केन्द्र की सूची, सातवीं अनुसूची 246 की सूची 1 देखें। मान्यवर, आपने देखा होगा कि इसमें वह विषय दिये हुए हैं जो केन्द्र के विषय हैं। कौन-कौन से विषय केन्द्र के अन्तर्गत होंगे, तीन विभाग, तीन विषयों में बांटे गये हैं, एक केन्द्र, एक राज्य और एक समवर्ती सूची है। मान्यवर, कृपया उसको देखें। 13 और 14 अनुसूची को देखें। 13 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किये गये विनिश्चयों का कार्यान्वयन और 14 में विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गयी संधियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन है। तो मान्यवर, अगर विदेशों से कोई संधि करना होगा, कोई करार करना होगा यानि कि किसी दूसरे देश से संबंधित विषय होगा और उनके साथ कोई करार करना होगा, तो वह पूरी तरह से केन्द्र का विषय होगा, करार किसी चीज पर हो सकता है।

सुरक्षा पर, व्यापार पर हो सकता है, लेकिन जब किसी व्यवसाय पर दूसरा देश उससे संबंधित हो जायगा, तो वह इन्टरनेशनल एग्रीमेंट या अन्तर्राष्ट्रीय संधि, अन्तर्राष्ट्रीय करार होगा। तो यह केन्द्र सरकार का विषय है, प्रदेश सरकार का विषय नहीं है और न यह प्रदेश सरकार की सूची में है और न समवर्ती सूची में है। अब माननीय गुप्त जी ने एक बात और कही कि जिसमे प्रदेश सरकार का क्षेत्र है, तो ऐसा भी संविधान में दिया हुआ है कि ऐसी विषम परिस्थिति आ जाय तो केन्द्र सरकार बना दे। इस संबंध में मान्यवर, अनुच्छेद 253 और 254 देखने की कृपा करें। यह अनुच्छेद उल्लेख करता है उन परिस्थितियों का, जिनमें प्रदेश सरकार कोई एग्रीमेंट कर ले और केन्द्र सरकार कोई एग्रीमेंट कर ले, तो उन परिस्थितियों में क्या होगा, इस अनुच्छेद में पूरी स्थिति बतायी गयी है ?

अनुच्छेद 253–अन्तर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिये विधान–

इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गयी किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है। यानी केन्द्र सरकार जो करार करेगी, उसमें भारत का सम्पूर्ण क्षेत्र आ जायेगा, ऐसा नहीं है कि कोई राज्य या क्षेत्र उससे बाहर हो।

अब आप मान्यवर, 255 को देखें। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनायी गयी विधियों में असंगति। अगर कोई विधि केन्द्र सरकार द्वारा बनयी जाती है और राज्य सरकार द्वारा भी बनायी जाती है, केन्द्र सरकार की विधि ही मानी जायेगी, राज्य सरकार की नहीं मानी जायेगी। अब मैं अनुच्छेद 254 को पढ़ रहा हूं।

"यदि किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबन्ध संसद द्वारा बनायी गयी विधि को जिसे अधिनियमित करने के लिये संसद सक्षम है, किसी उपबन्ध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति संसद द्वारा बनायी गयी विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गयी हो, या विद्यमान विधि अभिभावी होगी और उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधि उस उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी।"

इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ नहीं हो सकता है। अगर भारत सरकार निर्णय ले लेती है, तो फिर प्रदेश सरकार का निर्णय शून्य हो जायेगा और वह प्रभावी नहीं रहेगा। उसका अन्तिम आप देख लें।

"परन्तु इस खण्ड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध मे कोई विधि, जिसके अन्तर्गत ऐसी विधि है जो राज्य के विधान मंडल द्वारा इस प्रकार बनायी गयी विधि का परिवर्धन, संशोधन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।"

मान्यवर, अब स्थिति स्पष्ट हो गयी है। माननीय गुप्त जी के द्वारा दो बिन्दु उठाये गये हैं, एक तो यह है कि कृषि का जो विषय है, वह राज्य सरकार का है, लेकिन जब मान्यवर, दूसरे देश से सम्बन्धित हो जायेगा तो वह विषय भारत सरकार का हो जायेगा, उसकी सूची में आ जायेगा। डंकल के संबंध में करार होने जा रहा है, वह एक नहीं तमाम देशों से सम्बन्धित है। मान्यवर, तो यह विषय केन्द्र सरकार का है, प्रदेश सरकार का विषय नहीं रह गया। अगर केन्द्रीय सरकार कोई निर्णय ले लेती है, तो राज्य सरकार का निर्णय प्रभावी नहीं रह जायेगा। गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, वह संविधान के विरुद्ध है और उसे लेना उपयुक्त नहीं है। इसलिये मैं इसे न लिये जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, तिवारी जी ने जो कुछ कहा है, उसके संबंध में मैं भी कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप अनुच्छेद 252 को देखने की कृपा करें। मैं उसे पढ़ रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह किस अधिकार से बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री किरन पाल सिंह को सुनना चाहूंगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने नियम 300 के अन्तर्गत एक प्रश्न उठाया है और जिसका उत्तर माननीय प्रमोद तिवारी जी ने दिया है। मान्यवर, यह सब सही है कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है, लेकिन यह किसी देश से समझौता नहीं है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंच है, उससे समझौता है।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री किरन पाल सिंह–

जो निर्णय केन्द्र सरकार करेगी वह समान रूप से सारे देश पर लागू होगा और उसका कंट्राडिक्ट्री कोई निर्देश कोई दूसरा समझौता, नियम बना लेंगे तो वह शून्य होगा। यह बात सही है लेकिन जो विषय प्रदेश की लिस्ट में है या कांक्रीट लिस्ट में है उस लिस्ट वाले विषयों में जो जनजीवन से जुड़ा है तो उनके द्वारा जितनी चर्चा इस सदन में हो जाय, चर्चा आ जाय तो मैं समझता हूं कि इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव देश के सम्मान पर पड़ने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नियम बतायें, चर्चा हो जाय या न हो यह बात दूसरी है। आप आसन ग्रहण करिये मैंने आपको सुन लिया है।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह कृषि से संबंधित विषय है और कृषि पर प्रभावी होने जा रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कहां मैं पूछ रहा हूं, कहां मैं जानकारी चाहता हूं। श्री किरन पाल सिंह जी आपकी बात हो गयी, आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो बात रखी थी उसका तिवारी जी ने प्रतिवाद किया। मैं आपकी अनुमति से अनुच्छेद 252 रखना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने यह चुनौती नहीं दी कि भारत सरकार को करार करने का हक नहीं है।

(व्यवधान)

* श्री जगदम्बिका पाल–

आपने गुप्ता जी को सुन लिया है इसलिये अब मुझे सुन लें। औचित्य की परिधि में आता है कि नहीं आता है, इसे सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आपकी पार्टी को सुन लिया है, आप बैठ जांय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता -

मान्यवर, मैंने यह नहीं चुनौती दी है कि केन्द्र सरकार को करार करने का हक नहीं है लेकिन राज्य पर प्रभावी कैसे होगा, यह पढ़ना चाहता हूं–उस विषय का तद्नुसार विनियमन करने के लिये कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिये विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा, जो अपने तत्पश्चात् अपने विधान मंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है ।

तो मान्यवर, संसद कोई निर्णय कर सकती है लेकिन 73 के परन्तुक के कारण जब यह विधान सभा या विधान परिषद् मिलकर हम उसे अपने प्रस्ताव द्वारा अंगीकार करेंगे तब वह हमारे प्रदेश में लागू होगा और जब तक अंगीकार नहीं करते हैं तब तक प्रदेश में लागू नहीं होगा । इसलिये मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि इसको ध्यान में रखकर अपना उत्तर दें । अगर हम अंगीकार नहीं करते हैं यह प्रतिबन्ध इसलिये लगाया गया है कि केन्द्र सरकार कोई करार करे उसमें विधान मंडल की राय जानना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, मैंने सुन लिया है ।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से केवल 3 बातें रखना चाहता हूं । पहला वाक्य, इसमें प्रश्न का जहां तक औचित्य का सवाल है, मैं समझता हूं कि करोड़ों लोगों की जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ यह सवाल है और कोई प्रश्न ऐसा कदापि ही होगा जो इससे अधिक औचित्यपूर्ण हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं तो इसके नियम को जानना चाहता हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, अनुच्छेद 252 में जो व्यवस्था दी गयी है उसके तहत राज्य सरकार की ओर से इस सदन को यह आश्वासन मिल जाय कि 252 के तहत हम कोई करार को स्वीकार नहीं करेंगे । एक तीसरा संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो गया है इसलिये मैं इस बात की मांग कर रहा हूं कि राज्य के महाधिवक्ता को सदन में बुलाकर उनकी राय जान ली जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री मित्रसेन यादव–

यह डंकल प्रस्ताव पर जो औचित्य का प्रश्न आया है, यह विषय बहुत गम्भीर है। पूरे देश और इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है। चूंकि माननीय राम आसरे वर्मा जी ने पिछले हफ्ते 311 के अन्तर्गत इसी विषय पर चर्चा की थी आपने उसमें व्यवस्था दी है कि सदन की भावना से केन्द्र को अवगत करा दिया जायेगा। जब एक विषय पर इस सदन में चर्चा हो चुकी है तो दुबारा उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए लेकिन विषय गम्भीर है इसमें आपके निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही हो। यह औचित्य का प्रश्न तो मान्यवर, नहीं बनता है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने जो औचित्य के रूप में प्रश्न उठाने का प्रयास किया है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि औचित्य का प्रश्न जो है संविधान के किसी अनुच्छेद जिनसे इस सदन का कार्य विनियमित होता है तब औचित्य का प्रश्न उठाया जाता है। इसे गुप्त जी संकल्प के रूप में भी लाये हैं। कदाचित् गुप्त जी सबसे जानकर लोगों में से हैं कि अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होता है। रूलिंग आपकी अभी तक पेंडिंग है। फिर उसी विषय पर दूसरे नियम में लाकर यहां पर उठाने की कोशिश की जा रही है। सकल्प पर रूलिंग रिजर्व है। नियम 106 में साफ-साफ लिखा है कि "अध्यक्ष विनिश्चय करेंगे कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वे कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेंगे जो उनकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।" यह कहां औचित्य का प्रश्न है, यह कौन सी स्वस्थ परम्परा डालने जा रहे हैं। एक विषय अध्यक्ष के विचाराधीन है, निर्णय सुरक्षित है। उसी विषय को दूसरे नियम में विधान सभा में लाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक गैट एग्रीमेंट का सवाल है, मा० मित्रसेन जी ने ही कहा कि सभी दलों की करीब-करीब चर्चा यहां पर आ चुकी है। बार-बार सिर्फ उसी विषय को लाने का प्रयास ही है। हम सब लोग सत्ता पक्ष में हैं। दिल्ली में जो सरकार है, माननीय प्रमोद जी यहां पर बैठे हुए हैं, वे हमारी यहां मदद कर रहे हैं। सिर्फ कठघरे में खड़ा करने की कोशिश है और दूसरी कोई मंशा नहीं है। यह कृषि क्षेत्र के प्रति इनको बड़ी चिन्ता आज हो गयी है और हम सबसे ज्यादा चिन्तित हैं व्यापारी क्षेत्र के प्रति। कृषि क्षेत्र पर तो हमारा मूल अधिकार है वह आप ले नहीं पायेंगे। इस गैट एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा, अमेरिका को होगा।

अमेरिका किस का दोस्त है यह भी सबको पता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अमेरिका किस पार्टी के हितों को देख रहा था, यह भी जनता जानती है, जो वहां के सिनेटर आये थे एक ही पार्टी के नेता से मिले थे। अमेरिका ने आर्थिक सहायता भी एक ही पार्टी विशेष को चुनाव में करायी है। और आज जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मान्यवर, यह सरकार किसानों की सरकार है और हम इसे कांग्रेस पार्टी और जनता दल के सहयोग से चलना चाहते हैं, साम्प्रदायिकता के राक्षस को मारना चाहते हैं। उसमें यह लोग हमारा साथ दे रहे हैं। जो हमारी गैट कार्यक्रम के बारे में नीति है, डंकल प्रस्ताव के बारे में नीति है उसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। जो हमारी चुनाव के पहले नीति थी वही नीति आज भी है और कल भी रहेगी।

मान्यवर, अगर आप देखें कि हिन्दुस्तान में सबसे पहले किसी मुख्य मंत्री ने आग्रह किया है डंकल प्रस्ताव के बारे में, जो किसान विरोधी है, मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाये तो वे हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं और उनकी मांग स्वीकार भी की गयी। प्रणव मुखर्जी जी का

बयान भी आ गया है । जो हमारी सरकार की नीति है उसको उन्होंने जानना चाहा है । जब एक संकल्प विचाराधीन है, इसी संबंध मे, उसमें आपने निर्णय दिया है तो फिर जबरदस्ती दबाव डालकर नियमों के विपरीत और परम्पराओं के विपरीत बात कहना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को शोभा नहीं देता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह जानना चाहा है कि गुप्त जी बतायें तो मैं बताना चाहता हू ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि इन्होंने अमेरिका से पैसा लिया है ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही गम्भीर बात कही है । मान्यवर, जब भी हम किसी जनहित का प्रश्न उठाते हैं, किसानों के हित की बात उठाते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक रटा रटाया टेप किया सा बोल देते हैं कि अमेरिका के पैसे से किसने चुनाव लड़ा । तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे से चुनाव लड़ती है, विदेशी पैसे से नहीं । यहां पर दो पार्टियां ऐसी हैं जिनको एक को तो अरब देशों से पैसा आता है और दूसरे को चर्च देशों से । यह डंकल प्रस्ताव के बारे में अपनी नीति क्या है यह स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं बैशाखी के बल पर यह सरकार चल रही है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । बहुत पुराने जमाने से एक बात सुनते चले आ रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका के पैसे से चुनाव लड़ा ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, इनकी पार्टी से कमेन्ट आ गया है । यहां पर दो पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें अरब देशों से व चर्च देशों से पैसा मिल रहा है । इन्होंने अमेरिका के हाथों में पूरे हिन्दुस्तान की आजादी को गिरवी रख दिया है । यह सरकार अपने चुनावी वायदों से मुकर रही है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप लोग बैठ जायें, मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आदेश देता हूं, आप लोग बैठ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपको मेरी व्यवस्था सुननी होगी।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पूरी व्यवस्था आप सुनें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन तो लिया। अब मैं आज्ञा नहीं देता।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 1 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी। 1 बजकर 52 मिनट पर मार्शल से सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

[समय 2 बजकर 30 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं मैं उन सभी सूचनाओं को अग्राह्य करते हुए अगली मद ले रहा हूं।

(मद संख्या–4 पर श्री राकेश सचान का नाम पुकारे जाने पर वह उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे)

नोट :— [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 2 मार्च, 1994 की बैठक में सदन के दिनाक 3 मार्च, 1994 से 18 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1–सदन के दिनांक 3 मार्च, 1994 से 18 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :—

(सदन की सहमति से कार्यक्रम पढ़ा हुआ माना गया।)

[मार्च, 1994

3 गुरुवार	1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
	2–उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 पर विचार एवं उसका पारण – आधा घंटा।
4 शुक्रवार	1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
	2–5.00 बजे अपराह्न
	वित्तीय वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।
5 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
6 रविवार	
7 सोमवार	1–असरकारी दिवस (दिनांक 8-4-94 के स्थान पर) (आधा दिन)।
	2–विधायी कार्य (आधा दिन)।
8 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
	2–विधायी कार्य।

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्च, 1994

9 बुधवार	1–विधायी कार्य । 2–5.00 बजे अपराह्न 1–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण । 2–वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ।
10 गुरुवार	(शिवरात्रि का अवकाश) ।
11 शुक्रवार	
12 शनिवार	
13 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
14 सोमवार	
15 मंगलवार	(ईद-उल-फितर का अवकाश)
16 बुधवार	1–वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण । 2–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
17 गुरुवार	
18 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
19 शनिवार	
20 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
21 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (अन्तिम दिन)
22 मंगलवार 23 बुधवार 24 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
25 शुक्रवार	
26 शनिवार	बैठक नहीं होगी । (होली का अवकाश)
27 रविवार	
28 सोमवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मार्च, 1994	
29 मंगलवार 30 बुधवार 31 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
अप्रैल, 1994	
1 शुक्रवार	(गुड फ्राइडे का अवकाश)
2 शनिवार 3 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
4 सोमवार 5 मंगलवार 6 बुधवार 7 गुरुवार 8 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
9 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
14 गुरुवार 15 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी (डा० भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस का अवकाश)
16 शनिवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
17 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
18 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2–दिनांक 3 मार्च एवं 4 मार्च, 1994 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम-56 की सूचनाएं न ली जायं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें जिसकी सूचना आज दिनांक 3 मार्च, 1994 को माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद कानपुर (देहात) तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम धरछुआ, मेघरी, सूरजपुर एवं सहबातपुर में ग्रामीण पेयजल योजना चालू कराने एवं धरछूआ में पानी की टंकी का निर्माण किये जाने विषयक श्री शिव शंकर सिंह आदि की याचिका

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मुझे अपनी याचिका रखने का अवसर दिया जाय।

श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं जनपद कानपुर (देहात) तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम धरछुआ, मेघरी, सूरजपुर एवं सहबातपुर में ग्रामीण पेयजल योजना चालू कराने एवं धरछुआ में पानी की टंकी का निर्माण किये जाने विषयक श्री शिव शंकर सिंह, श्री पंकज कुमार सचान तथा श्री राधेश्याम सचान, निवासीगण ग्राम धरछुआ तथा मेघरी, पोष्ट बरीपाल, जनपद कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को विखण्डित किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न को सुने जाने की मांग

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपसे जानकारी भी चाहता हूं और व्यवस्था भी। अभी जिस समय सदन स्थगित हुआ उस समय नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाओं को लिया जा रहा था।

श्री अध्यक्ष–

श्री वर्मा जी सभी दलों के नेताओं से परामर्श होने के बाद ही यह तय हुआ कि आगे चर्चा शुरू कराई जाय ताकि अधिकांश माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जाय और नियम 300 के अन्तर्गत सभी सूचनाओं को अग्राह्य कर दिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। आपके कक्ष में एक बैठक हो गई। नेतागण की बैठक हो गई वहां पर क्या निर्णय हुआ, उससे सदन अवगत नहीं हुआ। नियम 300 की सूचनायें चल रही थीं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी, मैंने आते ही कह दिया कि नियम 300 की सभी सूचनाओं को अग्राह्य करते हुए आगे की मद लेता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने कहा था कि मैं आपको सुनूंगा । लखनऊ विश्वविद्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को विखण्डित किया गया.....

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं । आप हर विषय पर व्यवस्था उठा देते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से बंधा हुआ हूं । जब तक आप अनुज्ञा नहीं देंगे, मैं बोलूंगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

यदि आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो आप उठायें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का यह प्रश्न उठाना चाहता था कि नियम 300 के अन्तर्गत जब यहां पर प्रकरण चल रहा था तो उस समय आपने ही व्यवस्था दी थी कि आप चाहें तो कार्यवाही निकालकर देख सकते हैं, कि मैं आपको सुनूंगा । आपके कक्ष में एक बैठक हुई और निर्णय लिया गया । मुझे उस निर्णय की जानकारी नहीं है अगर जानकारी होती, चाहे वह आपके कक्ष से हो या पीठ से हो, उन निर्देशों का अनुपालन करना मेरा कर्तव्य बन जाता है । हम अनुपालन करेंगे भी । कम से कम आप यह व्यवस्था तो दे दें कि अगर आप आज मेरी सूचना को नहीं सुन सकते तो कल आप हमारी सूचना को ले लें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी सबसे पहले जब मैं यहां सदन में आया और आसन पर बैठा तो उस वक्त मैंने यही कहा था कि सभी दलों के माननीय नेताओं की बैठक हुई है और उसी के आधार पर नियम 300 के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाये गये हैं, उन सभी को निरस्त किया जाता है । अब मैं आगे की मद ले रहा हूं । इसलिये माननीय श्री वर्मा जी आपसे अनुरोध करूंगा कि जो कह दिया गया है, उसमें पुनः व्यवस्था न उठायें । चर्चा आगे प्रारम्भ हो ताकि जो सदस्य अभी तक नहीं बोल सके हैं, उनको अवसर मिले ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम का निर्धारण

श्री अध्यक्ष–

सदन को एक सूचना भी देनी है, जो इस प्रकार है :–

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1–नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	मंगलवार 8 मार्च, 1994 को अपराह्न 4.00 बजे तक

2–नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	बुधवार 9 मार्च, 1994 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।
3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	सोमवार 14 मार्च, 1994 को अपराह्न 4.00 बजे तक।
4–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान.	बुधवार, 23 मार्च, 1994 को पूर्वाह्न 10.30 से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, ऐसे प्रस्ताव तो माननीय नेता विरोधी दल की सहमति से आ जाते हैं। यह ठीक है कि आपको प्राधिकृत कर दिया गया है परन्तु इस समय नेता विरोधी दल यहां पर नहीं हैं, उनकी तरफ से यह प्रस्ताव आ जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी पहले प्रस्ताव तो सदन के समक्ष आ जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह नेता विरोधी दल की सम्मति से आयेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आपकी क्या जिज्ञासा है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

प्रस्ताव आ जाता उसके बाद सदन ने आपको अधिकृत कर ही दिया है जो चुने भी जाने हैं उनको नामित कर देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ऐसा प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल की सम्मति से आते हैं वह इस समय हैं नहीं अन्यथा हम कर देते।

श्री राम आसरे वर्मा–

प्रस्ताव यह आ रहा है कि सदस्यों का चुनाव होना है उसके बाद नेता विरोधी दल की सहमति से आपको अधिकृत कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को सूचित कर रहा हूं जो प्रोग्राम है उसे सूचित कर रहा हूं। दो लाइन और शेष रह गयी हैं उनको पढ़ रहा हूं।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचन सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव † (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई वक्तव्य मंत्रियों का नहीं है। अगली मद संख्या 8 श्री बी०आर० वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी है–"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 21 फरवरी, 1994 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, चर्चा आरम्भ की जाय। मान्यवर, मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण गौर से पढ़ा। इस अभिभाषण में पेय जल की समस्या को गम्भीर बताते हुये समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। उस घोषणा में कानपुर में एक बैराज बनाने की बात कही गयी है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पेय जल की समस्या बहुत गंभीर है लेकिन आगरे की पेय जल समस्या की उपेक्षा हुई है। वहां की पेय जल की समस्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आगरे की जनता को केवल कच्चा पानी के लिए केवल यमुना नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्यूब वैल या अन्य प्रकार के जो कुंवें हैं वे खारे पानी के कारण कामयाब नहीं हुये। दिल्ली में ओखला में जो बैराज बनाया गया है उससे दिल्ली, नौयडा, फरीदाबाद, मथुरा का जो मलमूत्र है वह यमुना नदी में आता है जिससे यमुना की शक्ल एक गंदे नाले की तरह हो गयी है।

आगरे की जनता को 36 लाख लीटर प्रतिदिन पीने के लिये पानी चाहिये लेकिन आगरे की जनता को केवल 21 लाख लीटर पानी उपलब्ध होता है। उसकी भी गुणवत्ता ऐसी है कि उसे पीने को मन नहीं करता है। आगरा एक ऐतिहासिक नगर है, वहां पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। वहां बिजली और पानी की जो गम्भीर समस्या है, उसके कारण दिल्ली की लाबी हावी है और वह पर्यटकों में यह प्रचार करती है कि तुम आगरा में जाओ तो फौरन वापस आ जाओ, क्योंकि वहां बिजली और पानी की बड़ी हालत खराब है। इससे आगरा में पर्यटक ठहरता नहीं है। वह सुबह आता है और शाम को वापस चला जाता है। इस प्रकार हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिलने में भी कमी आ गई है। यह सरकार आंकड़ों और घोषणाओं की सरकार है। अब जो घोषणाएं मुख्य मंत्री कर रहे हैं आगरा के लिए पहले भी वैसी उन्होने घोषणा की थी, जिसे कभी पूरा नहीं किया गया।

उस समय आगरा जल संस्थान में जब 90 एम०एल०डी० फिलट्रेशन प्लांट का उद्घाटन करने मुख्य मंत्री 4 अप्रैल, 90 को गये थे, तो उन्होंने जनता की 500 हैण्ड पम्पस की मांग पर 600 हैण्ड पम्पस देने की घोषणा की थी और 25 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। लेकिन उनकी 90 की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई है। इसके लिए मैंने कई स्मृति पत्र दिए और जनप्रतिनिधियों के कई प्रतिनिधि मण्डल भी इस हेतु मिले, किन्तु कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए जो किया जा रहा है, वह भी ठीक नहीं है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के नाम पर वहां पर उद्योग धन्धे बर्बाद हो रहे हैं, जिससे वहां के लोगों में भारी बेरोजगारी फैल रही है। इसलिए वहां पर निरन्तर विद्युत

† दिनांक 1 मार्च, 1994 की कार्यवाही से।

आपूर्ति की आवश्यकता है और यह भी आवश्यकता है कि वहां के लिए प्रदूषण रहित उद्योग धन्धे जैसे इलेक्ट्रानिक उद्योग और इसी तरह के अन्य उद्योगों को वहां बढ़ावा दिया जाए, किन्तु इसका कोई उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है ।

इसमें घोषणा है कि प्रजापतियों को मिट्टी खोदने के लिए जमीन दी जाएगी, पर पहले तो गांवों के प्रजापतियों को ही यह नहीं मिल पा रही है, फिर शहरों में जो प्रजापति रहते हैं, उनको यहां जमीन देने की उनके पास क्या योजना है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इनके पास इस प्रकार की कोई योजना है । अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सरकार में साम्प्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है । जैसा मैंने पहले कहा यह सरकार आंकड़े और घोषणाओं की सरकार है मैं इनके शासन में बढ़ते हुये अपराध व गम्भीर कानून व्यवस्था की ओर इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं, सरकार आगरा में पुलिसकर्मियों द्वारा जो अपराध किये गये हैं उनकी ओर उनका ध्यान ले जाना चाहता हूं । वहां पर कुबेरपुर में एक टैंकर को रोक कर एक व्यापारी लूटा गया पुलिसकर्मियों द्वारा । उसका तीन लाख रुपया लूट लिया गया । फिर एस०पी० सिटी के गनर और ड्राइवर द्वारा नेहरूनगर में एक व्यापारी से 7 लाख रुपया लूट लिया गया ।

इसी तरह एक तीसरी घटना में एक प्रधान के पुत्र, जो पुलिस कर्मी है, गोली प्रहार करके दो लोगों की हत्या कर दी और 6 लोगों को घायल कर दिया । केवल पुलिस ने जो अपराध किये हैं, वही मैंने आपके सामने रखे हैं । यदि हर अपराध का वर्णन करूं तो मैं समझता हूं कि मुझे 2 घन्टे लगेंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये, आपने बहुत समय ले लिया ।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

जब मा० कल्याण सिंह जी यहां मुख्य मंत्री थे, उन्होंने आगरा जल संस्थान को 302.25 लाख रुपया दिया था पानी की गुणवत्ता को सर्वोत्तम बनाये रखने के लिए, लेकिन इस समय की सरकार पेयजल की शुद्धता पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, उसके प्रति जरा भी गम्भीर नहीं है ।

श्री फौजदार प्रसाद–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अभिभाषण के अन्तर्गत प्रदेश के विकास के लिए जो बातें प्रकाश में आई हैं, उसमें मैं, कुछ अपनी बातों को जोड़ना चाहता हूं । मैं विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद जनपद मऊ से चुनकर आता हूं उस क्षेत्र को अब तक क्योंकि केन्द्र शासित कह लेते हैं केन्द्रीय राज्य मंत्री कल्पनाथ राय जो लोक सभा में जीतते हैं इनके द्वारा चार विधान सभा क्षेत्रों के विकास का कार्य किया गया है । मान्यवर, मैं मुहम्माबाद गोहना विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं इसका विकास नहीं हो सका है मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि वह यहां विकास के हर कार्य करने के लिये प्रयास करे । यहां पर कोई राजकीय बालिका इन्टर कालेज नहीं है, कोई पालीटेक्निक कालेज नहीं है, वहां पर आने-जाने के लिये अच्छी सड़के नहीं हैं, नहरों से किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता है, सिंचाई के अच्छे साधन नहीं हैं ।

यहां पर जो राजकीय नलकूप हैं, उसकी दशा खराब है, किसानों को बड़ी दिक्कत होती है । वहां पर लोगों को तरह-तरह की परेशानियों को उठाना पड़ रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी

से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र का विशेष रूप से ध्यान रखकर विकास किया जाय । मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का जो कोटा है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उस आरक्षण के कोटे को पूरा किया जाय । हमारी सरकार ने आरक्षण कोटे को जो पूरा करने की बात कही है, उसको त्वरित गति एवं पूरी शक्ति के साथ पूरा किया जाय । जहां तक अत्याचार, जुल्म की बात है मैं बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने बहुत से लोगों को बन्दूक के लाइसेंस जारी किये । इनके बन्दूक लाइसेंस जारी करने से यह लोग गरीब तबके के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ।

मैं मान्यवर, अपनी सरकार से यह मांग करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने शासन में लोगों को बन्दूक के लाइसेंस जारी किये थे उसी तरह से अपनी सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को भी लाइसेंस जारी करने की घोषणा करे ताकि गरीब तबके के लोगों की सुरक्षा हो सके । मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के गांवों का विद्युतीकरण कराया जाय । जो आदर्श अम्बेडकर गांव घोषित किये जा रहे हैं उनके लिये अलग से धन की व्यवस्था करके उनका विकास किया जाय । वहां स्कूल खोले जायं व प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति के जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लेने हेतु 25% आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जायं । इस तरह से अपनी बात रखते हुए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, सामने बैठी सरकार यह कहती है कि यह दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सरकार है । बड़े दुःख की बात है कि आगरा जैसे महानगर में सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक जाति के लोग रहते हैं ।

आगरा महानगर के विकास के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । वहां के बारे में एक बार कांग्रेस के केन्द्रीय मंत्री ने कहा था कि दुनिया में सबसे गन्दा शहर आगरा है । मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आगरा में सफाई के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है, वहां पर सफाई कर्मचरियों की अधिक भर्ती की जानी चाहिए ताकि नगर में सफाई हो सके । वहां का मशहूर उद्योग जूते का है । आज जूता बनाने वाले श्रमिक की हालत इतनी खराब है कि वह अपना पेट तक नहीं भर पा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर जूते की फैक्ट्री सरकारी खर्चे से लगायें और इन लोगों को रोजगार दें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके । नगर के अन्दर अंधकार छाया रहता है । विद्युत पोल्स पर विद्युत व्यवस्था नहीं है, क्षेत्रीय अधिकारी से बात करो तो वह कहते है कि धन के अभाव में व्यवस्था नहीं कर सकते हैं ।

आपके मध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां प्रकाश व्यवस्था के लिये अलग से धन की व्यवस्था करायें नालों की साफ-सफाई की व्यवस्था की जाय । आबादी के अनुपात में स्कूल कालेज खोले जायं अनुसूचित जाति के लोग उच्च विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं । छात्र-छात्राओं के लिये स्कूल खोले जायं जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने 16 घन्टे बिजली उपलब्ध कराने की बात कही है, उसका पालन कराया जाय । विद्युत व्यवस्था तो ऐसी है कि यहां पर बिजली आंख मिचौली खेलती रहती है । एक घन्टे बिजली आती है तो फिर दो घन्टे के लिये चली जाती है । मलिन बस्तियों में निःशुल्क शुलभ शौचालय बनाये जायं ।

श्री राम दास पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमें कुछ कहने का मौका दिया । आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निहित स्वार्थ वाले जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ऐसी फासिस्ट वादी शक्तियां बढ़ी हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जिस प्रकार से उन पर काबू पाया है निश्चित ही वह स्वागत योग्य कदम है । मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग फासिस्ट वादी शक्तियों पर विश्वास करने वाले लोग , इस मुल्क से लोकतंत्र को समाप्त करने वाले लोग हैं, जो इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक देने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह अपने कदम को वापस लें, वरना आने वाली पीढ़ियां आने वाला इतिहास उनको माफ नहीं करेगा यह मैं कहना चाहता हूं । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांवों के विकास के लिए जो 70% खर्च करने की बात कही है, वह निश्चित ही एक स्वागत योग्य कदम है ।

आज गांव निश्चय ही बहुत पिछड़े हुए हैं । आज जो यह सामने बैठने वाले लोग हैं । यह फाइव स्टार होटल में विश्वास रखने वाले लोग हैं । ये पांच सितारा संस्कृति से ऊपर उठकर गांवों की तरफ इनको भी ध्यान देना चाहिए । जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती है उनकी चिन्ता न करके इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में नहीं झोकना चाहिए । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । मान्यवर, आज मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां पर पिछली भाजपा सरकार ने अनेक अपराधियों को लाइसेंस दिए हों और यह बात सिद्ध करने के लिए भी तैयार हूं । पुलिस रिकार्ड में जो अपराधी हैं, जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को भी लाइसेंस दिए गये हैं । इस सम्बन्ध में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और जिन अपराधी लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं उनको निरस्त किया जाये । इसके (इस समय 2 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए ।)

साथ ही मेरी यह भी मांग है कि जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग सरकार में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के प्रबन्ध के लिए उन लोगों को निःशुल्क लाइसेस दिए जाएं । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र डेरापुर में सड़कों का अभाव है और पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर है कुएं सूख गए हैं । हालांकि सरकार ने इस पर ध्यान दिया है लेकिन इस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं चेतावनी देता हूं सामने बैठे हुए लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि जिस तरीके से आपने राजस्व मंत्री की कार जलाई वह गलत था । आपने राष्ट्र ध्वज को जलाने का प्रयास किया और यह बात सिद्ध हो गई है कि भाजपा के लोग इस मुल्क के संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं जो लोग राष्ट्र ध्वज को जलाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को राष्ट्र द्रोही कहना चाहिए । मान्यवर, अन्त में, मैं कानपुर के बारे में एक मिनट कहना चाहता हूं । कानपुर को भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते थे । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चाहे जितनी ताकत लगा लो कानपुर में आप लोग सांप्रदायिकता नहीं फैला सकते हो । इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं । इस सरकार ने अपने को किसानों के हित में कटिबद्ध घोषित किया है लेकिन आश्चर्य है कि आज प्रदेश के दक्षिणाचल में गंगा के किनारे बसे जिलों में नील गायों के कारण हजारों एकड़ जमीन पर लगी फसल नष्ट हो रही है । गांव के गांव जमीन परती जा रही है । किसान जाड़े की सारी रात खेत पर खड़े

काटता है । नीलगायों से रोकथाम के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है । पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में कदम उठाने का आश्वासन दिया था और यह घोषित किया था कि नीलगायों से किसानों की फसलों की रक्षा हेतु तत्काल कदम उठाई जायेगी । (शोर)

श्री अधिष्ठाता–

एक महिला बोल रही हैं । दूसरी बार चुनकर आयी हैं, आप लोग उनकी बात सुनें ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, शासन के इस मंशा को इस सरकार को पूरा करना चाहिए था । लेकिन इस सरकार ने नीलगायों से फसलों की रक्षा करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है । उचित होगा कि यह सरकार घोषणा करे कि वह कौन से कदम उठाने जा रही है जिससे नीलगायों से फसलों की रक्षा हो सके । मान्यवर, इसी के साथ मैं कहना चाहती हूं कि गांवों में सीलिंग कानून लागू है जिससे किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है । जिस किसान को 4 विश्वा जमीन मिलना चाहिये थी उतनी भी किसान को नहीं मिल रही है और चकबन्दी में इस जमीन पर उ०प्र० सरकार का नाम चढ़ाया जा रहा है । इस सम्बन्ध में अनेक प्रदर्शन व सभायें हो चुकी हैं । किसान कोर्ट व कचहरी दौड़ रहा है और बरबाद हो रहा है । जब तक इस पर फिर से विचार नहीं होगा तब तक किसानों का मानसिक व शारिरिक दोहन बन्द होने वाल नहीं है । यह जो सीलिंग कानून है यह उत्तराधिकार कानून के खिलाफ है । जो किसानों के छोटे बच्चे हैं, उनके आश्रित हैं उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं । इसलिये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसको जोड़ा जाय यह जो सीलिंग कानून है इसको तत्काल रोकने के लिये कदम उठाये जायं । मान्यवर, एक भीषण समस्या की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । प्रत्येक महानगर में शहरी सीलिंग कानून लागू है । इससे बड़ा संकट उपस्थित हो गया है । नगर विकास प्राधिकरण–व्यवसाय–प्राधिकरण बन गया है । 8 किलोमीटर की सीमा तक शहरी सीलिंग लागू है । इस सीमा में जिन किसानों की भूमि है वह माटी के भाव किसानों से छीनने तथा लाखों में बेचने की योजना है । इससे उनमें बड़ा असंतोष है ।

आज किसान अपनी ही भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग नहीं कर सकता है । समझ में नहीं आता है कि गांव ऐसे ही खुला क्षेत्र होता है उसको ओपेन लैंड क्यों घोषित किया गया है ? किसान अपनी जमीन पर अपना मकान नहीं बना सकता है, वह बरसात में भीगेगा–लेकिन अपना छप्पर नहीं डाल सकता है जिस भूमि पर डिग्री कालेज घोषित किया गया है, सरकार तो डिग्री कालेज खोलने से रही । लेकिन बीस साल तक किसान उस भूमि का उपयोग नहीं कर सकता है । किसानों के हितों के विरुद्ध उसकी भूमि पर जो मास्टर प्लान बनाये गये हैं उसको तत्काल रोका जाय । गांवों तथा शहरों में जो नजूल की भूमि है उस पर बहुखण्डी मकान बनाये जायं और किसानों की हरी-भरी जमीनें न ली जायं । किसानों से भू-स्वामीत्व का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है । मास्टर प्लान के नाम पर लगभग 460 गांव की जमीन सरकार लेने जा रही है इस पर रोक लगायी जाय ।

इस अभिभाषण में कहा गया है कि गांवों नगरों से जोड़ने के लिये सड़कें बनायी जायगी । मेरी समझ में नहीं आता कि क्या सड़क बना देने से नगर गांवों से जुड़ जायेंगे । नगर और गांव को जोड़ने वाली जो सड़के अभी विद्यमान है और जो उस पर राजकीय बसें चलती थीं, सरकार ने उन पर रोक लगा दी है, खासतौर से काशी विद्यापीठ मंडल से हजारों लोग रोजाना रोजी-रोटी के लिए शहर आते हैं

और जाते हैं, लेकिन बेचारी महिलाओं के लिए आने-जाने के लिए कोई साधन नहीं है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उन सड़कों पर जहां पर राजकीय बसें चलती थीं, बन्द हो गयी हैं, उनको तत्काल चलवाने की व्यवस्था किया जाय । सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जो ट्यूब वेल लगे हैं, ध्वस्त हो गये हैं, उन ट्यूब वेलों की मरम्मत के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बार-बार कहने पर यही जवाब मिलता है कि इस प्रकार के ट्यूब वेलों की मरम्मत करा दी जायेगी, लेकिन अभी तक किसी भी ट्यूब वेल को नहीं ठीक कराया गया है । इसको ठीक कराने की शीघ्र व्यवस्था कर दी जाय । मान्यवर, जिन ट्यूब वेलों की नालियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, उनको भी तत्काल ठीक कराया जाय, ताकि किसानों को पानी मिल सके ।

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं आभारी हूं । मान्यवर, इस सरकार की और सरकार के मुखिया की मैं सराहना करता हूं । कि इस वर्ष 4762 करोड़ रु० का संसाधन हमारी सरकार ने अर्जित किया है । इससे हमारे पूरे प्रदेश का विकास होगा, जोकि पिछली योजनाओं से 12 फीसदी अधिक है, इसके लिए मैं माननीय नेता सदन को बधाई देता हूं । मान्यवर, पिछली सरकार जो किसानों को साढ़े 3 घन्टे बिजली नहीं दे पाई, हमारे नेता सदन ने, हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने 16 घन्टे बिजली देना सुनिश्चित किया है और किसानों को मिल भी रही है, जिससे फसलों में बहुत भारी लाभ हुआ है । माननीय नेता विरोधी दल हो सकता है कि वह आज अपनी खामियों को सुनने के लिए उपस्थित नहीं हैं और जो सरकारी आंकड़े माननीय नेता विरोधी दल कह रहे थे कि बिजली की उपलब्धि नहीं है, चैलेंज करता हूं कि वह रोस्टर हर जिले का प्रस्तुत करें, मान्यवर, प्रत्येक जिले का, प्रति दिन का रोस्टर बनता है, वैसे तो माननीय नेता विरोधी दल दो दिनों से यहां पर मिथ्या अलाप कर रहे हैं ।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि 3-4 जिलों को छोड़ कर, पूरे बिजली की उपलब्धि हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य फिर बढ़ा दिया । इससे गन्ना किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है । मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा यह घोषणा हुई थी कि हरिजनों, मजदूरों और गरीबों को उठाया जायगा । मान्यवर, पहले बड़े-बड़े तालाबों का ठेका बड़े-बड़े माफियों को मिलता था, उसको इस सरकार ने रोक दिया है । अब इसका ठेका मल्लाह जो हैं, केवट जो हैं, गरीब जो हैं, उनको सबको मिलेगा, जिससे उनकी रोजी-रोटी बढ़ेगी, उनकी गरीबी दूर होगी । और उन्हें विकास के अवसर मिलेंगे । कुम्हारों को बर्तन बनाने के लिये मिट्टी नहीं उपलब्ध हो पाती थी, इसलिये हमारी सरकार ने यह प्राविधान किया है कि उनको मिट्टी मिल सके । मिट्टी के लिये उनको इधर उधर दोड़ना पड़ता था और मिट्टी नहीं मिल पाती थी, हमारी सरकार ने उनको जमीन देने का प्राविधान किया है और उन्होंने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है ।

यह हमारी पहली सरकार है, जिसने उनको यह सुविधा प्रदान की है । मान्यवर, प्रदेश में चौखम्भा राज्य की स्थापना के लिये जो 73 वें और 74 वें बिन्दु में संशोधन किया था, उस के आधार पर यह सरकार कृत संकल्प है और वह पंचायतों के चुनाव, नगर महापालिकाओं के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव तथा और भी जिन संस्थाओं के चुनाव होने हैं, उनको कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है । मान्यवर, हम लोग लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि सहकारी बैंकों के भी चुनाव पूरे हो जायेंगे । यह सरकार की पहली उपलब्धि है । मान्यवर, इन्होंने एक

काला कानून बनाया था, आपने एक काला कानून इस प्रदेश को दिया था और आप उसका प्रचार करते रहे, आपने नकल विरोधी कानून बनाया था ।

माननीय अधिष्ठाता जी मैं जानना चाहता हूं कि यह जो हमारे सामने बैठे हैं, जब इन्होंने परीक्षा दी थी तो क्या उस समय नकल विरोधी कानून था ? क्या कहीं पर इस तरह का कानून है, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का काला कानून कहीं पर नहीं है, लेकिन इस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है, जो बधाई की पात्र है । मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों की पढ़ाई डंडे के बल से नहीं होगी, डर से नहीं होगी और शिक्षकों को और अध्यापकों को सम्मान मिलेगा । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को शांत करें ।

(व्यवधान)

श्री प्रणत पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी प्रश्नों के उत्तर दिया करें और राज्यपाल के अभिभाषण पर जो समय मिलता है उसे नये सदस्यो को दिया करें, उनको बोलने का अवसर दिया करें ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, नेता विरोधी दल अलाप करते रहे । रोजाना उनकी जबान पर हत्या, लूट अत्याचार और बलात्कार रहते हैं । वह सदैव जंगल राज्य कहते रहते हैं । मान्यवर, नेता सदन ने उस दिन आंकड़े प्रस्तुत किये थे और उन्होंने बताया था कि आपके शासनकाल में अधिक हत्यायें और लूट हुई थीं । आप उन पर विश्वास करें । अगर जंगल राज्य है, तो आप सब लोग चुनकर कैसे यहां पर आ गये, जंगल राज्य होता तो आप यहां पर न आते । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन 700 करोड़ रुपयों को व्यय किया जायेगा तो प्रदेश का विकास होगा । तो आप देंखे कि इनका राज्य और हमारा राज्य बराबर का रहा है । इन्होने भी इतने ही समय तक राज्य किया है और हमने भी उतने ही समय किया है । आप दोनों की उपलब्धि को देख लें । भाजपा के सदस्यों का कार्यकाल और हमारा कार्यकाल देख लें ।

(व्यवधान)

श्री दल बहादुर कोरी–

यह कोई तरीका नहीं है कि हमको बोलने का मौका नहीं मिलता है । जनता ने हमको भी चुनकर भेजा है, हमें भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री बाबूराम यादव–

मैं कह रहा हूं कि हमारा और आपका कार्यकाल बराबर है । जो आपने किया है और जो हमने किया है, उसका विवरण मैं सदन मे रख रहा हूं । मान्यवर, सबसे पहले हमने गरीबों की दवाई का इंतजाम किया ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

एक सदस्य–

यह आपका कहना नहीं मान रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह निर्णय आपको नहीं करना है । आप लोग बैठें, शोरगुल न मचायें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये 99 और भाजपा के जमाने में बने 34, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हमारी सरकार ने बनवाये 94 और भाजपा सरकार ने 32, बड़े अस्पतालों का निर्माण हमारी सरकार ने कराया 7 और भाजपा ने एक ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इस तरह से अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, आप लोग बैठिये और इनको बोलने दीजिए ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, इस प्रकार से हमने 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 62 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 6 बड़े अस्पतालों का निर्णय अधिक कराया । इसी तरह से 1,23,720 विधवाओं को पेंशन मिल रही थी जिसको बढ़ाकर हमने 2,46,472 विधवाओं को पेंशन दी, विकलांगों को पेंशन दी हमने 57,689 को, हमने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 3,19,155 लोगों को पेंशन दी जब कि भाजपा सरकार ने 1,43,974 लोगों को ही पेंशन दी ।

इसी तरह से मान्यवर, सिंचाई विभाग के बारे में बता दें हमने नलकूपों का निर्माण कराया 995 और भाजपा सरकार ने 312, हमने 1117.80 कि०मी० नई नहरों की लम्बाई बढ़ाई और भाजपा सरकार ने 574.20 कि०मी० इस तरह से हमने 543 कि०मी० नई नहरों का निर्माण तथा 111.70 कि०मी० बड़ी नहरों की लम्बाई अधिक बनाई तथा 683 नलकूपों का निर्माण अधिक कराया, हमने 12,270 प्राइमारी पाठशाला के भवनों का निर्माण अधिक कराया है इसके अतिरिक्त हमने 280 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण एवं 31 बड़े पुलों का निर्माण अधिक करवाया, ग्रामों का विद्युतीकरण हमने कराया 7,613 और भाजपा सरकार ने कराया 1,798 ग्रामों का विद्युतीकरण, इस तरह से हमने 5,815 अधिक गांवों का विद्युयतीकरण कराया है, माध्यमिक शिक्षा के भवन हमने बनाये 18 और भाजपा सरकार ने कुल 7 बनवाये तो यह स्थिति है ।

(व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता जी, ये लोग इस प्रदेश को अराजकता की आग में झोकना चाहते हैं । यह आर०एस०एस० का पर्चा मिला है इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्वयं को राष्ट्रवादी, सुसंस्कृत बताता है मगर उसकी प्रधान भूमिका इस देश में ब्राह्मणवादी वर्चस्व कायम रखना और इसके लिए छलकपट, हिंसाचार और क्रूरता के प्रयोग से इस संगठन का उसी शैली में निषेध शुरू हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आज अभिभाषण पर तीसरा दिन है इधर के उधर के दोनों पक्ष के लोग बोल रहें हैं । जनतादल के सदस्यों का नाम भी दिया गया लेकिन किसी को मौका नहीं दिया गया है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि जनता दल के सदस्यों को उनके अधिकार से वंचित न किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आपकी तरफ से अभी नाम मेरे पास आया है दो माननीय सदस्यों का । मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि एक दिन जब मैं यहां बैठा हुआ था तो आपके ही दल के दो लोगों को मैंने बुलवाया था आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिए इसलिए यह आपका आरोप सही नहीं है ।

माननीय वर्मा जी, श्री तेजपाल सिंह व श्री हरेन्द्र सिंह बोल चुके हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है आज की कार्यवाही के बारे में उठाया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको समय दूंगा । लेकिन इस तरह से आपको व्यवस्था की बात नहीं उठानी चाहिये ।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । इस अभिभाषण पर मान्यवर महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये लिखा गया है । लेकिन, आज प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं । यह सरकार आज तक इस सदन में एक भी महिला मंत्री नहीं बना सकी । (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से शेम-शेम की आवाजें) मान्यवर, जो सरकार महिलाओं को इस मंत्रिमंडल में भागीदारी न दे सके, वह महिलाओं का क्या सम्मान करेगी ? मैं सभी की उन्नति के लिये यह बात कह रही हूं । यह कहा गया है कि महिलाओं को 30 प्रतिशत का आरक्षण प्रत्येक क्षेत्र में दिया जायेगा । जब इस सदन में आरक्षण आज तक नहीं दिया गया है तो और जगहों के लिये क्या कहा जाय ? प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें स्वयं संघर्ष करके आगे आ रही हैं इसमें सरकार की कोई बहुत बड़ी देन नहीं होगी । मैं आपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहूंगी कि रामनगर क्षेत्र बाराबंकी जिले का घाघरा की तराई में बसा हुआ है घाघरा की कटान से हजारों एकड़ भूमि कटती है हमारे क्षेत्र में सीलिंग की भूमि बहुत है वहां पर गरीबों, हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को सीलिंग भूमि के आवंटन की व्यवस्था का जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है । बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी के लिये मोहताज हैं । मान्यवर, बस की हमारे क्षेत्र मे बहुत दुर्गति है । परिवहन निगम की जो बस रानीबाजार से त्रिलोकपुर जाती थी बन्द कर दी गयी है । महादेवा में कांवरी का मेला चल रहा है । आज कल लखनऊ होते हुए रंगबिरंगे कांवरी हमारे क्षेत्र के मेले में जा रहे हैं । वहां पर दो बसें चलती थी एक बस अकस्मात बन्द कर दी गयी है अभी पिछले दिनों जब मैं क्षेत्र में गयी थी तो वहां के लोगों ने बताया कि एक बस बन्द कर दी गयी है । यह जन-विरोधी कार्य है । वह पर्यटन स्थल है वहां पर बस पुनः सेवा में ली जाय । मेरे क्षेत्र में बुढ़वल शुगर मिल है उसे सरकार निजी क्षेत्र में बेचने की बात कह रही है । यह सरकार इसमें सुनिश्चित करे कि उसमें कार्यरत जितने कर्मचारी हैं उनकी आगे की नियुक्ति कैसे की जायेगी उनकी नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है ।

चलचित्र निगम को निजी क्षेत्र में दिया गया, उनके कर्मचारी नौकरी के लिये भटक रहे हैं । ऐसी स्थिति में उनकी नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी आज तक सरकार ने नहीं ली है और निजीकरण की बात चल रही है । इसलिये हमारे क्षेत्र के श्रमिक बहुत ही आन्दोलित हैं किसान भी आन्दोलित हैं वह चीनी मिल समय से पूर्व ही बन्द हो गयी है किसानों को उससे बहुत ही परेशानी हो रही है । माननीय मुख्य मंत्री ने बाराबंकी में जो घोषणा की थी उसमें विस्तारीकरण की बात आ रही थी जबकि आज निजीकरण की बात हो रही है । हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । हमारे जिले से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं । बाराबंकी के विकास के नाम पर यहां जो धन जाय वह संसदीय कार्य मंत्री जी के क्षेत्र में ही खाली न लगे इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 8 क्षेत्रों में वह धन का सुदपयोग हो ।

मान्यवर, विद्युतीकरण के नाम पर कहीं विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है । पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है इस वजह से हमारे क्षेत्र में जो चयनित ग्राम हैं जो पुराने वर्षों से 10 ग्राम चयनित हैं उनको नहीं लिया गया है बहुत से जगह विद्युत की लाइन है तो खम्भे नहीं हैं इन सब बातों को क्षेत्र के विकास के हित में सुनिश्चित करना चाहिए हमारा क्षेत्र तराई का है वहां विकास की बहुत आवश्यकता है । वहां पर जो सिंधु नदी है वहां पर पुल नहीं है पुल न होने के कारण 20-25 कि०मी० घूमकर लोगों को आना पड़ता है और किसानों को अपनी उपज जैसे गन्ना, गेहू और चावल बैलगाड़ी से लाना पड़ता है और उससे लाने में कभी कभी दुर्घटनायें भी हो जाती हैं । ऐसी स्थिति में जिन पुलों की आवश्यकता है मैंने उसे लिखकर दे दिया है उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, महिलाओं का सम्मान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं ।

* श्री समर पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दर्पण होता है । जो सरकार दलितों एवं पिछड़ों के नाम बनी है वही सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर कर रही है । यह कहना सत्य से परे है कि हरिजन दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग निडर हैं । सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं पर हो रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य–

तो आप उन्हे समर्थन क्यों दे रहे हैं इधर आ जाइये ?

श्री समर पाल–

मान्यवर, सरकार का यह कहना है कि 16 घन्टे बिजली दी जा रही है तो यह झूठ है । मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए चैलेन्ज करता हूं कि कहीं भी 16 घन्टे बिजली नहीं दी जा रही हो । मान्यवर, मेरे गांव में जाकर देखें, मैं खाने पीने की व्यवस्था करा दूंगा, कि कितनी बिजली दी जा रही है । मान्यवर, अभी हमारे विपक्ष के बैठे हुए एक माननीय सदस्य, श्री शिव बहादुर जी ने कहा कि 32 सौ मजदूर भूखे पड़े हैं तो जिस समय आप थे उस समय आप क्या कर रहे थे ?

मान्यवर, आज भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है । अगर कोई गरीब आदमी सौ का नोट लेकर बाजार जाता है तो वह एक दिन का खाना भी नहीं जुटा पाता है । आज छात्र-छात्राओं का एडमीशन करना होता है तो उसमें भी पैसे लिये जाते हैं, स्कूलों की कमी है, अध्यापकों के पद रिक्त हैं और वह भरे नहीं जा रहे हैं और एक-एक क्लास में 100–100 स्टूडेन्ट पढ़ते हैं और यह शायद मंत्री जी भी जानते होंगे और सरकार भी जानती होगी मगर न जाने इन लोगों को उधर जाते ही क्या हो जाता है ? मान्यवर, मुरादाबाद शहर बहुत बड़ा शहर है । इसका एक चौथाई हिस्सा लाइन पार है और यह पीतल की बस्ती है । मान्यवर, वहां पर लड़कियों को आने के लिए पुल से आना पड़ता है और वहां पर कोई इण्टर कालेज भी नहीं है । 8, 10 केवल सिटी में बने हैं लाइन पार में एक भी महिला इन्टर कालेज नहीं है । मान्यवर, वह बहुत ही छोटा पुल है और उसमें गुण्डा-गर्दी भी बहुत होती है । छोटा पुल होने के कारण भीड़ बहुत हो जाती है जिससे लड़कियों को चलने में परेशानी होती है और उनके साथ छेड़खानी भी की जाती है । तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक इन्टर कालेज लाईन पार भी महिलाओं का खुलवाया जाये । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने अगर बड़ा सा बंगला बना लिया और उसके अन्दर एक मन्दिर भी बनवा लिया तो कोई ऐतराज नहीं करता है मगर किसी मुस्लमान ने अगर मस्जिद बना ली तो उस पर ऐतराज किया जाता है ।

मैं सरकार से यह चाहता हूं कि इसकी भी व्यवस्था करायी जाये । मान्यवर, नीलगाय के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि वह खेत को नष्ट कर देती हैं । वह हिन्दुओं के खेत को भी नष्ट करती है और मुसलमान के खेतों को भी नष्ट करती है । हिन्दू तो उन्हें मार देते हैं जबकि परमिट दोनों को मिला है मगर जब मुसलमान मारते हैं तो उन पर मुकदमा ठोंका जाता है तो इस पर ध्यान दिया जाये । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

श्रीमती रेखा छागला–

अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, अभिभाषण के सम्बन्ध में मेरे दल के सहयोगी माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करती हूं । मान्यवर, मैंने विरोधी दल के नेताओं को भी सुना, विशेषकर हमारे माननीय नेता विरोधी दल को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ । जब उन्होंने इसी सदन में, एक ही स्वर में, एक ही सांस में, एक ही साथ कुछ नारे अपने श्रीमुख से निकाले और उन्हें हमारे दल के मत्थे मढ़ा । मान्यवर, उनका एक नारा यह था "तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार । मान्यवर, यह नारा मैंने और मेरे दल के लोगों ने पहली बार सुना ।

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल को और उनके दल के सहयोगी सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि एक बार मा० कांशीराम जी से एक पत्रकार ने पूछा कि मा० कांशीराम जी आप ऐसा नारा लगाते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि देश के किसी कोने में अगर मैंने ऐसा नारा दिया है, तो आप मुझको वह कैसेट सुनायें और अगर आपने स्वयं सुना है तो बतायें। पत्रकार ने जवाब दिया कि मैंने स्वयं तो नहीं सुना, लेकिन दूसरों के मुंह से सुना है। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि माननीय नेता विरोधी दल और उनके दल के सदस्यगणों ने उनके मुंह से कभी ऐसा नारा नहीं सुना होगा, लेकिन इनको तो विरोध करने को कुछ न कुछ चाहिये।

मान्यवर, नेता विरोधी दल का सदन में एक विशेष स्थान होता है। नेता विरोधी दल सत्ता पक्ष को सही गलत का बोध कराता है, गलत नीति निर्धारण करने से बचाता है, लेकिन जब इस तरह का विरोध होता है तो विरोधी दल का सदन में महत्व अर्थहीन हो जाता है। मान्यवर, विरोध करना चाहिये, लेकिन सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिये। सही को सही कहने के लिये और जनहित का भला करने के लिये। ये नहीं कि चाहे झूठ हो, गलत हो, हमें तो बस विरोध करना है, यह सदन में विरोध पक्ष का मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुख्य लक्ष्य यह है कि सही बात सदन के बीच मे आये।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से इस सरकार की जनहितकारी नीतियों का खुलासा हुआ है, जैसे ग्रामीण समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। गन्ना के मूल्य में वृद्धि करके गन्ना किसानों को लाभ दिया जायेगा। कुम्हारों को जमीनों का पट्टा देकर सरकार ने उनकी समस्या दूर करने का काम किया है। इसी तरह समतामूलक समाज बनाने के लिये कृषि मजदूरों की मजदूरी में उचित वृद्धि करके इस सरकार ने गरीबों के आंसू पोछने का काम किया है। जो दबे कुचले पीड़ित लोग हैं, जो महिलाओं का उत्पीड़न होता था, उनकी आंखों में आंसू न आने पाये, माननीय मुलायम सिंह यादव व कांशीराम जी की सरकार ने ऐसा काम किया है। इन लोगों को गरीबों के दिलों का बेताज बादशाह बनने से कोई रोक नहीं पायेगा। मान्यवर, आज पिछड़ों, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वह एक साजिश के तहत कराया जा रहा है। हम यह कह देना चाहते हैं कि हम यह साजिश चलने नहीं देंगे। मान्यवर, मैं कह देना चाहती हूं कि दीपक बुझता है तो लौ छोड़ता है। आज सपा और बसपा के माननीय विधायकगण इतनी संख्या में जीतकर आये हैं, इसको यह लोग देख नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठ जायें।

श्रीमती रेखा छागला–

मान्यवर, इनके गुर्गे नहीं चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें। माननीय कांशी राम तथा मा० मुलायम सिंह यादव दलितों, पिछड़ों के हितों के रक्षक हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगणों से यह अनुरोध करती हूं और यह निवेदन करती हूं कि वह अपने जिले, क्षेत्र से हटकर देश की जनता का हित सोचें, करोड़ों लोगों के सामने एक आदर्श उपस्थित करें और इस देश में अमन-चैन बहाल करें। आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मुझे दिया है, मैं उसका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अमरनाथ यादव–

मान्यवर, वाराणसी में लाखों लोग आज शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं । वाराणसी एक ऐसा धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन का केन्द्र है, जहां लाखों की संख्या में देश और विदेश से लोग आते हैं, लेकिन वह पानी के लिए तरस जाते हैं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाये । मान्यवर, वाराणसी में हजारों की संख्या में सफाई मजदूर बेघर हैं, किसी प्रकार से घास-फूस और छप्पर बना करके, मिट्टी का मकान बनाकर निवास करते हैं । लेकिन यह दलितों, गरीबों और पिछड़ों की कही जाने वाली सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, सफाई मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं कर रही है ।

आज पूरे प्रदेश में शादी-व्याह का समय चल रहा है । यह सरकार जानबूझ करके गरीबों को परेशान करना चाहती है । शादी-व्याह के लिए विशेष चीनी के कोटे का आवंटन होता रहा है । इस बार इस सरकार के खाद्य सचिव ने कह दिया कि शादी-व्याह के लिए अलग से कोटा नहीं दिया जायेगा । आज पूरे उत्तर प्रदेश और वाराणसी में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि शादी-व्याह के लिए चीनी आवंटित नहीं हुई है, उन्हे मजबूर होकर खुले बाजार में मंहगे दामों पर चीनी खरीदनी पड़ रही है । सरकार यह कहती है कि हम आरक्षण को प्रभावी बना रहे हैं लेकिन आरक्षण का अध्यादेश ला करके सरकार विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, और पूर्व सैनिकों के अधिकार को जिस प्रकार से छीना जा रहा है या तो उनके अधिकार को छीना है या तो अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछडी जातियों को धोखा दिया है । क्योंकि 5 प्रतिशत जो विकलांगों,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों का जो आरक्षण है वह उसी में सम्मिलित है और 3 प्रतिशत बढ़ाकर 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये कर दिया, जो उचित नहीं है । मैं इसकी आलोचना करता हूं और राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इस पर पुनर्विचार कर लें ।

मान्यवर, जहां आज तक न कोई सुविधा है, न पानी की सुविधा, न बिजली की सुविधा और न ही सड़क की सुबिधा और न ही स्वास्थ्य की मलिन बस्तियों में । अब तक सरकार ने वाराणसी की मलिन बस्तियों में सुधार के लिये कोई ध्यान दिया है । इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि वहां पर इनकी व्यवस्था की जाय । साथ ही साथ मैं नकल अध्यादेश के संबंध में कहना चाहता हूं कि अगर नकल अध्यादेश भाता नहीं रहा है, तो उस में संशोधन करना चाहिये था । परन्तु नकल विरोधी अध्यादेश के स्थान पर नया अध्यादेश लाकर शिक्षा माफिया को बढावा देने एवं पैसा लेने की मंशा इस सरकार ने जाहिर कर दी है । साथ ही साथ जो तदर्थ शिक्षक थे, 1992 में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग बन गया था, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई थी परन्तु आज तक उन अध्यापकों को विनियमित नहीं किया गया इसी लिये उनको विनियमित करने की कार्यवाही की जाय ।

अन्त में आगामी अप्रैल में स्व-केन्द्र परीक्षा के माध्यम से हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं उसमें जो छात्र 10–12 साल से उन्हीं अध्यापकों के द्वारा पढ़ रहे हैं जो अध्यापकों के मुंह लगे हैं, उन्हें नकल करने का अवसर प्रदान किया गया है । में चाहता हूं कि इस पर विचार हो । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अधिकार दिया गया उसके लिए धन्यवाद देती हूं । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि कानपुर में श्रमिक समस्याओं की ओर बिल्कुल

ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वहां पर मिलें बन्द पड़ी हुई हैं, उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । केन्द्र सरकार के बजट में भी किसी प्रकार की सहायता का प्राविधान नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कानपुर नगर में श्रमिक समस्या, श्रमिक मिलें बन्द होने से श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है, वहां पर किसी प्रकार की राहत व्यवस्था नहीं दी जा रही है । सरकार ने कानपुर नगर में एक बैराज बनाने का निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करती हूं । एक साल के बाद उसका मुहूर्त रखा गया । बैराज निर्माण के लिए आठ वर्ष का समय लगेगा । मान्यवर, कानपुर नगर में एक स्थान है बिठूर जो मेरी विधान सभा का क्षेत्र है । जहां से मैं चुनकर आती हूं, वह स्थान अध्यात्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है । कानपुर नगर में चार हजार हैण्ड पाइप हैं, तीस प्रतिशत भी कार्य नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मरम्मत का किसी प्रकार का प्राविधान नहीं किया गया है, मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बिठूर महोत्सव के लिये पच्चीस लाख रुपये मुहैया कराये गये थे किन्तु इस सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । दो साल से उस पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई है । वह महोत्सव समाप्त हो गया है । इसी के साथ ही श्रमजीवी महिलाओं के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने समाज कल्याण मंत्रालय के तहत एक कार्य प्रारम्भ की थी । उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को चयनित किया गया था और उसमें कानपुर भी था । जिसका शिलान्यास भी हो चुका था । परन्तु आज उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है ।

मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आयी हूं वहां पर आई० आई० टी०, यूनीवर्सिटी एन० एस० आई० एच० बी० टी० आई० व हैलट अस्पताल होने के बाद भी इस समूचे क्षेत्र को, जिसकी आबादी 60 हजार के आस-पास है, पीने के पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है । । करोड़ 26 लाख रुपये की योजना स्वीकृत हुई थी और उस पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया था । एक ट्युबवेल का छिद्रण भी हो गया था, परन्तु आज उस पर कार्य बन्द हो गया है । आज वहां पर पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गयी है । इसलिए यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था अविलम्ब की जाय ।

मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आयी हूं वहां पर पनकी भी एक जगह है, जो पावर हाउस के माध्यम से ज्यादा जाना जाता है । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों की जमीनें उस पावर हाउस में गयी थीं, उन ग्रामों को आज विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है और न ही इसमें कोई प्राविधान किया गया है । वहां पर कोई लाइन नहीं है और न ही कोई पोल है । आज जो एक गम्भीर चीज इस सरकार में हो रही है वह अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व दलित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की हो रही हैं । इस प्रकार की जो घटनायें हो रही हैं, उन्हें सरकार बहुत ही हल्के ढंग से ले रही हैं । सरकार को इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए ।

अभी एक माननीय सदस्या कह रहीं थीं कि नेता विरोधी दल साजिश के तहत अराजकता पैदा करने की बात कह रहे हैं, महिला के द्वारा ऐसी बात कह कर एक बार और पीड़ित महिलाओं के लिए शर्मिन्दगी यहां पर उपस्थित कर दी है । चाहे वह बस्ती का काण्ड हो, हमीरपुर का काण्ड हो, इलाहाबाद का काण्ड हो, सारे के सारे काण्ड केवल बलात्कार तक ही सीमित नहीं थे, अब तो बलात्कार के बाद हत्या भी कर दी जा रही है । एक अल्पसंख्यक महिला रिजवाना को अराजक तत्वों ने सरेआम खींच लिया और उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया परन्तु पुलिस ने 82/83 में कार्यवाही करने की हिम्मत भी नहीं की और एक साजिश के तहत हाजिर करा दिया । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं ।

* श्री भागवत पाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह जी की सरकार जब से बनी है, शपथ ग्रहण के 15 मिनट बाद ही अपने वायदों को कार्यरूप देना शुरू कर दिया है। एक कलंक जो हमारे बच्चों को व बच्चियों पर लगा था कि उन्हें नकल के आरोप में जेल भेजा जा रहा था, ऐसे काले कानून को हमारी सरकार ने 15 मिनट में ही समाप्त कर दिया। पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु उन्नयन हेतु इस सरकार ने जो संकल्प लिया था कि हम 27 परसेन्ट आरक्षण देंगे। हमारी सरकार ने 2 हफ्ते के अन्दर ही 27 परसेन्ट का आरक्षण दे दिया और उसे लागू कर दिया, जिसे लोग दिवास्वप्न समझते थे। अनुसूचित जातियों की बात यहां पर आती है, पूरा सदन जानता है कि 1971 में, 1981 में और 1991 में जब भी समय बढ़ाने की बात आयी तो तमाम विवाद खड़े हो जाते थे। उस आरक्षण को समाप्त करने की बात ही नहीं है बल्कि उस आरक्षण को बढ़ाकर 18% से 21% माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया दूसरा कोई सोच नहीं सकता था। दलितों के उत्थान अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के उन्नयन के जितने कार्यक्रम चलाये हैं वह केवल भाषणबाजी तक सीमित नहीं रहे हैं उनको कार्यान्वित करके दिखा दिया है। कुछ ऐसी जातियां जिनका नाम लोग नहीं जानते थे जैसे कुम्हार, निषाद, बिंद आदि जिनकी रोजी-रोटी गांव के काम से ही चलती है उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था करने का निर्णय इस सरकार ने लिया है।

अब ऐसी जातियों को शासनादेश के तहत जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना कर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं उसके लिए उनको मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है उनकी उस जरूरत को पूरा करने के लिए शासनादेश हो गया है जिस बात को कभी सोच नहीं सकता था कि शासन से उसको यह सुविधा मिल भी सकती है उसके लिए शासनादेश कर दिया है। यह काम मा० मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया है। अब ऐसा कोई भी अधिकारी उनको जगह देने से वंचित नहीं कर सकेगा अगर कोई इसमें कोताही करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मुझे दो मिनट का समय और दे दें।

इस सरकार ने मजदूरों के लिए क्या कुछ किया है पूरा प्रदेश जानता है कोयला, पत्थर और कृषि मजदूरी करने वाले लोगों की दुहाई सब देते रहे उनके उत्थान के लिए कोई ठोस काम पहले की सरकारों ने नहीं किये पहले जिनकी एक रुपया दो रुपया मजदूरी बढ़ती थी आज इस सरकार ने 22 रुपये से बढ़ाकर उसे 32 रुपया कर दिया है यह काम मा० मुलायम सिंह यादव जी की सरकार का ही है। आज जिन मजदूरों, महिलाओं और किसानों की बात यह करते हैं कुछ दिनों पहले यह शासन में थे तो मैं बताना चाहता हूं देवरिया में वहां के जो गृह मंत्री रहे वहां महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना पर इसी सदन में चर्चा हुई। जिन मजदूरों की बात यह कहते हैं जिन किसानों की बात यह कहते हैं तब वह कहां थे जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने उनके लिए क्या किया ?

आज जब गरीबों, दलितों, किसानों और मजदूरों के लिए सरकार कुछ कार्यक्रम चला रही है तो उनके सामने कोई चारा नहीं है कुछ कहने को आज उनकी स्थिति यह हो गयी है कि इस प्रकार मजदूरों की बात करने वालों की उत्तर प्रदेश के गांवों में सम्मानपूर्वक घूमने की शक्ति नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। वह केवल यहां सदन में हंगामा करने में लगे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस धन्यवाद प्रस्ताव में कुछ चीजें हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उन कार्यक्रमों को सम्मिलित कर लिया जाय । हमारे यहां एक विद्युत सब स्टेशन पडरी मिर्जापुर में पड़ता है जो 4 साल पहले बना है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी तमाम कोशिश के बाद भी उसे चालू नहीं कराया । इसी तरह से तमाम अस्पताल बने हुए हैं उनको चालू नहीं कराया, उनकी बिल्डिगों को हैण्ड ओवर नहीं कराया । तो जो इस प्रकार की योजनायें तैयार हो चुकी हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र चालू कराया जाय । आदिवासी जिले को, अनुसूचित जिले की प्राथमिकता के आधार पर उनके उन्नयन की व्यवस्था की जाय । मैं इन शब्दों के साथ माननीय बी०आर० वर्मा जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री बदन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए गए संशोधनों पर बल देने के लिए खड़ा हूं । इस सदन में आज मैं केवल दो मौलिक सुझाव देना चाहता हूं । आज पूरे प्रदेश में प्रदूषण बराबर बढ़ाता चला जा रहा है और उसमें बसे हुए जो महानगर हैं, वह प्रदूषण से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, बुरी तरह से वे घिर गए हैं । यह प्रदूषण चार प्रकार का होता है–भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल और वायु प्रदूषण । इस सभी ने प्रदेश को और महानगरों को बुरी तरह से घेर रखा हैं ।

मुख्य मंत्री ने जो जिक्र किया है कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वहां पर वृक्षारोपण करेगा, उसके विषय में, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । वेदों में जो कहा गया है कि जो दूधदार वृक्ष हैं, बरगद, पीपल, अंजीर, गूलर और महुआ आदि इन सबमें प्रदूषण दूर करने की क्षमता होती है, उसको स्वीकार करते हुए वह वहां पर अन्य जगहों पर इस प्रकार के दूधदार वृक्ष लगवायें । स्वीटजरलैण्ड में यह नियम है कि किसी भी फैक्टरी को लगाने के पहले वहां पर प्रदूषण के उपचार का प्लांट लगाया जाता है और यह आवश्यक है । लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक इसके विपरीत हो रहा है । यहां पर फैक्ट्री पर फैक्ट्री चलती चली जा रही हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और हमारे यहां का यह प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तो पूर्णतया पूंजीपतियों से मिला हुआ है ।

आगरा में बासन फैक्ट्री, दयालबाग टेनरी और पार्क लेदर फैक्ट्री जैसी प्रदूषण फैलाने वाली तमाम दर्जनों फैक्टरियां लगी हुई हैं, जिनसे प्रदूषण अनाप-शनाप बढ़ता चला जा रहा है , लेकिन आपके प्रदूषण बोर्ड ने आज तक उनके विरुद्ध कोई और किसी किस्म की कार्यवाही नहीं की है । तो अपने प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पर यह सरकार नियन्त्रण करे और उसके आचरण पर अंकुश लगाए, जिससे यह आम जनता को प्रदूषण से बचाने की दिशा में कारगर कार्य कर सके ।

ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जितने अधिक बरगद के पेड़ लगाये जायेंगे उतना ही प्रदूषण दूर हो सकेगा । आगरा में थ्री-व्हीलर्स का जाल चारों तरफ फैला हुआ है, किन्तु उसके प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है । इसी प्रकार जल प्रदूषण रोकने के लिए भी महानगर में कुछ नहीं किया गया है, नदियां प्रदूषण का शिकार हो गई हैं । जब मैं छोटा था, यमुना नदी में बहुत बड़े-बड़े कछुवे देखा करता था, जो नदी में व्याप्त गंदगी को दूर कर दिया करते थे, उस गन्दगी को खाकर, किन्तु आज वे कछुवे पूरी तरह लुप्त हो गये हैं, अलोप हो गये हैं । इससे जमुना नदी में प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदूषण नियन्त्रण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, अच्छा हो कि इसके स्थान पर नदियों में कछुवे और इसी प्रकार के दूसरे जीव जन्तुओं को छुड़वाया जाए । इससे प्रदूषण सफलतापूर्वक दूर हो सकेगा ।

जो भूमि प्रदूषण हो रहा है, हमारे यहां जो कीटनाशक दवाएं प्रयुक्त हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में 70 हजार टन से 80 हजार टन तक यह जहरीली दवाएं प्रयुक्त हो रही हैं, इसके कारण भूमि प्रदूषण युक्त हो गई है, अतः इसको बन्द करवा दिया जाए । इसके स्थान पर महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह के बताए हुए उस सिद्धान्त को अपना लिया जाए कि गोबर और पक्षियों की खाद लगाई जाए । इनकी खादों का प्रयोग किया जाएगा तो भूमि प्रदूषण रुक जाएगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है, अब तो आप बैठ जाइये ।

श्री बदन सिंह–

(कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने से उत्पन्न व्यवधान के मध्य)–वहां पेयजल का जो संकट है, उसके लिए योजना वहां पर लगाई जाए तथा पूरे प्रदेश में लगे । जो योजनाएं लगीं हैं, उनसे वहां किसी भी ग्राम में पानी नहीं मिल रहा है । जितने भी हैण्ड पम्पस लगाए गए हैं, खराब पड़े हैं । हमारे 30 ग्रामों में समूह पेयजल योजना लागू है, किन्तु उससे किसी को पानी नहीं मिल पा रहा है ।

मान्यवर, यह जन मानव के जीवन से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है । पेयजल की आपूर्ति यह सरकार नहीं कर सकती है तो इसे पक्ष में बैठने का कोई अधिकार नहीं है । मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पेयजल संकट को दूर करने के लिये, इस समस्या का हल करने के लिये एक काम करवा दीजिये कि उत्तर प्रदेश में जो बरसाती जल सम्पदा नदी नालों से बहता हुआ चला जा रहा है उसको रोक दीजिये । पानी मीठा हो जायेगा, जलस्तर ऊंचा हो जायेगा और इस प्रकार से यह पेयजल की समस्या समाप्त हो जायेगी । इन थोड़े से सुझावों के साथ मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सब समस्याओं को दूर करने के लिये कार्यवाही की जाय ।

श्रीमती सुशीला सरोज–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य बी०आर० वर्मा द्वारा रखे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं । उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी हाल में हुए चुनाव में साम्प्रदायिक उन्माद पर नियंत्रण पाने के लिये जिस तरह से मा० मुलायम सिंह जी की सरकार को चुना है उस सरकार ने महिलाओं के लिये, किसानों के लिये जो कार्य किये हैं, वह अनुकरणीय हैं । माननीय मुलायम सिंह ने गांधी जी, डा० राम मनोहर लोहिया, डा० अम्बेडकर जी की तरह दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों, महिलाओं और बेरोजगारों को सामाजिक न्याय दिलाने का संकल्प लिया है । हमारी सरकार समाज को बराबरी पर लाने की अद्भुत क्षमता रखती है ।

वर्तमान सरकार की यह सबसे बड़ी सफलता है कि सामाजिक विकास की गति को तेज करने के लिये 1994-95 में 4.762 करोड़ रुपये की योजना राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त की है जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 12 प्रतिशत से अधिक है । मान्यवर, हमारे प्रदेश मे अभी बार-बार हमारे सदन के अन्दर महिलाओं के शोषण, दमन और उत्पीड़न की बात उठाई जा रही है । मैं आपके माध्यम से सामने बैठे हुए नेताओं से कहना चाहती हूं कि जब इनका शासन था उस समय इन्होंने साम्प्रदायिकता की आग

लगाई थी । साम्प्रदायिकता की आग में महिलाओं की गोद सूनी हुई थी, मांग सूनी हुई थी, बलात्कार, अपहरण और अपराध हुए थे, उस समय यह कहां थे ? आज महिलाओं की बातें बार-बार सदन में उठाई जा रही हैं । मान्यवर, इन्हीं की सरकार थी उस समय की बात है मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आई हूं बेनीगंज से वहां किरन बहू थी उसकी सास 65 वर्षीय वृद्ध महिला थी, इन लोगों के साथ बलात्कार करके तीन-तीन किलोमीटर तक घुमाया गया, उस समय यह कहां थे ? गोरखपुर, सहारनपुर में जो घटनाएं हुई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया उन्हे नंगा करके घुमाया गया, उस समय आप कहां थे ? आप महिलाओं की बात रोज उठाते हैं ।

आपने महिलाओं के लिए क्या किया ? महिलाएं और लड़कियां दया की भीख नहीं मांगती हैं, वह दया की भूखी नहीं हैं । वह बराबरी की मांग करती हैं । बराबरी का दर्जा प्राप्त करने का इनको भी हक है । हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है जो कि गांधी जी, डा० लोहिया और डा० अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के पदचिन्हों पर चल रही है । लोहिया जी ने कहा था जिस दिन दलितों के हाथ में सत्ता आ जायेगी तो जो भाषा मुंह से बोलते हैं वही भाषा कलम से लिखी जायेगी उस दिन देश मे सफल इंकलाब आयेगा । हमारी पार्टी दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, महिलाओं की पार्टी है । माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ हमारे सहयोगी नेता कदम मिलाकर चल रहे हैं । हमारी पार्टी महिलाओं, बच्चों को सहयोग दे रही है । इनके नेता ने कहा था इसी सदन में कि जब भाजपा का राज था तो उस समय के छात्र जब हाईस्कूल का सर्टीफिकेट लेकर कहीं जाएंगे तो सीना ठोंक कर कहेंगे कि हम मा० कल्याण सिंह के जमाने के हाईस्कूल पास हैं । मैं सामने बैठे हुए नेताओं से पूछना चाहती हूं कि जब महिलाओं, बच्चों को हथकड़ियां लगाई गई थीं तो क्या उस वक्त दहेज के रूप में उन्हें जेल का सर्टिफिकेट दिया गया था कई महिलाओं ने तो इससे आत्महत्या तक कर ली ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में भटपुर पुल के निर्माण में 12 लाख रुपए खर्च हो चुके थे किन्तु भाजपा शासनकाल में उसको निरस्त कर दिया गया मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होने फिर से उसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है । अन्त में मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री बी०आर०वर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गए संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं वहां के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का अत्यन्त अभाव है । –

अतः मैं मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाय । (व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है । प्रत्येक ग्राम सभाओं में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं और उनके भवन निर्माण की व्यवस्था की जाए । विद्युतीकरण में भी मेरा क्षेत्र उपेक्षित रहा है इसलिये प्राथमिकता के आधार पर गांवों का विद्युतीकरण किया जाए ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, सिंचाई सुविधा हेतु नहरों की पट्टियों में सुधार कर टेल तक पानी पहुंचाया जाय एवं जहां नहरें नहीं हैं वहां नलकूपों का निर्माण किया जाए । हमारे नगर पालिका क्षेत्र फतेहपुर में जल भराव की बहुत समस्या है इसलिए पानी की निकासी हेतु सीवर लाइन बनाई जाए । हमारे क्षेत्र फतेहपुर में जो पावर स्टेशन है, वह बहुत पुराना है विद्युत लाइनें पुरानी हो गयी हैं उनको नये सिरे से लगाया जाए और नये सब स्टेशन बनाये जायें । नगर पालिका क्षेत्र में मार्गों की समुचित व्यवस्था नहीं है मान्यवर, अविलम्ब मार्गों का निर्माण कराया जाय ।

(इसी मध्य कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलते रहने के कारण घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, सारे प्रदेश में जातीय विद्वेष का माहौल बन गया है । अराजकता व्याप्त हो गयी है इसलिये मैं मा० नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री बी० आर० वर्मा द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुधीर कुमार बालियान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, वार्षिक योजना के लिए इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक का प्राविधान है, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं लेकिन क्या इस धन का वितरण समूचे प्रदेश में समानता के आधार पर खर्च हो पाएगा । पिछले वर्ष का मैं उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे जनपद व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में 40 प्रतिशत वार्षिक योजनाओं का धन उपयोग में नहीं आया । वहां दोनों जनपदों में यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट वहां के जिलाधिकारियों ने शासन को प्रस्तुत नहीं किया है । क्या सरकार इस पर विचार करेगी । योजना बनाना अलग बात है लेकिन उसको क्रियान्वित करना अलग बात है । क्या सरकार इस की व्यवस्था करेगी ? मैं सरकार और सदन के नेता से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब आप योजना का प्रारूप बना रहे हों तो उसके क्रियान्वयन और सही रूप में उस धन के आवंटन की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में प्रत्येक मंडल में निश्चित कर दी जाए ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में कई विकास योजनाओं पर से धन जिस प्रकार से सरकार ने पिछले तीन महीनों में 40 प्रतिशत घटाकर अपने जनपदों में लगाया है इसकी पुनरावृत्ति न हो । मान्यवर, यह सरकार किसानों की हितैषी बनती है और कहती है कि गन्ना किसानों के दाम बढ़ा दिए

गए हैं इसका बहुत ढिढोरा पीटा जा रहा है लेकिन आप देख लें पिछले वर्ष 20 प्रतिशत चीनी के दाम बढ़े थे उसके हिसाब से कितने प्रतिशत आपने गन्ने के दाम बढ़ाए हैं ? मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार की लुभावनी घोषणाएं की हैं । मान्यवर, मैं इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि मेरठ विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नाम पर चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय किया गया है । लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ नाम बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है । क्या माननीय मुख्य मंत्री लखावटी और बड़ौत में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करेंगे । अगर यह विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करें तो लाभ होगा वरना केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है । मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि गन्ना मिलों के लाइसेंस सरकार के पास लम्बित हैं ।

जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 50 गन्ना मिलों के लाइसेंस के संबंध की बात आयी थी और 16 लाइसेंसों की संस्तुति केन्द्र को की गयी थी । लेकिन आज सरकार ने गन्ना मिलों के लाइसेंस के बारे में केन्द्र सरकार से मिलकर क्या कार्यवाही की है इसका पता नहीं चल रहा है ? मेरा आग्रह है कि गन्ना किसानों को सुविधायें देने के लिये और गन्ना मिलों के लाइसेंस देने के संबंध में सरकार कार्यवाही करे और केन्द्र सरकार से लाइसेंसों हेतु निवेदन करे और गन्ने की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाय । मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तराखण्ड बनाये जाने के लिये प्रस्ताव किया गया है । जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 12 अगस्त, 91 को एक प्रस्ताव पास किया गया था उत्तरांचल बनाने के लिये । मुझे खुशी है कि उत्तराखण्ड बनाने के लिये मा० मुलायम सिंह की सरकार ने घोषणा की है । इस प्रान्त के विकास के लिये और यहां के विकास को दिशा मिले उसके लिये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार बुन्देलखण्ड विकास निगम, पूर्वांचल विकास निगम और तमाम निगम बनाये गये हैं उसी प्रकार से बुन्देलखंड , पूर्वांचल के विकास के लिये धन की भी व्यवस्था की जाय ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस प्रान्त और इस भू-भाग को दिशा देने के लिये जिस प्रकार का प्रस्ताव लाये जिसमें पूर्वांचल के निर्माण की बात हो, बुन्देलखंड के निर्माण की बात हो, पश्चिमी प्रान्त के निर्माण की बात हो और उत्तरांचल के निर्माण की बात हो । जब इस प्रान्त को चार भागों में बांटा जायगा तभी इस प्रदेश का विकास हो सकता है और विकास की गति को दिशा मिल सकती है । अन्यथा योजना और योजना के लिये धन की व्यवस्था हम करते रहेंगे उससे कोई बड़ा लाभ पहुंचने वाला नहीं है । मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी प्रान्त, बुन्देलखंड, पूर्वांचल और उत्तरांचल के नाम से इस प्रान्त को बांटा जाय तभी यह प्रदेश विकास की दिशा में अग्रसर हो सकता है ।

क्या आप ऐसा प्रस्ताव लायेंगे, अगर ऐसा प्रस्ताव लायेंगे तो यह बहुत बड़ा उपकार होगा । पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग बहुत समय से लम्बित है । सरकार इस मांग को पूरा करने की दिशा में क्या कोई कार्य योजना बनायेगी । मान्यवर, हरियाणा और पंजाब का गठन किया गया और इन प्रान्तों ने जो उन्नति की है वह सब जानते हैं । इसी तरह से इस प्रदेश को 4 हिस्सों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव लाया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

* श्री राम बिशुन आजाद–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल महोदय ने हमारे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की जो समस्यायें है उनके संबंध में इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया है। यह पिछड़ों, दलितों की सरकार है और समान शिक्षा की बात करती है। हमारे क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिये कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। छात्राओं के लिये कन्या इण्टर कालेज की कोई व्यवस्था नहीं है।

हमारे क्षेत्र मनकापुर विकास खण्ड में छात्राओं के लिये कन्या इण्टर कालेज खोला जाय। इसके साथ ही मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो मा० मुलायम सिंह की सरकार है उसने 16 घंटे बिजली देने की बात कही है। लेकिन बिजली कैसे पहुंचेगी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है ? जो पुराने तार हैं जो टूटे तार हैं उनसे लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बरसों पुराने तार हैं उनको बदला जाय। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक नाला है, जिससे कृषकों की हजारों एकड़ जमीन उससे डूब जाती है और किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, किसानों को अपनी फसल की उपज नहीं मिल पाती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस नाले की सफाई के लिये कुछ धन उपलब्ध कराया जाय। मान्यवर, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां पर छपिया विकास खण्ड में एक कलस्टर नलकूप लगाया जाय, वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, जिससे किसानों को अपनी उपज का कोई लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिये मान्यवर, वहां पर एक नलकूप दे दिया जाय जाय, जिससे किसानों को अपनी फसल पैदा करने का अवसर मिल सके। मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है, वहां के अधिकांश गांव जंगल से प्रभावित हैं, वहां के रहने वाले जंगली जानवर फसलों को नुकसान करते हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर जो फसलों का नुकसान इन जंगली जानवरों के द्वारा हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति वन विभाग द्वारा दिलाई जाय। मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

* ज्ञानी हरेन्द्र सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव में चर्चा में भाग लेने में जो आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, यह एक तस्वीर है, जो इस लोकप्रिय सरकार की नीतियों को परिलक्षित करती है। मान्यवर, सरकार की नीतियां जो घोषणा-पत्र है, यह प्रस्ताव में तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इस लोकप्रिय सरकार के मुखिया माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मुलायम सिंह यादव की है, जोकि इस स०पा०, ब०स०पा० के गठबंधन की इस सरकार ने लोगों का विश्वास जीता है। इनकी नीति, नीयत और नेता पर लोगों का भरोसा जमा है और दूसरी तरफ साम्प्रदायिक ताकतें यह जो मेरे मित्रों की सरकार बनी थी, इनकी पोल खोल दिया है, इनको नंगा कर दिया है और प्रदेश की जनता का इनके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे, अराजकता, जातीय संघर्ष, बलात्कार, कानून-व्यवस्था आदि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जो समस्यायें हैं, उसकी जड़ में यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है और दो मुद्दे हैं, पंजाब समस्या है और मंदिर मस्जिद की समस्या है। पंजाब समस्या में भाषा की समस्या है। भाषा के नाम पर ही यह समस्या पैदा हुई है। भाषा की बात माननीय नेता विरोधी दल ने ही कही थी, लेकिन इन मित्रों ने पंजाबी भाषा जो इस देश की ही भाषा है, उसका विरोध किया और जिसके कारण यह समस्या आज विकराल रूप धारण कर चुकी है और आज यह देश की समस्या बन गयी है। चार बातें कही गयी हैं---

"जिनकी वरण जाति कुल माही
सिरदारी न भई की दाही।
तिनही को सरदार बनाऊ,
गुरु गोविन्द सिंह नाम कहाऊं "

दूसरी बात कही है---

"नीचा अन्दर नीच जाति
नीची हूं अति नीच
नानक तिनके संग साथ
बड़यो से क्या रीश।
ना हम हिन्दू न मुसलमान
अल्ला राम के पिंड परान "

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह मनुवादी सिद्धान्त पर चोट है उसके खिलाफ एक ऐलाने जंग है। इसलिये यह लोग सिखों के खिलाफ हैं। इन्होंने इनको चुन-चुनकर आतंकित किया है। बाजपुर और काशीपुर के बाजारों में इनका शिकार किया है, इनका कत्ल किया है और उल्टे उन्हीं पर मुकदमें चलाये गये और उनको परेशान किया गया। [x x x] एक शक्लसूरत विशेष से इनको नफरत है। दूसरी तरफ मस्जिद तोड़ने के लिये दिल्ली से किराये पर कुछ सिखों को लाया गया, उनको मस्जिद तोड़ने में भागीदार बनाया गया है। जिन सिखों को विदेशों में कुछ नहीं कहा गया, उनको इस घटना के बाद बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन पर कातिलाना हमला किया गया और वह रिफ्यूजी बनकर दिल्ली में आकर डेरा डाले पड़े हैं और दिल्ली की सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। उनके साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है और उनके साथ षडयंत्र किया गया है और साम दाम और दण्ड की नीति अपनायी गयी है।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिये अवसर की मांग करने पर व्यवधान)

मान्यवर, इन्होंने तराई क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। [x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया है। मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

नोट :---[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरबंश कपूर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजस्व मंत्री जी आप अपने सदस्यों को शांत करें ।

ज्ञानी हरेन्द्र सिंह (रामपुर)–

माननीय मुलायम सिंह जी आये हैं, वह अल्प-संख्यकों के हमदर्द हैं और अल्पसंख्यकों को गले लगाया है । मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायें । अब आपका नहीं लिखा जायेगा ।

ज्ञानी हरेन्द्र सिंह (रामपुर)–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, माननीय नेता विपक्षी दल ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर जो संशोधन रखा है उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था अपने आपमें गम्भीर है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र की कानून और व्यवस्था के संबंध में जिसकी अपनी पहचान रही है वहां इतिहास में पहली बार 3 दिन तक बाजार बन्द रहे, लोगों का आना जाना बन्द रहा ।

जो सरकार अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर सकी, पुलिस के हाथों हरबर्टपुर जिला देहरादून के सपा नेता की हत्या हुई और इस सरकार ने सी० आई० डी० जांच बैठाने पर भी इन्कार कर दिया । मान्यवर, जो सरकार अपने कार्यकर्ता की रक्षा नहीं कर सकी तो आम नागरिक इस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकता है ? मान्यवर, आज पेयजल का संकट पूरे प्रदेश में बड़ा गम्भीर है । देहरादून में भी इस सरकार के निरंकुश अधिकारी जो पेयजल योजनाएं चला रहे हैं, समयबद्ध कार्यवाही न होने के कारण वहां पर पेयजल की त्राहि-त्राहि मची हुई है । आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, पेयजल के बारे में जिस प्रकार सरकार ने घोषणा की है कि पेयजल को प्राथमिकता देंगे । कोई भी अधिकारी इस मामले में कोताही बरतता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए । मान्यवर, इस सरकार ने उत्तराखण्ड के अलग राज्य को समर्थन दिया है, मैं इसके लिये उसका आभार व्यक्त करता हूं परन्तु जो नीति यह अपना रहे हैं, जो कार्यप्रणाली अपना रहे हैं, उससे संदेह उत्पन्न होता है ।

3 जनवरी को उत्तरांचल विकास की बैठक लखनऊ में आयोजित की गयी जिसमें समस्त विधायक और अधिकारियों को बुलाया गया परन्तु भारतीय जनता पार्टी, जिसके 19 में से 10 विधायक उत्तरांचल

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

से संबंधित हैं उन्हें इस बैठक से बाहर रखा गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है ? क्या दलगत राजनीति के आधार पर निर्णय होंगे ? इस प्रकार से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जायेगा ? मान्यवर, संदेह का कारण यह भी है कि पिछली बार जब यह सरकार बनी थी तो यही मा० मुख्य मंत्री जब देहरादून में आये थे, नगरपालिका के मैदान में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि अलग पर्वतीय राज्य नहीं बनेगा । बंधुओं, जहां सरकार कहती है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलगत नीति के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए और सबका सहयोग और सब की भावनाओं का आदर करना चाहिए । मान्यवर, जब से इस सरकार ने नगरपालिकाओं और टाउन एरिया को अपने हाथ में लिया है वहां के सफाई कर्मचारी अपने वेतन को तरस रहे हैं वहां के अन्य कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल पा रहा है क्या यह सरकार सुनिश्चित करेगी कि चाहे सफाई कर्मचारी हों या अन्य कर्मचारी हों, उनको समय से वेतन उपलब्ध कराया जायेगा ?

मान्यवर, आज इस सरकार के अन्तर्गत हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो 15-20 वर्षों से वर्कचार्ज पर काम कर रहे हैं और उनको प्राविडेन्ट फंड का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है । क्या उनको विनियमित किया जायेगा ? मान्यवर, देहरादून उत्तरांचल का सबसे बड़ा नगर है । नगर के चारों ओर साठ मलिन बस्तियां हैं, ऊबड़ खाबड़ नदी के किनारे, खालों के किनारे जिन लोगों ने अपने आवास बना लिये हैं उन्हें नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं । मुझे दुख इस बात का है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इन मलिन बस्तियों के सुधार के लिये, वहां पर बसे अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्प आय वर्गों के उत्थान की कोई बात नहीं कही गयी है। मैं पुनः आपका एक बार आभार प्रकट करता हूं ।

[समय 4 बजकर 30 मिनट]

* श्री मेवा लाल बागी–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं आपका ध्यान वाराणसी जनपद के भदोही विधान सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आज भदोही विधान सभा क्षेत्र, जहां से मैं चुनकर आया हूं, डालर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है । भदोही भारत सरकार को 800 करोड़ डालर की प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध कराता है । लेकिन वहां की हालत यह है कि गांव से लेकर नगर तक पैदल चलना दूभर है । वहां एक भदोही वूलन मिल है, वहां के 400 कर्मचारी भूखों मर रहे हैं ।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि तत्काल उनके संबंध में कोई व्यवस्था की जाय । या तो मिल को चलवाया जाय या उनको पैसा दिया जाय । जो उन्होंने कार्य किया है, उनको तनख्वाह दें । आज वे अपनी रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं । भदोही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बुनाई, कालीन और दरी का कार्य होता है जिनके माध्यम से भारत सरकार को तमाम आय होती है । लेकिन, वहां पर जो फैक्ट्रियां लगायी गयी हैं उनके माध्यम से जो गैस निकलती है जिससे तमाम प्रदूषण फैलता है जिसके नाते तमाम बीमारियां फैलती हैं । हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिये पर्याप्त ध्यान दे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं अपने सामने बैठे हुए साथियों के लिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने जो नारा देकर प्रदेश में सरकार बनायी थी, राम-रोटी और इंसाफ का नारा लगाया था, लेकिन हर क्षेत्र में विफल होने के नाते आज आपको इस प्रायश्चित को मजबूरी में भोगना पड़ रहा है । अगर आपकी आगे भी इसी तरह की कार्यवाहियां रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब आप गांव का प्रधान भी नहीं बन सकेंगे दिल्ली का सपना तो आपका चकनाचूर हो ही जायेगा (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मैं मांग करता हूं कि पूरे भारतवर्ष के दबे कुचले लोगों को लाइसेंस दिये जायं, जो लोग सक्षम हों उन्हें लाइसेंस दिये जायं । अगर ऐसी व्यवस्था न की जाय तो जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं, सबके लाइसेंस जब्त कर लिये जायें । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के कोटे को भरे जाने के संबंध में कहना चाहता हूं कि इस पर सख्ती से पेश आया जाय और उनकी प्रोन्नति पर ध्यान दिया जाय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा के तहत हरिजन शब्द का प्रयोग गलत है । इसको सुनिश्चित किया जाय कि हरिजन शब्द का प्रयोग न हो । आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं ।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रति मान्यवर, आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैंने महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों, घोषणाओं, शिलान्यासों की सरकार, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाओं को रोकने में विफल रहने वाली और बैसाखियों पर चलने वाली इस सरकार की नीतियों को पढ़ा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत वर्ष की अधिकांश जनता गांवों में रहती है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसान, जो गांवों में रहकर खेती पर ही अपनी जीविका निर्भर करते हैं, केवल किसानों के लिए उनकी समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता देने की बात कहकर, महामहिम के अभिभाषण में अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान ली गयी है । मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा देश को डंकल प्रस्ताव के माध्यम से पुनः गुलाम बनाये जाने की साजिश पर इस सरकार की चुप्पी प्रदेश के किसानों के प्रति नीति और नियत को स्पष्ट करती है । आज 16 घंटे बिजली देने की बात खोखली साबित हो रही है । पेड़ों की कटान जारी है, किसानों को जो असुविधायें हो रही हैं, चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के किसी से छिपी नहीं है ।

अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को जो पट्टे दिये गये हैं उन्हें कब्जा नहीं मिल पा रहा है, वे कब्जा पाने के लिये अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं मगर उनको वहां से दुत्कार दिया जाता है । मान्यवर, तीन महीने की सरकार में अपराधों की बाढ़ आ गयी है । विशेष रूप से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, बलात्कार की घटनायें बढ़ी हैं जिसे सरकार ने भी माना है इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सम्मान के प्रति यह सरकार कितनी जागरूक है । मुझे याद है हमीरपुर में मानवती काण्ड हुआ था और उस पर चर्चा चल रही थी, मान्यवर, महिला किसी भी जाति की हो, महिलाओं पर अत्याचार एक शर्मनाक किस्सा है, तो मान्यवर, मैं कह रही थी कि जब इस घटना पर चर्चा हो रही थी उस समय उस पक्ष के बैठे हुए लोगों के चेहरों पर जो व्यंग्य भरी हंसी थी वह इनके महिला सम्मान की परिचायक थी । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिये जो हमारी विधवा बहनें हैं, उनके पास यदि कृषि योग्य भूमि थी, को निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था की थी, महिलाओं के सुहाग की चीजों पर टैक्स खत्म कर दिया गया था, महिला कल्याण केन्द्रों की स्थापना की थी लेकिन यह सरकार महिलाओं को कोई भी सुविधा और सुरक्षा नहीं दे रही है ।

विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोत्तरी करने की बात इसमें नहीं कही गयी है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी कोई अतिरिक्त सुविधा देने की बात इसमें नहीं की गयी है। मान्यवर, आज प्रदेश के गांवों में रहने वाली जनता भीषण पेयजल संकट की समस्या से भयभीत है। आज गांवों में ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प लगाये जायें, मुख्य मार्गों से गांवों को जोड़ा जाये, वहां विद्युतीकरण किया जाये तभी देश पर मर मिटने वालों ने जिन्होंने यह कल्पना की थी कि देश की झुग्गी झोपड़ी तक आजादी की चमक जायेगी, का सपना पूरा होगा। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आती हूं, कमालगंज वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां मण्डी समिति है जिसका निर्माण जब से हुआ है तब से वह घाटे पर चल रही है। मान्यवर, वहां पर पूरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की यह मांग रही है कि चाचूपुर गांव में पुल का निर्माण तथा जहानगंज में विकास खण्ड का निर्माण कराया जाये। उस पुल के निर्माण से मंडी भी लाभ में जायेगी और कमालगंज का भी विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिले से आगणन मंगाया गया था; सरकार चले जाने की वजह से यह कार्य नहीं हो पाया। मैं मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाचूपुर गांव में पीपों के पुल का निर्माण कराया जाय। मान्यवर, जो जनकल्याण के कार्य हो रहे थे, उसमें केवल दलगत भावना की वजह से व्यवधान डाला जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भाजपा शासन काल में कई मार्गों पर बसें चल रही थीं। इस सरकार द्वारा उनको बन्द कर दिया गया है, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। मेरी मांग है कि फ़र्रुखाबाद से भवानीपुर मार्ग, फ़र्रुखाबाद से गदनपुर तुर्रा, फ़र्रुखाबाद से रूपपुर तक बसों को चलवाया जाय।

मान्यवर, मैं मांग करती हूं कि जो मार्ग अधूरे पड़े हैं, जिन पर सरकार का बहुत सा पैसा व्यय किया जा चुका है, उन अधूरे पड़े मार्गों को पहले बनवाया जाय। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कमालगंज के गुरसहायगंज में एक डिग्री कालेज खुलवाने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सी ग्रामसभायें ऐसी हैं, जहां पाठशालाएं नहीं हैं। बहुत सी न्याय पंचायतें ऐसी हैं, जहां 8-8, 10-10 कि०मी० तक कोई जूनियर हाईस्कूल नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और वहां स्कूल खुलवाये जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राजेन्द्र गुप्त जी द्वारा रखे संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्रीमती उर्मिला देवी यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गरीबों के उत्थान के लिये जो संकल्प लिया है, वह आज तक किसी ने नहीं लिया, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं। मान्यवर, पिछली सरकार के समय विकास कार्य शुरू नहीं कराये गये थे, मौजूदा सरकार के समय में तमाम जगहों पर विकास कार्य शुरू हो गये हैं। पिछली सरकार के समय जो विकास कार्य ठप्प पड़े थे, उनको मौजूदा सरकार ने शुरू कराकर यह सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, किसानों की लोकप्रिय सरकार है। झूठ भले ही कोई कितना बोले, लेकिन यह सच है कि मौजूदा सरकार जब से आयी है, बिजली की आपूर्ति आवश्यकतानुसार हो रही है। पानी भी अधिकांश नहरों की टेल तक पहुंचाया जा रहा है। पूरे प्रदेश का किसान आज राहत की सांस ले रहा है और माननीय मुख्य मंत्री की जय-जयकार कर रहा है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल इस देश को साम्प्रदायिकता की आग में और इस वर्ष इस प्रदेश को झोंकने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री की कृतज्ञता से कानून व्यवस्था की स्थिति

नहीं बिगड़ पायी । मान्यवर, यह सरकार गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की सरकार है । यह सरकार गरीब किसान और महिलाओं की हमदर्द है ।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आयी हूं वहां पिछली सरकार द्वारा गरीब जनता के साथ बड़ा अन्याय किया गया था और उनके पट्टे छीन लिये गये थे । क्षेत्र में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है । मेरे क्षेत्र में बिजली की, पानी की समस्या बनी हुई है । शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा क्षेत्र घिरोर बहुत पिछड़ा हुआ है । आज तक इस क्षेत्र में एक भी स्नातक विद्यालय नहीं है । मान्यवर, इस क्षेत्र की जमीन काफी ऊसर व बंजर है । यहां किसी भी प्रकार की विकास योजनाओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है । वहां की विधायक होने के नाते मैं आपके माध्यम से निम्न समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । घिरोर विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में विद्युतीकरण किया जाय । जो नई प्रस्तावित सड़कें हैं, उन्हें बनवाया जाय । जो सड़कें खराब हो गयी हैं, उन पर शीघ्र काम प्रारम्भ कराया जाय । शिक्षा के लिये स्नातक स्तर का विद्यालय खोला जाये । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर गांव का विकास व गांव बसाये जायें । घिरोर क्षेत्र के अन्तर्गत जनता की बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की है इस समस्या के निदान के लिये यहां उद्योग को प्राथमिकता दी जाये । इसके साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार ने जो विकास कार्य के लिये कदम उठाये हैं, उनमें पूर्णतया सफल है और सफल होगी । इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्री मारकण्डेय सिंह–

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । महामहिम राज्यपाल ने पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जनपद बलिया के विकास के बारे में अपने अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं किया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बलिया जनपद की स्थिति वही है जैसे हिन्दुस्तान के नक्शे में अण्डमान और निकोबार द्वीप है । बलिया विधान सभा का दुबहड़ विकास खण्ड के कुछ गांव जो गंगा नदी के उस पार और बिहार बाढ़ बन्धे के पास शिवपुर दियर, जवही दियर और प्रानपुरा हैं । मान्यवर, वहां 95 प्रतिशत गरीब लोग बसते हैं । गंगा के उस पार होने के नाते वहां के निवासियों के लिये अब तक कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पायी है । केवल 5 प्रतिशत लोग सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशनी प्राप्त कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सौर ऊर्जा का प्लाण्ट लगा करके 95 प्रतिशत गरीबों को रोशनी प्रदान की जाये । इसके साथ ही वहां पर आवागमन का कोई साधन नहीं है और न ही कोई अस्पताल है ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां का विकास होना चाहिए । मान्यवर, वहां की एक अहम मसले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शिवपुर दियर और जवही दियर में जो फसल बोई जाती है, बिहार के दबंग लोग आकर फसल काटकर ले जाते हैं, चूंकि ये बिहार से मिले हुए गांव हैं । मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि बिहार के लोग फसल काटकर न ले जायें । सरकार वहां के जिलाधिकारी और एस० पी० को यह निर्देश दे कि गरीबों द्वारा बोई गई फसल की रक्षा करें उसे दूसरे लोग न काट सकें ।

मान्यवर, मुझे विश्वास है और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं सभी सदस्यों को भी इस बात की जानकारी है कि परीक्षा का समय है, सायंकाल से ही बिजली नहीं मिल पाती है, बिजली न मिल पाने के कारण छात्रों को बहुत ही असुविधा होती है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि

बिजली की आपूर्ति रात्रि दस बजे तक सुनिश्चित की जाय । अगर कटौती करना है तो रात्रि दस बजे के बाद कटौती की जाय, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा न पड़े । विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को सुनश्चित करने के लिये आज सदन में घोषणा करें । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिजली की निरन्तर आपूर्ति न होने की वजह से और परीक्षा नजदीक होने की वजह से छात्रों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण शोर–व्यवधान)

बिजली की आपूर्ति के संबंध में जब जिला प्रशासन से पूछा जाता है तो वह कह देते हैं कि यह तो सरकार की व्यवस्था है इसके लिये हम क्या करें । साथ ही मान्यवर, बलिया जनपद में 1992-93 में हैजे की बीमारी से कई लोगों के घर तबाह हो गये थे । महामहिम राज्यपाल भी वहां गये हुए थे और उन्हें स्थिति का पता भी था इसलिये वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि हैजे जैसे संक्रामक रोग न फैल सकें । वहां पर एक ओवर ब्रिज बन रहा है जिससे लोगों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, इसलिये आपसे अनुरोध है कि ओवर ब्रिज को जल्द बनाया जाय । साथ ही बिहार, यू० पी० के बीच माझी में एक पुल बन रहा था ।

स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी ने उसका शिलान्यास भी किया था । मैं चाहूंगा कि उस पर काम कराया जाय । मान्यवर, बलिया के विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी इसलिये मान्यवर, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप बात तो सुन लें । शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा । माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी है कि एक आदमी इधर से बोलेगा और एक आदमी उधर से बोलेगा ।

श्री चेतराम–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं इस सरकार को व श्री मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में सदियों से पिछड़े अल्पसंख्यक, गरीब, अनुसूचित जाति व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प लिया है, उनमें निश्चित रूप से सुधार होगा । इसके साथ ही सुझाव भी देना चाहता हूं किसानों को व गरीबों को जो सुविधायें सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनका सही रूप में कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है ।

प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को जो ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर दी जाती है, उन पर उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा है, इसलिये उन्हें फौरन कब्जा दिलाया जाय । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पुवांया की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र अन्न के उत्पादन में अग्रणी रहा है परन्तु वहीं विकास के मामले में सबसे पीछे है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक खुटार में एक राजकीय कन्या हायर सेकेन्ड्री स्कूल स्वीकृत है परन्तु उस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, इसलिये इस पर कार्य प्रारम्भ किया जाय । खुटार में एक हाईस्कूल की भी आवश्यकता है । 50 कि०मी० दूर तक कोई हाईस्कूल न होने के कारण मेरे यहां के छात्र शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं ।

शाहजहांपुर–खुटार पुवांया मार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसकी मरम्मत कराई जाय । खुटार में कोई सिंचाई सुविधा नहीं है, इसलिये वहां पर एक कलस्टर नलकूप दिया जाय । सिधौली, खुटार, बण्डा में बस अड्डा नहीं है, जिससे यात्रियों को व बस परिचालकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है । यहां पर एक-एक बस अड्डा खोलने की अनुमति देने की कृपा करें । धन्यवाद ।

* श्री बशीरउद्दीन–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं । अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरा निर्वाचन क्षेत्र विकास के क्षेत्र में काफी पीछे है । वहां पर सिंचाई का अभाव है । इसलिये हम चाहते हैं कि वहां पर सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप लगाये जायं । कम से कम 200 नलकूप लगाये जायं । मैं आपके माध्यम से यह भी चाहूंगा कि लघु सिंचाई विभाग की ओर से रिंग मशीन, ट्रक व ट्राली पूरी योजना के साथ दी जाय ताकि वहां विकास हो सके । हम चाहते हैं कि पेयजल के संबंध में हमारे क्षेत्र में कम से कम पांच सौ हैण्ड पम्प लगाये जायं । मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां ग्राम पडौरी में पुल बनाया जाय और बिधूरी में जो अधूरा पुल पड़ा है उसे पूरा किया जाय ।

गरीब, अनुसूचित जाति और वृद्धावस्था पेंशन के लिये हजारों फार्म भरे हुए हैं । मैं निवेदन करूंगा कम से कम 5 हजार लोगों को वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग लोगों को पेंशन दी जाय हमारे हमीरपुर खासकर मौदा में पेंशन दी जाय ।

मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है वहां कम से कम एक आई० टी० आई० या पालिटेकनिक खोला जाय । चूंकि समय कम है बुन्देलखण्ड का हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिये मुझे कम से कम दो मिनट और दिये जायं ।

मैं परिवहन विभाग के संबंध में कहना चाहता हूं हमारे यहां बस स्टेशन नहीं है सभी जनपदों के मुख्यालयों में बस स्टेशन हैं हमारे यहां भी बस स्टेशन खोला जाय ।

सड़कों के विकास के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नगरपालिका की सड़कें कच्ची हैं उनकी मरम्मत नहीं होती है इसलिये मौधा और खरेला टाउन एरियाज में सड़कें बनायी जायं ।

स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं वहां एक यूनानी अस्पताल 15 शैय्याओं का है उसकी बिल्डिंग बनायी जाय ।

बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है उसे दूर करने के लिये एक भारी उद्योग हमारे यहां लगाया जाय ।

आखिर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक विद्युत सब-स्टेशन खोला जाय । पेय जल के संबंध में, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके लिये स्टाफ नहीं है अतः स्टाफ दिया जाय वहां एक और ट्यूबवेल लगाया जाय । इसके साथ मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया । इन शब्दों के साथ मेरे क्षेत्र की विकास योजनाएं इसमें जोड़ी जायं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

* श्री छोटे लाल वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आभारी हूं। आगरा जनपद इस प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जहां इनका कोई कानून लागू नहीं होता है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय एक नियम बनाया गया कि 15 सौ की आबादी के सारे गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जायेगा। हमारे यहां उस समय सड़कों पर पत्थर कूटे गये उनको खड़ंजा स्तर तक बनाना था लेकिन उनको आधे में ही छोड़ दिया गया। आज आगरे में माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं उनके क्षेत्र में भी यही हालत है।

यह सरकार घोषणा कर रही है कि हम मल्लाहों को, निषादों को पट्टे दे रहे हैं यह सब झूठी बातें हैं कोई पट्टे नहीं मिल रहे हैं। जो तालाबों आदि के ठेके दिये जाते हैं वह सब माफिया गैंग को दिये जाते हैं। गरीब उनको नहीं पा रहा है इसलिये इसमें ऐसी व्यवस्था कर दें कि पट्टे सिर्फ मल्लाहों और गरीब लोगों को ही दिये जायं ताकि उनकी रोटी रोजी चल सके। चम्बल नदी से जो बालू का ठेका दिया जाता है वह माफिया लोगों को ही मिल रहा है मैं मांग करता हूं कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे जनपद आगरा में फतेहाबाद–फिरोजाबाद जो मार्ग है, वह मार्ग ऐसा केन्द्र है, जहां पर तीन प्रान्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमायें लगी हुई हैं। यह तहसील तीन सीमाओं के बीच का केन्द्र है। इससे जो रोड फिरोजाबाद जाता है, उसके बीच में यमुना नदी पड़ती है, उस पर एक पक्के पुल का निर्माण कराया जाये। क्योंकि आगरा होकर जाने पर 85 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है और पुल बनने से जो मार्ग मिलेगा, वह शार्ट कट रास्ता 20 मील का है। इसलिये इस पुल को बनवाने की तरफ सरकार ध्यान दे। सरकार के शासनादेश में है कि हर ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां 45 ग्रामसभाएं ऐसी हैं, जहां पर अभी कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है।

यह सरकार आज दलितों और पिछड़ों की बढ़ चढ़ कर बात करती है, किन्तु ये प्राइमरी स्कूल विहीन ग्राम सभाएं इन्हीं वर्ग के लोगों की हैं, जो बची हुई हैं। इससे लगता है कि उनको ऊपर उठाने का आपका नारा झूठा है। जंगलों में पानी की और दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। जो सुविधाएं सरकार देती है, वह इनके कुशासन के कारण ऊपर ही रह जाती हैं, वह नीचे तक, दबे-कुचले दलितों तक नहीं पहुंच पाती हैं। आपको धन्यवाद, जो आपने पहली बार मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री रघुवीर सिंह–

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं अपने सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जो यहां साम्प्रदायिकता के प्रश्न को बराबर उठाया करते हैं। लेकिन उन्हें इस साम्प्रदायिकता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यह आज देश और प्रदेश में साम्प्रदायिकता को उभाड़ रहे हैं, अपने कार्यों से उसे बढ़ावा दे रहे हैं और उल्टे हम लोगों पर इसका आरोप लगाते हैं। आज मा० मुलायम सिंह यादव जी ने और मा० कांशीराम जी ने अपने स्वाभाविक दोस्तों और दुश्मनों की अपने पिछड़े भाइयों को पहचान करा दी है। आज समाज के लोग, दलित और पिछड़े यह समझने लगे हैं कि वास्तव में कौन साम्प्रदायिक और कौन देश के विकास का विरोधी है। आज अपने दलित और पिछड़े हुए भाई अपने स्वाभाविक दोस्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को पहचान चुके हैं इससे इन लोगों की बेचैनी बढ़ गयी है । इसीलिये इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है । यह आज गुण्डा ऐक्ट की बात करते हैं, तो हमारे आई०पी० सी० व सी० आर० पी० सी० में क्या कमी है, जिसको भली प्रकार लागू करने से गुण्डागर्दी की समस्या दूर नहीं हो सकती है ? यह तो गुण्डागर्दी प्रदेश में दूर ही नहीं करना चाहते थे, तो कैसे यह दूर होती ? वह नकल विरोधी काननू अध्यादेश यही लोग लाये थे, क्योंकि 90 परसेन्ट यही लोग इनके लोग अध्यापन का काम करते हैं और उनकी ही ढिलाई और कमजोरी से नकल होती थी । इन्हीं लोगों ने पहले नकल को बढ़ावा दिया था। सरकार ने अपने पार्टी घोषणा-पत्र में जो वायदे किये तो उनमें से 90 प्रतिशत को उसने पूरा कर लिया है । जिसे यह जंगल राज कहते हैं, उसी हमारी पार्टी के राज्य में आज सभी लोग आराम से घूमते हैं ।

यह भी एक आरोप लगा कि इस शासनकाल में अपराध बढ़े हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि एक प्रकार से यह अपराध इधर बहुत तेजी से घटे हैं । जो पहले डर के मारे पीड़ित लोग बलात्कार और डकैती जैसे जघन्य अपराधों की रिपोर्ट भी नहीं लिखाते थे और लिखाते थे तो लिखी नहीं जाती थीं, अब लिखी जाने लगी हैं आसानी से, इसीलिये इनकी संख्या बढ़ी हुई कुछ मालूम पड़ती है । मैं एटा के जलेसर क्षेत्र से आया हूं, वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है । 50 ग्राम कड़ुवे पानी की चपेट में हैं, वहां पर मीठे पानी और शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, वहां एक पालीटेकनिक स्कूल डा० अम्बेडकर के नाम से होना बहुत ही आवश्यक है । यही मेरा सरकार से निवेदन है । सरकार ने अब अनुसूचित जातियों का 21 परसेंट का आरक्षण किया है । एस० सी० एस० टी० के लिये जो रिजर्वेशन कोटा है वह पूरा किया जाना चाहिए ताकि इससे मिलने वाला लाभ उन लोगों को मिल सके । साथ ही यह कोटा सरकारी कोटों, जैसे चीनी, तेल, डीजल आदि में लागू होना चाहिए ताकि इनका आर्थिक स्तर भी कुछ उठ सके । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात कहकर समाप्त करता हूं तथा श्री बी० आर० वर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

* श्री जगदीश मुनि–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । हमारे नेता विरोधी दल ने जो राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपना अभिमत प्रकट किया है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आयी है तब से यह तो सबको मानना ही पड़ेगा कि अराजकता बढ़ी है । प्रान्त के अन्दर अपराध, बलात्कार, डकैती के किस्से बढ़े हैं । इसलिये इन सब बातों को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी कानून व्यवस्था को सुचारु करें जिससे यह जो घटनाएं बढ़ी हैं उनको रोका जा सके । अधिष्ठाता जी, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं लाना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि हरिद्वार नया जिला है । इस जिले के अन्दर विद्युतीकरण को शून्य रखा गया है । जबकि हमारे जिले के अन्दर 600 के करीब गांव हैं । आधे गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युतीकरण की व्यवस्था ठीक की जाय जिससे गांव के लोगों को बिजली मिल सके । हरिद्वार एक अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल है । सम्पूर्ण भारत के ही नहीं अपितु विश्व के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोग यहां तीर्थ यात्रा के लिये आते हैं। मंत्री जी जो 16 घंटे बिजली आपूर्ति कराने की बात है, उसे यहां लागू न करके यहां पर चौबीस घंटे विद्युत व्यवस्था बनायी जाय यहां पर बिजली काटी न जाय। मान्यवर, एक निवेदन और भी करना चाहता हूं कि यहां पर 5 बजे से 9 बजे तक गांव में बिजली नहीं दी जाती है। मान्यवर, परीक्षाएं होने वाली हैं ऐसे समय में बिजली की कटौती नहीं की जानी चाहिए। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे हरिद्वार जिले के अन्दर जो गंगा नदी बीचोबीच बहती है इससे बरसात में किनारे के गांवों की मिट्टी का कटाव होता है। मैं आपके माध्यम से इस विषय में जल्दी ही ठोकरें बनाये जाने के लिये निवेदन करता हूं कि जल्दी ही ठोकरें बनायी जायें जिससे इस कटाव को रोका जा सके। जो बांध बना हुआ है उसे 10–20 किलोमीटर और बनाया जाय ताकि पूरा क्षेत्र सुरक्षित हो सके। इस वर्ष बरसात से पहले, ठोकरों का निर्माण नहीं किया गया तो दो-तीन गांव ऐसे हैं जहां खेत की जमीन के साथ-साथ आबादी की बस्ती भी बह जाने का खतरा है।

आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ठोकरें बनवाकर कटाव को रोकने की व्यवस्था की जाय। हरिद्वार से लक्सर रायसी के बीच एक अर्द्धनिर्मित पुल बना हुआ है जिसमें चार भागों में लिन्टर पड़ना है, एक भाग में लिन्टर पड़ चुका है दूसरी तरफ मिट्टी डालकर सड़क भी बनाने का कार्य हो चुका है। मान्यवर, इस पुल पर सैकड़ों रुपया सरकार का लग चुका है, अतः आपसे निवेदन है कि इसको शीघ्र ही पूर्ण कराया जाय जिससे आवागमन की समस्या का समाधान हो सके। हरिद्वार जिले के अन्दर सड़कों की बहुत कमी है। एक नेशनल हाई-वे है जो हरिद्वार को दिल्ली से जोड़ती है। दूसरी सड़क है लक्सर पुरकाजी से होती हुई दिल्ली जाती है आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस सड़क को चौड़ा करा दिया जाए तथा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाए ताकि श्रावण मास में गंगाजाल लेकर जो कांवरिया जाते हैं उनको असुविधा न हो और उनको दूसरे रास्तों से होकर न जाना पड़े। उस सड़क के मुख्य मार्ग से जुड़ जाने और उस पर नई बसें चल जाने से वहां के आदमियों की परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि वहां पर कम से कम 100 गांव ऐसे हैं जिनके निवासियों ने बसें देखी तक नहीं हैं। उस सड़क के चौड़ी होने पर बसें चलने लगेंगी।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री घूराराम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस सरकार के आने से पहले समाज में बहुत ही विसंगतियां फैली हुई थीं इस सरकार के आने से वह विसंगतियां समाप्त हो रही हैं। इसीलिए मनुवादी व्यवस्था वाले लोगों में घबराहट फैल रही है। मनुवादी व्यवस्था वाले लोग दलितों, हरिजनों, अनुसूचित अल्पसंख्यकों का कितना उत्पीड़न करते रहे हैं।

मान्यवर, मैं बलिया जिले का रहने वाला हूं वहां के दलितों, शोषितों, पीड़ितों पर इन लोगों ने इतने अत्याचार किये उनको इतना उत्पीड़ित किये कि वे लोग वहां से भागकर पंजाब, बम्बई आदि जगहों पर भाग गये हैं और शरणार्थियों के रूप में शरण लिये हुए हैं। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने दलितों, शोषितों, पिछड़े हुए लोगों की भलाई के लिये अनेक काम किये। यह कि जो पूर्व सरकारें थीं और वह जातिवाद की बात करती थीं। मैं तो कहना चाहता हूं कि भाजपा के शासनकाल में मनुवादी व्यवस्था की विषमतायें फैली हुई थी जिसमे दलितों, शोषितों और पिछड़ों पर अत्याचार हुआ करते थे। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इस जुल्म को रोकने के लिये जो दलितों पर हो रहे हैं, बलिया जनपद के 26 सौ ग्राम सभाओं में बन्दूक और रायफल बिहार सरकार की तरह निःशुल्क प्रदान करें। पिछली भाजपा सरकार ने जिन अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को

लाइसेंस दिये थे, उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जायं अगर इन दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को लाइसेंस दिये जायेंगे तो यह लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और अपनी रक्षा तथा सुरक्षा कर सकेंगे । इन वर्गों के लोगों से जो यह कहा जाता है कि वोट तो दे दिया लेकिन अगली बार गोलियों से भून देंगे ऐसा कहने वाले लोगों को करारा जवाब देने के लिये दलित, शोषित और पीड़ित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस दिये जायं यह मैं सरकार से मांग करता हूं । इनकी रक्षा, सुरक्षा और इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बन्दूक और रायफल के लाइसेंस निःशुल्क देने की व्यवस्था सरकार करे । इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं और श्री राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री महाबीर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । यह जो वर्तमान सरकार है यह किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, जन विरोधी और महिला विरोधी तथा समाज के अन्तिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की विरोधी यह सरकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये, आप कल बोलियेगा । आपका भाषण कल जारी रहेगा ।

उ० प्र० मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1979 के अनुसार यह व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रदेशों से जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले वाहन हैं उनसे चेकपोस्ट लगाकर पथकर लेने की व्यवस्था है । परिवहन विकास परिषद् के फैसले तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक 1 सितम्बर, 1993 से माननीय राज्यपाल महोदय के शासनकाल में यह आदेश हुआ कि चेकपोस्ट हटायी जायं तो चेक पोस्टों को हटाया गया और पथकर समाप्त किया गया । इन शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, को विचार करने के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो अपनी बात कहें ।

एक सदस्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने बोलने का समय दिया । आगरा में 8 फरवरी को ओलावृष्टि हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विधेयक है, आप कृपया बैठें । आप कल बोलियेगा ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । जो दूसरे प्रदेशों से इस प्रदेश में गाड़ियां आती थीं उनके पथकर को समाप्त किया गया है । मैं इस विधेयक के माध्यम से वर्तमान समय में परिवहन की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । विगत दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की जो बसेज हैं या गाड़ियां चलती हैं, कल भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि गाड़ियों के टैक्स के संबंध में, उसकी फिटनेस के संबंध में या ऐसे जो तमाम जरूरी परिवहन विभाग, आर० टी० ओ० आफिस से संबंधित हैं, उसकी चेकिंग जो पहले पुलिस के लोग किया करते थे, अब वह उन परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जायगा । स्थिति यह हुई है कि उन तमाम जनपदों में जहां पर डग्गामार गाड़ियां थीं, उन गाड़ियों ने टैक्स देना शुरू कर दिया और जब से पुलिस टैक्स बन्द हो गया, तब से वे अवैध गाड़ियां जो चलती थीं, वे भी पुलिस वालों को पैसा देना बन्द कर दिये ।

वे पुलिस की मिलीभगत से गाड़ियां चलाते थे । लेकिन पुलिस के लोग इसके बावजूद भी उत्पीड़न कर रहे हैं । विगत दिनों खलीलाबाद में वहां के पुलिस उपाधीक्षक ने उन बसों को बन्द कर दिया, उन्होंने कहा कि शासन का आदेश होगा, ऐसे मैंने बहुत शासनादेश देखे हैं और हमारे पास बहुत ऐक्ट हैं, पुलिस के ऐक्ट के बाहर नहीं जा सकते हैं और उन्होंने अकारण 3 दिन तक गाड़ियों को बन्द रखा । जो पुलिस का उत्पीड़न इन गाड़ियों के बारें में होता था, उसको आपने तो बन्द कर दिया, लेकिन शासनादेश के बाद, परिवहन मंत्री जी की घोषणा के बाद कि पुलिस विभाग इन गाड़ियों की चेकिंग नहीं करेंगे, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में इन गाड़ियों की चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है और बिना किसी आरोप के उन्हें कई दिनों तक थाने में रखा जाता है ।

मान्यवर, यह जो विधेयक ला रहे हैं, जिसमें इनका प्रयास है कि यह जो प्रदेश की गाड़ियां हैं या जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, जो बार्डर पर दिक्कतें होती थीं, उसके बारे में कोर्ट का आदेश हुआ और राज्यपाल जी का आदेश हुआ और आज इसको विधेयक के रूप में लेकर आये हैं, तो इस विधेयक को तो पारित करेंगे, लेकिन जो कठिनाइयां हैं, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आकस्मिक छापे आपने मारे हैं और जो घाटे हैं, उसकी पूर्ति के लिये आप प्रयास करेंगे । दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आम पैसेंजर की कठिनाइयां हैं, उनको देखें, स्वयं आपने कहा कि 7-8 हजार बसों में 50 प्रतिशत आफ दि रोड हैं ।

[समय 5 बजकर 30 मिनट]

मैं समझता हूं कि 35–37 सौ बसों का उल्लेख किया गया है, तो उन बसों को ठीक करके परिवहन विभाग की हालत को दुरुस्त किया जा सकता है । रोडवेज की जितनी बसें खड़ी हैं, उनकी मरम्मत करायी जाये और उनको चलाया जाये । इससे इस विभाग की आय बढ़ेगी और जो गरीब यात्री हैं उनको राहत भी मिलेगी । मान्यवर, जब बस नहीं मिलती हैं, तो क्या होता है कि गरीब और परेशान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोगों को जीपों से जाना पड़ता है और वह किराया अधिक लेते हैं और वह मनमाना किराया वसूल करते हैं । इसलिये मेरा माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि बसों की संख्या को बढ़ाया जाये क्योंकि आवागमन बहुत बढ़ रहा है । इनको उन परिस्थितियों को देखना होगा जिससे प्रदेश के यात्रियों को सुविधा मिले और किस प्रकार से निगम को लाभकारी बनाया जा सकता है । इस दिशा में भी कार्यवाही करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह जो विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह बड़े-बड़े लोगों, पूंजीपतियों और करोड़पतियों की भलाई के लिये लाया गया है । उनके सामने इस सरकार ने घुटने टेक दिये हैं । इसी सरकार ने नहीं, केन्द्र की सरकार ने भी घुटने टेक दिये हैं । इससे गरीबों को लाभ होने वाला नहीं है । इससे किसी व्यक्ति को लाभ होने वाला नहीं है । इससे उन लोगों को कतई लाभ होने वाला नहीं है, जिनकी यह सरकार पक्षधर है, यह बिल्कुल सत्य है । ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन ने लम्बी हड़ताल करके सरकार के साथ ब्लैकमेल किया है ।

आज इस पथकर के समाप्त हो जाने के बाद इस प्रदेश के खजाने में पहले से कम धन आयेगा, कम आय होगी और निश्चित रूप से जो धन पथकर से आता था, वह विकास के कार्यों में लगता था और वह उन लोगों के काम आता था जो बसों से सफर करते थे और गरीब थे । यह सरकार उनकी पक्षधर नहीं है । मैं कह सकता हूं कि यह सरकार बड़े-बड़े लोगों की पक्षधर है, जिनके पास लाखों रुपया है और तमाम बसें हैं और बड़ी कम्पनियां हैं, उनकी यह सरकार पक्षधर है । मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में रेलवे लाइन नहीं है, इसलिये लोगों को बस से सफर करना पड़ता है और जहां पर सड़कें नहीं हैं, वहां पर बसें नहीं चल पाती हैं और वहां पर प्राइवेट बसें भी नहीं चल पाती हैं । मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि निजी बसों को चलने की अनुमति दी जाये, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा हो सके, हां इतना अवश्य है कि उन पर नियंत्रण रखा जाये, जिससे वह अधिक किराया न ले सकें और गरीब जनता का उत्पीड़न न कर सकें ।

मान्यवर, मैं एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं । मान्यवर, जब सरकार गठित हुई थी तो परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश मे देश के अन्य प्रदेशों से किराया अधिक है और उसे कम करना चाहिए । मेरा कहना है कि अगर उन्होंने यह बात कही थी तो उन्हें किराया कम करना चाहिए और अपनी बात को पूरा करना चाहिए । इसके विपरीत मान्यवर, यह किराया बढ़ाने जा रहे हैं । तो इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है । मान्यवर, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार से इसके लिये प्रोत्साहन मिले, यह ठीक नहीं है । इस तरह की बहुत सी घटनाएं सामने आयी हैं, जिनसे मालूम हुआ है कि कतिपय पार्टियों के लिये चन्दा लेने के लिये पैसा वसूल कर रहे हैं ।

अधिकारियों से पैसा वसूल कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है । माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हो सकता है कि बात न हो । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना हो तो अधिकारियों को भी इतना साहस दें कि वे अपनी बात आपके सामने कह सकें । क्योंकि अगर उनके ऊपर चन्दा लगाने का दबाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से अपनी तनख्वाह से वह चन्दा नहीं देंगे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इसके साथ ही मैं पथकर निरसन विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, सम्मानित पाल साहब और सम्मानित डंग साहब ने अपनी बात रखी है । पाल साहब ने स्वागत किया है और विधेयक का स्वागत करते हुए इसकी तरफ इशारा किया है । मेरा ध्यान जो इन्होंने सलाह दिया है, उसकी तरफ पहले से है । एक फैसला लिया गया है कि पूरे प्रदेश में पुलिस गाड़ियों के परमिट, रजिस्ट्रेशन कागज और इससे संबंधित पेपर चेक नहीं करेगी, यह फैसला हुआ है और उसे लागू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उन्होंने अलग से आर्डर दिया है, एस० पी०, एस० एस० पी० के पास कागज पहुंच गये हैं, आर्डर का काम्पलायन्स किया जा रहा है । जो सलाह दिया है उसको स्वीकार करता हूं और भी सलाह जो देना चाहें उसका भी स्वागत है । पालन कराना मैं जानता हूं और सरकार पालन करायेगी । उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस कर्मचारी अब इस तरह की अनियमितता नहीं करेंगे ।

माननीय डंग साहब ने थोड़ा सा कमेन्ट किया, मैं सीरियस हूं, गम्भीरता से ले रहा हूं, भ्रष्टाचार पहले ज्यादा था और आपकी सरकार में ज्यादा बढ़ा हुआ था । इस समय जब से हमारी सरकार आई है, हम इसके प्रति शपथ लेने के तुरन्त बाद से बहुत सीरियस हूं, गम्भीरता से ले रहा हूं और हमने अभियान शुरू किया है टाप टू बाटम और बाटम टू टाप हम देख रहे हैं, टीम बना लिया है, हम कन्ट्रोल करेंगे और कन्ट्रोल करेंगे । जो आपने टिकट के बारे में कहा है, मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, यह हमें देखना है शपथ लेने के बाद, मैं मानता हूं कि करेप्शन है, अनियमितता है और इस सम्बन्ध में मैंने इसलिए भी कहा है कि टिकटों के रेट ज्यादा है, पूरे इण्डिया में, पूरे देश में तमाम सूबे हैं, टिकट के रेट वाकई यहां ज्यादा हैं, ऐसा मैं मानता हूं । लेकिन हमने इस तरह से कहा है कि यह हमारी जिन्दगी की खुशी का मौका होगा कि हम निगम को घाटे से काफी उबारे, फायदा करायें और टिकटों के रेट में जो और सूबों की अपेक्षा जयादा दिख रहे हैं उस पर और कंट्रोल कर सकें तो मेरी जिन्दगी का खुशी का मौका होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अधिनियम, 1979 के निरसन के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) अधिनियम, 1994 कहा जाएगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 1 सितम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1979 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अधिनियम, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 3-3-94 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री सुरेश संगल की प्रदेश के रिटायर्ड अध्यापकों को पेंशन भुगतान में देरी के संबंध में है । इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । श्री बची सिंह रावत की पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किये जाने के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया गया है । अगली सूचना श्री राकेश अग्रवाल की जनपद बरेली के बिक्रमपुर ग्राम के प्रधान की भतीजी के साथ पी० ए० सी० के सिपाही द्वारा बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की थाना कछवां जनपद मिर्जापुर में अनुसूचित जाति की बालिका के साथ सरकारी सेवारत चिकित्सक द्वारा बलात्कार एवं नामजद रिपोर्ट के बावजूद कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

अगली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सर्वोदय इण्टर कालेज चौमुहा जिला मथुरा प्रधानाचार्य एवं क्षेत्र समिति के पूर्व चेयरमैन श्री उत्तम चन्द्र वार्ष्णेय की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर नियम 56 में ध्यानाकर्षण हो चुका है । शेष श्री अमित अग्रवाल, श्री रमेश पोखरियाल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, श्री मातवर सिंह कण्डारी श्री विश्राम सिंह यादव, श्री रंगनाथ व श्री सुन्दर लाल दीक्षित की सूचनाओं को निरस्त किया जाता है ।

जनपद आगरा की किरावली तहसील में भारी वर्षा व ओलावृष्टि से क्षति विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री बाबू राम यादव–

[जनपद आगरा की तहसील किरावली में 82 ग्राम कम अधिक रूप में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं । जिलाधिकारी द्वारा दी गयी सूचनानुसार 2 ग्राम (रैपुरा अहिरगांव व अरसेना) में लोहा की क्षति 75 प्रतिशत से अधिक हुई है । 5 ग्रामों (कसौटी, ममुर्रा, धनौली, गोमऊ तथा चोंगापुर) में फसल की क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हुई है । उक्त 2 गांवों में आर्थिक सहायता के रूप में लगभग 1.75 लाख की राहत वितरित की गयी है । उक्त 5 ग्रामों में जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति बतायी गयी है अनुमन्य आर्थिक सहायता आंकलन करने के लिये भूखण्डवार पड़ताल अधिकारियों द्वारा की जा रही है । वर्तमान व्यवस्थानुसार कृषक को उसके, शासनादेश में इंगित कुल खड़ी तैयार फसलों को मिलाकर ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर प्रति एकड़ 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 300 रु० अधिकतम 1,500 रु० नकद राहत की व्यवस्था है और इसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 268 तथा तद्अन्तर्गत नियमित नियमावली के नियम 292–क व 293 में कृषिकीय आपदाओं से निर्धारित सीमा से अधिक क्षति की स्थिति में मालगुजारी व लगान में स्थगन व छूट की व्यवस्था है । 50 पैसे किन्तु 60 पैसे से कम क्षति के लिए रुपये में 40 पैसे, 60 किन्तु 75 पैसे से कम की क्षति के लिए रुपये में 60 पैसे तथा 75 पैसे या उससे अधिक की क्षति के लिए पूरी छूट की व्यवस्था है ।

यह भी व्यवस्था है कि बुन्देलखण्ड में और इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिलों के जमुनापार के भागों में तथा दूसरे क्षेत्रों में यदि काश्तकारों की परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत हो तो उस स्थिति में जब सामान्य उपज के प्रति रुपये पर निकाली गयी हानि 40 पैसे प्रति रुपये हो, किन्तु 50 पैसे न हो तो मालगुजारी प्रति रुपया 25 पैसे तक स्थगित की जा सकती है या छोड़ी जा सकती है ।

जहां मालगुजारी व लगान में नियमों के अनुसार छूट का औचित्य होगा उनमें स्थगन की भी कार्यवाही की जायेगी । जिलाधिकारी नियमों के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं । निर्धारित सीमा से अधिक क्षति के मामले में उत्पीड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी है ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, इन्होंने तहसील किरावली में केवल 82 गांवों में ओलों से क्षति बतायी है जोकि मेरी निजी जानकारी के अनुसार फतेहपुर सीकरी ब्लाक को छोड़कर अकोला और अछनेरा ब्लाक का कोई ग्राम नहीं छूटा है । माननीय राजस्व मंत्री जी इसकी पुनः जांच करवायेंगे इन अकोला और अछनेरा के सभी गांवों की फिर से जांच करा ली जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, शासन के संज्ञान में जो गांव आये हैं वे इंगित किये गये हैं । माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक गांव बतायें तो दिखवा लेंगे ।

श्री बदन सिंह–

केवल दो गांवों रेपुरा अहिरगांव व अरसेना में 75 प्रतिशत तक हानि हुई है 300 सौ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने जो वहां पर किसानों को राहत दी है वह एक लाख 75 हजार दिया है जबकि वहां पर मान्यवर, शतप्रतिशत हानि हुई है तो यह धनराशि 300 रु० प्रति एकड़ से देंगे और अधिक से अधिक 1,500 रु० देंगे । जो बड़े किसान हैं जिनकी कि 5 एकड़ से अधिक नुकसान हुआ है क्या आप उनको भी यह राहत देने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जो मानक उपलब्ध हैं उन मानकों के अनुसार राहत दी जा रही है और जहां तक बड़े और छोटे किसानों की बात है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार सबसे पहले छोटे किसानों की हमदर्द है उसके बाद बड़े किसानों की ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा है कि जहां मालगुजारी व लगान में नियमों के अनुसार छूट का औचित्य होगा उनमें स्थगन की भी कार्यवाही की जायेगी और उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि जिन दो गांवों में अधिक क्षति हुई है वहां पर उन्होंने एक लाख 75 हजार रुपये वितरित भी करा दिये हैं और जिन पांच गांवों में 50 प्रतिहात से अधिक की क्षति हुई है वहां पर भूखण्डवार आंकलन किया जा रहा है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई है वहां पर वसूली स्थगित कराये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि दो गांवों में जहां 75 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई है वहां पर 1.75 लाख रुपये वितरित करा दिये गये हैं और जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई है वहां पर भूखण्डवार आंकलन किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो हमारे वर्तमान नियम हैं उन नियमों को संशोधित करने के स्थान पर आश्वासन दिया गया है । इसके मायने यह है कि यह सरकार अनुभव करती है कि वर्तमान में जो नियम हैं वह किसानों को उचित सहायता पहुंचाने में बाधक हैं । मान्यवर, पांच गांव ऐसे हैं जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक हानि का आंकलन किया गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि ओला जो गिरता है वह एक पट्टी की तरह

गिरता है और इससे कभी आधी फसल को नुकसान होता है और कभी सारी फसल को नुकसान होता है । कुल मिलाकर पांच गांव ऐसे हैं जो 50 प्रतिशत से अधिक की हानि के हैं और उनको इसका लाभ नहीं मिल पायेगा । तो नियमों को शिथिल करके जिनको नुकसान हुआ है उन्हें माननीय मुख्य मंत्री जी के कोष से कोई सहायता दिलायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, अभी खूद ही गुप्त जी ने स्वीकार किया कि आधा हिस्सा छूटता है और कभी एक तिहाई हिस्सा । हमने जिला अधिकारी से इसकी जांच करायी थी जो दो गांव थे उसमें हमने 1.75 लाख रुपये की राहत भेज दी है और जो पांच गांव 50 प्रतिशत से ऊपर की हानि के हैं वहां पर भूखण्डवार जांच करायी जा रही है उसके अनुसार राहत दी जायेगी । हमने जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में निर्देश भी दे दिये हैं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि जनपद आगरा की किरावली तहसील में दो गांव ऐसे हैं जहां पर 75 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई है और पांच गांव ऐसे हैं जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई हैं । मैं माननीय मंत्री जी को कुछ गांवों के नाम बताना चाहता हूं जहां पर पचास प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है आप उसकी पुनः जांच करवा लें । वे गांव हैं मिनवाया, सकेतपुर, अदराया, डावली तथा कुरामना । मान्यवर, यहां पर राहत पहुंचाने का कार्य किया जाये ।

श्री बाबू राम यादव–

मैंने यह कहा है कि जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर जांच करायी जा रही है और उसके अनुसार हम राहत देंगे अगर माननीय सदस्य ने कुछ और नाम बतायें है तो हम उसकी भी जांच करवा लेंगे ।

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में आये भीषण चक्रवात से हुई जन-धन की हानि से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के ग्राम पूरेखेमे आदि ग्रामों में दिनांक 21-2-94 को आये चक्रवात से 11 ग्राम प्रभावित हुये.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बाबू राम यादव–

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के ग्राम पूरेखेमे आदि ग्रामों में दिनांक 21-2-94 को आये चक्रवात से 11 ग्राम प्रभावित हुए । । ग्राम पूरेखेम सर्वाधिक प्रभावित रहा है । आवासों के अतिरिक्त फसलों को भी क्षति हुई । इस चक्रवात से ग्राम पूरेखेम के श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ नन्हे की मृत्यु दिनांक

22-2-94 को हुई है तथा कतिपय व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें से एक महिला श्रीमती सम्पता का इलाज चल रहा है । कई लोगों को मामूली चोटे आयीं थी, जिनका उपचार किया गया । उक्त के अतिरिक्त ग्राम किन्धौरा के श्री श्याम दास की एक भैंस मर गयी तथा प्रभावित ग्रामों में कुल 71 पशु घायल हुए हैं, जिनकी चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा की गयी ।

अहैतुक सहायता–

प्रभावित ग्रामों में पूरेकोम, परसिया, गडसर, दुर्जनपुर घाट, शीशों , किन्धौरा, धौरहराघाट, गड़ैली, नयपुर, अशोकपुर तथा रतोहिया में रु० 37,250 अहैतुक सहायता, 147 पात्र परिवारों में वितरित की गयी है तथा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में 41-80 कुन्तल गेहूं, 1013 लीटर मिट्टी का तेल तथा 209 कि० ग्रा० चीनी वितरित किया गया है ।

गृह अनुदान–

प्रभावित ग्रामों में 19 पूर्ण एवं 142 आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के पात्र परिवारों को रु० 54,500 गृह अनुदान का वितरण किया जा चुका है ।

अनुग्रह सहायता–

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ नन्हें निवासी पूरेखेम की मृत्यु पर मृतक के परिवार को रु० 10,000 अनुग्रह सहायता तथा श्रीमती सम्पता पत्नी राम सूरत ग्राम पूरेकोम को चक्रवात से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती रहकर चिकित्सा हेतु रु० 500 तथा ग्राम किन्धौरा में श्री श्याम दास की एक भैंस मरने पर रु० 1,250 कुल रु० 11,750 अनुग्रह सहायता वितरित किया गया ।

चिकित्सा सहायता–

उक्त के अतिरिक्त कतिपय घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी । 71 घायल पशुओं की भी चिकित्सा की गयी ।

अन्य राहत सहायता–

चक्रवात से प्रभावित परिवारों के राहत हेतु 5 शामियाना 18 कनात किराये पर लेकर लगाये गये हैं । निराश्रित व्यक्तियों को 10 कम्बल भी वितरित किया गया । राहत कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है । कतिपय प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच करायी जा रही है ।]

(मद संख्या–14 पुकारे जाने पर)

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

वह विषय समाप्त हो गया है, आप कृपया बैठ जायें ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, एक मिनट के लिये मेरी बात सुन ली जाय ।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(पुनः मद संख्या–14 पर माननीय राजस्व मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, पहले माननीय सदस्य सवाल तो पूछ लें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राजस्व मंत्री जी, मद संख्या–14 माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से है, जो वक्तव्य आप देना चाहते हैं, वह आप दें ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, कोई बात समझ में नहीं आ रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० रमापति जी, आप बैठ जायें, यह केवल वक्तव्य के लिये था, इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते । जब अध्यक्ष जी रहेंगे तो आप लोग जो चाहे, सो कीजिये, मैं यह जानता हूं कि यह केवल वक्तव्य के लिये है ।

जनपद गाजियाबाद में मकनपुरखेड़ा कालोनी थाना सेक्टर–58, नोयडा में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना अवन्तीबाई लोधी चौक की मूर्ति एवं पत्थर तोड़े जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य जारी

(माननीय राजस्व मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

थाना सेक्टर–58 नोएडा जनपद गाजियाबाद क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम खोड़ा कालोनी में मास्टर पार्क क्षेत्र में "लोदी चौक" जिसे कुछ लोगों द्वारा लोहिया चौक भी कहा जाता है.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

अधिष्ठाता–

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बाबू राम यादव–

[नामक एक चौराहा है । उक्त चौराहे के पास निवास करने वाले श्री डम्बर चौधरी नामक भा० ज० पा० कार्यकर्ता ने उक्त चौराहे का नामकरण "वीरांगना महारानी अवन्तीबाई लोधी चौक" कराने का प्रयास किया तथा शिलान्यास हेतु उन्होंने चौराहे के एक कोने पर स्थित आवासीय भवन के द्वार के पास शिलान्यास पट बनाने के उद्देश्य से ईंटों का दो फुट ऊंचा शिलान्यास पट तैयार किया तथा

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निकट भविष्य में वीरांगना महारानी अवन्तीबाई लोधी चौक का नाम पट लगाने एवं मूर्ति स्थापित करने की बातें कहीं जिस पर अन्य स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी एवं मकान के पास लगायी गयी ईंटें आदि भी वहां से हटा दी गयी ।

इसकी सूचना मिलने पर थाना सेक्टर 58 नोयडा के उप निरीक्षक द्वारा दिनांक 26-12-93 को प्रकरण की जांच कर बीट सूचना अंकित करायी गयी तथा श्री डम्बर चौधरी एवं उनके सहयोगियों को अवगत करा दिया गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान के नामकरण एवं शिलान्यास के लिए नियमानुसार अनुमति एवं निर्धारित प्रक्रिया का पूरा किया जाना आवश्यक है और इस कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगा । अतः वे इस संबंध में वांछित अनुमति प्राप्त कर लें । चूंकि इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी थी, वहां इस बात को लेकर तनाव था, अतः उक्त दृष्टि से थानाध्यक्ष सेक्टर 58 नोयडा द्वारा इस संबंध में आख्या दिनांक 28-12-93 को परगना मजिस्ट्रेट दादरी जनपद गाजियाबाद को दी गयी जिन्होंने समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31-12-93 को निषेधाज्ञा जारी की जो दिनांक 30-1-94 तक प्रभावित थी ।

प्रभावित चौक के संदर्भ में संबंधित भा० ज० पा० कार्यकर्ताओं को मात्र यह अवगत कराया गया था कि निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी चौक या प्रतिमा का नामकरण या स्थापना करायी जा सकती है । इसके अतिरिक्त न उन्हें किसी प्रकार से हतोत्साहित ही किया गया और न ही प्रताड़ित किया गया था । इस संबंध में श्री चौधरी एवं उनके सहयोगियों द्वारा यह घोषणा करायी गयी थी कि प्रशासन द्वारा लागू की गयी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए दिनांक 2-1-94 को क्षेत्रीय विधायक श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा उक्त स्थान पर मूर्ति की स्थापना की जायेगी । इसे देखते हुए श्री त्यागी जी को वस्तुस्थिति से अवगत भी करा दिया गया और दिनांक 2-1-94, जो इस कार्य के लिए प्रस्तावित दिवस था, को शिलान्यास अथवा अन्य कोई कार्यकलाप संदर्भित स्थान पर आयोजित नहीं हुआ और न ही कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुयी ।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उसी तिथि को ग्राम खोड़ा में ही अन्यत्र श्री त्यागी द्वारा स्थानीय नागरिकों द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में भाग लिया गया तथा उससे कोई विवाद या अशान्ति जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई । प्रस्तावित चौक के समर्थकों को किसी के द्वारा धमकी दिये जाने का भी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में प्रशासन द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से नियमानुसार ही कार्यवाही की गयी है । परगना मैजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में पारित निषेधाज्ञा की अवधि भी दिनांक 30-1-94 को समाप्त हो चुकी है । उक्त संदर्भ में प्रस्तावित चौक के समर्थकों को पुनः यह अवगत करा दिया गया है कि वे निर्धारित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् वहां पर चौक के नामकरण कराने के लिए स्वतंत्र है । वर्तमान में वहां स्थिति पूर्णतया सामान्य है ।]

नोट- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में आये भीषण चक्रवात से सम्बन्धित सूचना पर दिये गये वक्तव्य पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह बात सही है कि आपने जो निर्देश दिये, वह सही दिये कि यह केवल वक्तव्य के लिये है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि यह 11 ग्रामों का सवाल है और काफी हानि हुयी है, इसलिये एक प्रश्न पूछने का मौका दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजस्व मंत्री जी, श्री रमापति शास्त्री जी को बुलाकर उनसे पूरी समस्या की जानकारी करके इसकी जांच कराकर इनकी समस्या का समाधान कर दें।

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरे पास आ जायें, हम अधिष्ठाता जी के आदेश का पालन करेंगे।

जनपद गाजियाबाद में मकनपुर खोड़ा कालोनी थाना सेक्टर–58 नोयडा में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना अवन्तीबाई लोधी चौक की मूर्ति एवं पत्थर तोड़े जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–14 के वक्तव्य पर माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, वक्तव्य में आवासीय भवन के द्वार के पास शिलान्यास पट बनाने के उद्देश्य से ईटों का दो फुट ऊंचा शिलान्यास पट तैयार किया गया था तथा निकट भविष्य में वीरांगना महारानी अवन्तीबाई लोधी चौक का नामपट लगाने एवं मूर्ति स्थापित करने की बात कही। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में मूर्ति स्थापित की गयी थी या नहीं। दूसरी बात यह भी जानना चाहता हूं कि वह कालोनी न तो कोई राजस्व गांव है, और न किसी एथारिटी के द्वारा विकसित कालोनी है, फिर वहां शिलान्यास करने के लिये, या मूर्ति स्थापित करने के लिये किससे अनुमति की आवश्यकता होगी, जरा इसको स्पष्ट करा दें।

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

माननीय सदस्य इस पूरे वक्तव्य को पढ़ लीजिये; इसमें सारी चीजें स्पष्ट की गयी हैं और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, वह भी वक्तव्य से स्पष्ट है, उसको हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय राजस्व मंत्री जी की तैयारी शायद कुछ ज्यादा है तब भी इसमें से बिन्दु निकालने में कठिनाई हो जाती है और राजस्वमंत्री जी शायद उसी परेशानी में है जिसके कारण बार-बार देख रहे हैं। मान्यवर, वीरांगना अवन्ती बाई का स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा गौरव, उज्जवल इतिहास रहा है। मैं ऐसे किसी विवाद और झगड़े में नहीं जाता, मूर्ति लग सकती थी या नहीं वह तो माननीय सदस्य गाजियाबाद पूछ लेंगे लेकिन मैं तो समझता हूं कि उनकी मूर्ति लगना आज की पीढ़ी के लिये उनको प्रेरणा देने के लिये बहुत आवश्यक है। क्या सरकार के स्तर पर इस विवाद को निपटाकर वहां मूर्ति लगा दी जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय गुप्ता जी अगर यह शासन से अनुज्ञा मांगेंगे, और उसके लिये जो विविध कार्यवाई निर्धारित है उसको पूर्ण करने के बाद ही सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति लगायी जा सकती है अगर यह शासन के संज्ञान में लायेंगे तो कार्यवाही हो जायेगी ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में बिगड़ी शान्ति व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)––

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 13-2-94 को कृषि विद्यालय, बी० एच० यू० के छात्र श्री मनोज कुमार सिन्हा की बीमारी के कारण सर सुन्दर लाल चिकित्सालय, बी० एच० यू० वाराणसी में मृत्यु हो गयी । मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा परीक्षण हेतु रख लिया गया है इसकी सूचना पाकर यह आरोप लगाते हुए कि छात्र की मृत्यु डाक्टरों की लापरवाही से हुई है छात्रों ने अस्पताल में तोड़-फोड़ की कार्यवाही की व डाक्टरों, मेडिकल छात्रों एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट की । उग्र छात्रों द्वारा पत्थर व बम फेके गये एवं अवैध असलहों से फायर किये गये ।

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गये एवं स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया । छात्रों की भीड़ के हिंसात्मक हो जाने तथा परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर उपस्थिति अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर (के आदेश पर उपर्युक्त बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करने की कार्यवाही की गयी । इस संबंध में आंसू गैस के दस फायर व रबर बुलेट के चार राउण्ड फायर किये गये जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ तितर बितर हो गयी) ।

उत्तेजित छात्र एवं मेडिकल छात्रों की हिंसात्मक कार्यवाही से 15 पुलिस कर्मी, 10 छात्र तथा अपर जिला मैजिस्ट्रेट (नगर) की अर्दली घायल हुए जिसमें एक व्यक्ति श्री विभूति भूषण दीक्षित जो वर्तमान में विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है, के गंभीर रूप से घायल हो गये इस व्यक्ति की समुचित चिकित्सा उपलब्ध करायी गयी । इसके बाद बी० एच० यू० स्थिति मेडिकल संस्थान के सभी डाक्टर हड़ताल पर चले गये ।

यह कहना सही है कि छात्रों को पुलिस की गोली से चोटे आयी । अधिकांश छात्रों को चोटे संघर्षरत छात्रों द्वारा फायर किये गये नाजायज असलहों से आयी है ।

इस घटना के संबंध में थाना लंका पर थानाध्यक्ष लंका की सूचना पर मु० अ० सं० 44/94 धारा–147/148/149/307/323/332/353 भा० द० वि० तथा श्री निखिल सिंह छात्र मेडिकल की सूचना पर मु० अ० सं० 44ए/94 धारा–395/397 भा० द० वि० एवं छात्रों के दूसरे गुट की ओर से

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राजेश कुमार सिंह की सूचना पर मेडिकल छात्रों के विरुद्ध मु० अ० सं०–44 बी/94 धारा-147/323/427/435 भा० द० वि० पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

उक्त घटना के पश्चात् दिनांक 13-2-94 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया जिसके विरोधास्वरूप छात्रों द्वारा अनशन प्रारम्भ कर दिया गया तथा दिनांक 15-2-94 को ''वाराणसी बन्द'' का निर्णय लिया गया । शान्ति व्यवस्था को ध्यान में रख कर तीन छात्र नेताओं को 15-2-94 को धारा–151 द० प्र० सं० में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । दिनांक 15-2-94 को श्री देवानन्द सिंह अध्यक्ष छात्र संघ बी० एच० यू० के नेतृत्व में लंका क्षेत्र की दुकानें बन्द करायी जाने लगी । शान्ति व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही छात्रों को गिरफ्तार किया गया । इसी प्रकार काशी विद्यापीठ एवं उदय प्रताप कालेज आदि के छात्रों ने भी शहर में घूम-घूम कर बाजार बन्द कराने का प्रयास किया । इस संबंध में भी तीन छात्रों को धारा–151 द० प्र० सं० में गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त सभी गिरफ्तार छात्रों को सायंकाल निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया ।

दिनांक 18–2–94 को छात्र संघर्ष समिति ने छात्र कर्फ्यू की घोषणा की थी । इससे व्यापार प्रतिष्ठान व यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हुए । इस दौरान उदय प्रताप कालेज के छात्रों द्वारा मनोरंजन कर आयुक्त की जीप को नुकसान पहुंचाया गया इस संबंध में थाना कैण्ट पर अहस्तक्षेपीय अभियोग पंजीकृत हुआ है ।

दिनांक 13–2–94 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में हुये हिंसात्मक घटनाओं की मजिस्ट्रीरिल जांच के आदेश दिये गये हैं । विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी परिसर में घटित घटनाओं की जांच हेतु उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री कमलाकर चौबे को नियुक्त किया गया है जो अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे ।

वर्तमान में स्थिति तनावपूर्ण परन्तु नियंत्रण में है । स्थिति पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।]

जनपद मिर्जापुर स्थित टाण्डा फाल से निकलने वाली नहर का जल हर्राई नदी में जाने से रोकने तथा जल का सदुपयोग सुनिश्चित कराये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह प्रश्न जो पूछा गया था, उसमें स्पष्ट रूप से शासन ने स्वीकार किया है कि आज भी इस नहर से पानी का रिसाव हो रहा है । कोई भी शासन हो, इस देश में जहां हम यह मानते हैं कि 70 प्रतिशत जनता इस देश, प्रदेश की गांवों में रहती है और हम लोगों को तो प्राथमिक स्कूल में पढाया भी गया था कि ''भारत माता ग्रामवासिनी'' गांवों में रहने वाले 80 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो यह तो किसान हैं या तो कृषि से किसी न किसी प्रकार से सम्बद्ध हैं ।

ऐसी स्थिति में मान्यवर, किसान की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं, बिजली हैं, बीज है, कीटनाशक दवायें हैं, सभी प्राप्त हो जायें और अगर पर्याप्त मात्रा में ये चीजें नहीं प्राप्त होती हैं तो उसकी आर्थिक उन्नति असम्भव है । यही नहीं मान्यवर, किसान तो देश का अन्न दाता भी है । आज जिस क्षेत्र के संदर्भ में मैंने यह प्रश्न पूछा है उस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि श्रीमन् जो उपग्रह से अध्ययन किया गया है उसके अनुसार उस क्षेत्र में सरकारी मानक के ट्यूबबेल नहीं लग सकते हैं । चर्चा इस प्रश्न के माध्यम से मैंने की थी कि एक-दो गांव नही बल्कि लगभग 24 गांव ऐसे हैं जैसे–टांड, बिकना, टेढ़वा, अमोई, समोगरा, सिरगी, महरवार, सिरसी बघेल, इटवा, लखमापुर, बोडसर, अहमलपुर, चनईपुर,

लोहदी कलां एवं खूर्द आदि । इन सभी गांवों को अगर पानी की आपूर्ति होती है तो खेती ठीक होगी । मान्यवर, ठीक चुनाव से पहले मैं वहां क्षेत्र में गया हुआ था, वहां पर बताया गया कि नहर का तीन चौथाई पानी हर्रई नदी में चली जाती है इस वजह से किसानों को पर्याप्त फसल नहीं मिल पाती है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है आज भी वहां पर धीरे-धीरे पानी रिस रहा है, हर्रई नदी में नहर का पानी जा रहा है, नहर की ग्राउटिंग खराब है । पहला संभावित कारण मरम्मत का कागज तक सीमित रहना है । दूसरा कारण, वहां केकड़ों की तादात अधिक होने के कारण केकड़े नदी तक रास्ता बना लेते हैं ।

मान्यवर, मैंने यह अनुरोध किया था वहां पर पाइप लाइन लगवा दी जाय, 24 गांवों को उपलब्ध होने वाले पानी किसानों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर वहां पर पाइप लाइन लगा दी जाती है तो वहां की समस्या का समाधान होने की पूरी सम्भावना है । तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि पाइप लाइन एक बार लगा दी जाय तो 24 गांवों को ठीक-ठीक पानी मिलेगा । आने वाले वर्षों में शासन को धन खराब नहीं करना पड़ेगा । पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि 24 गांवों के किसानों का मामला है । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र ही पाइप लाइन लगवा दीजिये । मैं इस चर्चा के लिये कोटिशः धन्यवाद देता हूं ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

माननीय अधिष्ठाता, वास्तव में किसानों से सम्बन्धित प्रकरण है । मिरजापुर में जहां सिंचाई के साधन नाम मात्र को उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर सुविधा होनी चाहिये । तो यह निश्चित रूप से महत्व की बात है । मान्यवर, पानी की समस्या का निराकरण करने के लिये कदाचित् इसका हल निकालना अति आवश्यक है । सुविधाजनक सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो, उस क्षेत्र में एक-एक बूंद पानी किसान के लिये अमृत के समान है । मान्यवर, जैसा अनुरोध किया गया है, प्रश्न में भी किया गया है । इस चर्चा के माध्यम से मैं मांग करूंगा सरकार से किसानों की सुविधा के लिये, 24 गांवों की सुविधा के लिये पाइप लाइन की व्यवस्था करें, तो कदाचित् सही होगा । मैं इस चर्चा के माध्यम से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पाईप लाइन बिछाई जाय, भले ही इस पर कितना ही खर्च आये ?

* स्वास्थ्य चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)––

मान्यवर, माननीय सदस्य, मिरजापुर ने प्रश्न के माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने क्षेत्र की सिंचाई की समस्या की ओर आकृष्ट किया है । मान्यवर, उनकी चिन्ता सही है । जिस गम्भीरता से उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है, उसके सम्बन्ध में में कहना चाहता हूं कि इस बार श्री डंग जी को सभी गांवों में जाना पड़ा । निश्चित रूप से उन्होंने गांवों का अध्ययन किया होगा । कुछ चिन्तायें प्रकट की गई, कुछ कठिनाइयां उन्होंने बतायी और एक निराकरण का रास्ता भी बताया । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि उन-उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये किन-किन वर्षों में कितना पैसा खर्च किया गया, इससे वह भी विज्ञ होंगे । मान्यवर, यह वीयर, 1952 का बना हुआ है ।

इस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, जिस ढंग से इन्जीनियरों ने इसे क्षेत्र विशेष के लिये बरसाती नदी पर बनाया है, कभी-कभी अवर्षण के कारण इसमें पानी का अभाव भी हो जाता है और लोगों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पानी नहीं मिल पाता है । 1952 के बने इस वीयर का जब आंकडन किया गया तो इसमें 30 परसेन्ट पानी की बरबादी हो रही थी । 1992 में इसमें 88 हजार रुपये व्यय किये गये और अब यह छीजन केवल 2 परसेन्ट रह गया है । नहरों के मरम्मत की बात कही गई । माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने यह संकल्प लिया है कि अगले तीन वर्षों में सभी खेतों को हम पानी देंगे जिससे गांव-गांव के किसान खुशहाल हो जांय । हम इसके लिये प्रतिबद्ध हैं । मैं डंग जी को बताना चाहता हूं कि 1993 में हमने इस पर 93 हजार रूपये खर्च किये हैं और नहरों की मरम्मत कराई है और अब इसका छीजन भी केवल 2 क्यूसेक्स रह गया है । इससे थोडे से हिस्से में पत्थरों को जोड़-जोड़ कर नहरें बनी हैं और उसमें सीपेज रहा है । हमने सीपेज की मरम्मत का भी कार्य किया है ।

मान्यवर, हम जल संस्थानों को बढाना चाहते हैं । आपने जो सुझाव दिया है पाईप लाइन बिछाने का, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर लोहे की पाईप लाईन बिछाई जाती है तो 1 करोड़ 70 लाख रुपये का व्यय आयेगा । अगर आर० सी० सी० की लाईन बिछाते हैं तो एक करोड़ रुपये का व्यय आयेगा । इस गरीब प्रदेश के सीमित साधनों को देखते हुये अगर इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे तो वह तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगा । यह इतनी लम्बी पाईप लाईन है कि जब नदी का पानी इसमें जायेगा तो वहां पर पानी का वेग शिथिल हो जाता है और बालू के कण उसमें भर जायेंगे, जिसे बाद में साफ करना मुश्किल हो जायेगा । जिससे पाइप लाइन चोक हो जायेगी । तो इस दृष्टि से भी सोचा गया क्योंकि इस बार डंग साहब को कई बार गांवों में जाना पडा उन गांवों से उनकी ममता हुई क्योंकि पिछली सरकार में रहकर कुछ काम नही करा पाये जिससे उन्हें दिक्कत हुई, बहुत मनौती करनी पड़ी इसलिये गांवों का नाम याद है । हर्रई नहर, अमुई माईनर और बीरापुर माईनर से रबी की फसल में जो उसकी क्षमता थी ज्यादा सिंचाई की गई । मैंने मान्यवर, पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई आपने जो सुझाव दिये हैं कि एक कि० मी० पाइप लाइन से जोड़ा जाय तो मैं बताना चाहता हूं कि दो परसेन्ट मात्र छीजन रह गया है उसको दूर करने के लिये भी हमने परीक्षण करा लिया है । निश्चितरूप से तकनीकी दृष्टि से वह बात व्यवहारिक नहीं है क्योंकि जो बालू के कण जायेंगे, जो रेत जायेगा वह बीच में रुक जायेगा उसकी सफाई नहीं होगी तो पाइप बन्द हो जायेंगे । तो उन्होंने जो चिन्ता प्रकट की है दो परसेंट छीजन को भी समाप्त करने के लिये प्रयास हो रहा है । हम एक-एक बूंद पानी जो गिर रहा है उसका उपयोग करेंगे । मैं आपके क्षेत्र के बारे में इतना जानता भी नहीं आज आपने प्रश्न के माध्यम से अपने क्षेत्र के प्रति जो गम्भीर चिन्ता प्रकट की और आधे घण्टे की चर्चा की इसलिये मैंने उस नहर का नक्शा देखा, डंग साहब की आंखों से देखा किस तरह से नहर निकली है, कितना बड़ा वीयर है कितनी ऊंचाई से लेकर फिर नीचे और फिर मिट्टी से उठाना पड़ता है उसमें कितनी कठिनाई है उसके बावजूद भी हमने इसकी सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया है ताकि किसानों का नुकसान न होने पाये जितना भी पानी उपलब्ध है उसका उपयोग होगा हम नुकसान नहीं होने देंगे ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जैसा माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि पाइप लाइन में बालू भर जायेगा तो मैं अनुरोध करुंगा मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में जहां नहरें नहीं बनती हैं पाइप लाइन का प्रयोग होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न करें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

वह दिखवा लें परीक्षण करा लें । यह कहना तथ्य से परे है कि बालू भर जायेगा इसलिये सिंचाई नहीं हो पायेगी यह उचित नहीं है मंत्री जी नक्शे की बात करते हैं मौके को दिखा लें । आप परीक्षण करा लें आप इसे दिखवा लें और इस समस्या का निराकरण करें ।

श्री बलराम यादव–

मैंने डंग साहब की आंखों से देखा है जितना सम्भव हो सकता है वह प्रयास हो रहा है निश्चित रूप से एक-एक बूंद पानी का नुकसान नहीं होगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को उन्होंने बहुत से आश्वासन दिये हैं । मगर मन में कुछ शंकायें हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों में बार-बार मरम्मत कराई गयी लेकिन परिणाम वही रहा ढांक के तीन पात । जहां तक चुनाव क्षेत्र में जाने की बात है वह हमेशा जाना पड़ता है आप भी जाते होंगे । हम तो जीतने पर भी जाते हैं इसीलिये लौट कर आते हैं । 1989 में जब मैं वहां गया था तब इस तरह लोगों ने नहीं कहा ऐसी समस्या नहीं थी मगर इस बार समस्या की चर्चा हुई पिछली बार तक कुछ-कुछ पैसा मिलता गया और मरम्मत हुई इसलिये शिकायत नहीं की । मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि 10 वर्षों में कितना खर्च हुआ इसकी जानकारी करा लें । एक बात और, मंत्री जी ने एक बात आग्रहपूर्वक कही है कि जितना जल उपलब्ध होगा, उतना पहुंचाएंगे । हमारा जिला सूखा पीड़ित है, वहां ट्यूब वेल लग नहीं सकते हैं, अब टांडा फाल जो बहुत पुराना है सन् 52 के पहले का है और उस बांध में तमाम सिलटिंग होकर उसकी गहराई कम हो गई है और जल की धार क्षमता भी कम हो गई है, तो क्या उसकी सिलटिंग कराकर और सफाई कराकर जल धारण क्षमता भी वह बढ़ायेंगे ? मैं इससे भी सहमत नहीं हूं कि पाईप लाईन वहां पड़ नहीं सकती है, सम्भव नहीं है, तो आप कृपा पूर्वक इसका परीक्षण करायें ।

पाईप लाईन एक किलोमीटर नहीं पड़े, तो पौन या आधा किलोमीटर ही पड़े, जिससे नदी में पानी न जाए । तो क्या नदी में पानी न जाए इसको आप सुनिश्चित करेंगे ? इसकी उस गांव के किसानों को बहुत ही आवश्यकता है, जिससे कम से कम 10 वर्षों तक उसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता न पड़े ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैंने बहुत ही स्पष्ट कहा है, पुनः मैं कहना चाहता हूं आदरणीय डंग जी से कि नदी का पानी बेकार न जाए, सिंचाई उपलब्ध हो और सीपेज न हो यह तीन मुख्य बिन्दु हैं, यह तीन परसेन्ट से दो परसेन्ट आ गया है और मैंने कहा है कि आगे फसल के समय यह और भी कम हो जाएगा । पाईप लाईन के सम्बन्ध में परीक्षण हो चुका है, जब पानी का सीजन नहीं होगा तो दूसरे किस्म के प्रयोग या प्रयास करने की क्या आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं और कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 19 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
3 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

जनवरी 91 से 13 दिसम्बर 93 तक नियुक्त किये गये सीजनल संग्रह अमीन एवं संग्रह सेवकों का विवरण जनपद सुल्तानपुर ।

अवधि	सीजनल संग्रह अमीन	सीजनल संग्रह सेवक
1/91 से 3/91 तक	147	147
4/91 से 6/91 तक	147	147
7/91 से 9/91 तक	147	147
11/91 से 12/91 तक	190	185
1/92 से 3/92 तक	190	185
4/92 से 6/92 तक	169	169
7/92 से 6/92 तक	175	175
9/92	33	33
11/92 से 12/92 तक	125	125
1/93	184	184
2/93	185	185
3/93	185	185
4/93 से 6/93 तक	100	100
7/93 से 9/93 तक	160	160
10/93 से 12/93 तक	64	64

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी,

सुल्तानपुर ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्रीमान् जी के अधीनस्थ संग्रह अमीन के कुछ पद रिक्त हैं । जिनकी पूर्ति भविष्य में श्रीमान् जी द्वारा की जानी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रार्थी श्रीमान् जी के अधीनस्थ संग्रह कार्यालय में संग्रह चपरासी के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत है। प्रार्थी का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो चुका है। प्रार्थी का कार्य एवं व्यवहार सदैव संतोषजनक रहा है। प्रार्थी जाति का हरिजन "पासी" है।

प्रार्थी शासनादेश के अन्तर्गत अपने पद से प्रोन्नति चाहता है जो कि नियमानुसार है।

ए० डी० एम०

(एफ० डी० आर०)

ह०/-

जिलाधिकारी

सुल्तानपुर।

5-11-92

परगनाधिकारी

मु० खाना

कृ० आवश्यक कार्यवाही

करें।

ह०/-

(एफ० डी० आर०)

6-11-92

अतः श्रीमान् जी से करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थी की परिस्थितियों एवं योग्यताओं को देखते हुए उक्त संग्रह अमीन के रिक्त स्थान पर प्रोन्नति कर सेवा कर अवसर प्रदान करने की कृपा की जाय।

महान दया होगी।

नोटः—अप्रमाणित प्रतिलिपि साथ में संलग्न है।

प्रार्थी

ह०/

नान्हू

संग्रह चपरासी

तहसील मुसाफिरखाना

जिला—सुल्तानपुर

दिनांक—

1—शासनादेश की एक प्रतिलिपि

2—जाति प्रमाण-पत्र।

3—मार्कसीट इण्टरमीडिएट।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमान् जी–

श्री नान्हू स्थाई संग्रह चपरासी ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-11-92 द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित करते हुए याचना किया है कि उसे संग्रह अनुभाग में पिछले 5 वर्षों से लगातार स्थाई संग्रह चपरासी के पद पर कार्य करता आ रहा है। पिछले कार्यकाल में प्रार्थी का कार्य एवं व्यवहार कुशल रहा है। जिसका आंकलन चरित्र पंजिका से भी सिद्ध होता है।

प्रार्थी जाति का पासी है, जो शेड्यूल कास्ट एण्ड शेड्यूल ट्राइव्स (अमेन्डमेंट) ऐक्ट 1956 के अधीन अनुसूचित जाति मानी गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर वर्ग–4 के शैक्षिक योग्यता एवं कार्य कुशलता रखने वाले अनुभवी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में यहां पर सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2, लखनऊ के पत्रांक 37/1/1969–कार्मिक–2, दिनांक 31 अगस्त, 1982 एवं समसंख्यक शासनादेशों दिनांक 1-1-1970, 21-8-1976, व 19-5-1979 पठनीय एवं सन्दर्भ लेने योग्य है।

उक्त शासनादेशों में निहीत है कि, ऐसी पदोन्नति के निमित्त वर्ग–3 के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो, उसी कार्यालय में काम करने वाले वर्ग–4 के कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जायगा।

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व अनुभाग–7 लखनऊ का पत्र संख्या 2755/1/92-2/1/87–97-रा० 7 दिनांक 23-10-1992, जिसे उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीनों को सेवा (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1992 कहा गया है, के परिशिष्ट–ग (नियम 20) (1) कलेक्शन अमीन के पद पर नियुक्ति की क्रम, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि स्थाई कलेक्शन चपरासियों से पदोन्नति किये जाने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए नियुक्तियां निम्नलिखित क्रम में की जायगी।

पहली रिक्ति-सीधी भर्ती, दूसरी-रिक्ति-सीजनल, संग्रह अमीन, तीसरी रिक्ति-सीधी भर्ती, चौथी रिक्ति-सीजनल संग्रह अमीन, पांचवीं रिक्ति-सीधे भर्ती-छठी रिक्ति-पदोन्नति संग्रह चपरासी जिसके तहत श्री नान्हू स्थाई संग्रह चपरासी ने अपना आवेदन पत्र जिलाधिकारी महोदय का सम्बोधित करते हुए अपनी पदोन्नति हेतु याचना किया है।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर अंकित पार्श्वांकित आदेश श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, वित्त एवं राजस्व, परगनाधिकारी महोदय एवं तहसीलदार महोदय दिनांक 11-11-1992 के अनुपालन में उपलब्ध उपरोक्त शासनादेशों तथा श्री नान्हू के पूर्व 5 वर्षों के कार्यकाल की कुशलता एवं अनुभव व चरित्र पंजिका की प्रविष्टियों के अवलोकन के पश्चात उपरोक्त साक्ष्यों का आधार लेते हुए श्री राम विलाश शर्मा, स्थाई संग्रह अमीन की सेवा निवृत्ति से रिक्त होने वाले पद दिनांक 31-12-1992 पर पदोननति लाभ देने के लिए मानवीय आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

यहां पर यह स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है कि इसके पूर्व होने वाली नियुक्तियां सीजनल संग्रह अमीनों एवं सीधी भर्ती के जरिये निर्धारित संख्या से कहीं अधिक की जा चुकी हैं । जिससे शासनादेशों के अन्तर्गत श्री नान्हू की पदोन्नति देने में किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती है । एवं प्रत्येक दृष्टिकोण से नियमित एवं उचित है ।

अतः श्रीमान् जी सहमत हों तो उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत श्री नान्हू की पदोन्नति पर मानवीय आधार पर विचार करते हुए श्री राम विलाश शर्मा, स्थाई संग्रह अमीन के सेवानिवृत्त के पश्चात हुई रिक्ति में श्री नान्हू स्थाई संग्रह चपरासी को पदोन्नति लाभ देते हुए नियुक्त करने की कृपा की जाय ।

उपरोक्त आख्या सेवा में विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रेषित ।

ह०.–

वा० बा० न०

25-12-92

वा० बा० न०- श्री हरि प्रकाश तिवारी
द्वारा आज प्रस्तुत ।

ह०/-

12-2-94 तहसीलदार

मु० खाना

महोदय,

श्री नान्हू संग्रह चपरासी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर पृष्ठांकित आपके आदेश के अनुपालन में कार्यालय की आख्या सहित विचारार्थ सेवा में सम्प्रेषित है ।

ह०/–

4-2-92

परगनाधिकारी महोदय के माध्यम से अपर जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अग्रसारित प्रोन्नति की कार्यवाही नियमित चयन के समय ही सम्भव है ।

अग्रसारित

ह०/-

12-2-94

एस० डी० ओ० (एम)

ह०/–

तहसीलदार

मु० खाना

12-2-94

सूची 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ–12 पर)

तहसील ज्ञानपुर व भदोही के प्रस्तावित 55 ग्रामों की सूची

तहसील-भदोही के ग्रामः–

खेतलपुर, अर्जुनपुर, वनकट, दरुनहा, कपालडीह, जिकनपुर, वरवा, गारापार, अवसानपुर, सोनवरसा, जगरनाथपुर, चकभवानदास, मानशाहपुर, दरीवपुर, कुन्दई, कर्नेल (कनेहरी) सदापुर, वसुआपट्टी व चकपडरी ।

तहसील-ज्ञानपुरः–

धाराम्भिरपट्टी, मदनपुर, (प्रथम), धानापुर, चकपडरौना, दल्लूपट्टी, लक्ष्मणपट्टी, दशरथपुर, वैरीपुरवा, सहसीपुर, जनेशरायपुर, कुसौली, तुलसीपट्टी, इनारगांव, रइपट्टी, वनकट, नेवादा, वनकटखास, चकनेवाजी, मराजखां, जयसिंहपुर, बड़ागांव, जंगलपुर, बल्लीपुर, कलनुआं, सुधेव, गंगापट्टी, वदाखास, पूरेगासाइदास, मरसडा, दिकरिया, रामदासपुर, मरधुआ, जोरई, चकमानसिंह, सायर तथा मानशहापुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० एल०–77 विधान सभा (119)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।